



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-20042022-235256
CG-GJ-E-20042022-235256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944

No. 211]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 19 अप्रैल, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण(निधि प्रबंधन)विनियम, 2022

आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन.रेग्यु.024.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की धारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28ग के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 है।
(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019(2019 का 50) अभिप्रेत है;
(ख) "प्रत्यायन एजेंसी" से प्रत्यायित निवेशकों का प्रत्यायन करने का क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात कोई इकाई अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण: प्राधिकरण, प्रत्यायन के प्रयोजनार्थ, किसी प्रत्यायन एजेंसी के लिए पात्रता मानदंड तथा ऐसी एजेंसी द्वारा प्रत्यायन के लिए प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ग) “प्रत्यायित निवेशक” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड विनिर्दिष्ट रीति में पूरा करता है;

(घ) “विज्ञापन” के अंतर्गत निधि प्रबंधन इकाई द्वारा या उसकी ओर से जारी की गई ऐसी सभी प्रकार की सूचना आती हैं जो किसी निवेशक/भावी निवेशकों के निवेश संबंधी विनिश्चयों को प्रभावित कर सकती हैं;

(ङ) “सहयुक्त” से अभिप्रेत है

(क) ऐसी कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी(एल.एल.पी.) या निगमित निकाय, जिसमें एफ.एम.ई. का निदेशक या न्यासी या भागीदार या एफ.एम.ई. या इन विनियमों के विनियम 17 में यथा-परिभाषित कोई वैश्वसिक एफ.एम.ई. में या तो व्यष्टिक रूप से या सामूहिक रूप से बीस प्रतिशत या उससे अधिक, यथास्थिति, उसकी समादत्त साधारण शेयर पूंजी या भागीदारी हित धारण करता है,

(ख) ऐसी कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय, जो एफ.एम.ई. में या तो व्यष्टिक रूप से या सामूहिक रूप से बीस प्रतिशत या उससे अधिक, यथास्थिति, उसकी समादत्त साधारण शेयर पूंजी या भागीदारी हित धारण करता है,

(ग) ऐसी कोई अन्य कंपनी या कोई सीमित दायित्व भागीदारी या कोई निगमित निकाय, जिसमें ऊपर खंड (ख) में निर्दिष्ट इकाई, एफ.एम.ई. में बीस प्रतिशत या उससे अधिक, यथास्थिति, उसकी समादत्त साधारण शेयर पूंजी या भागीदारी हित धारण करती है;

(च) “निगमित निकाय” का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की समय-समय पर यथा-संशोधित धारा 2 के खंड(11) के अधीन उसका है;

(छ) “रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र” से प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के विनियम 12 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ज) “नियंत्रण” के अंतर्गत अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने या व्यष्टिक रूप से अथवा मिलकर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, जिसके अंतर्गत उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक करार या मतदान करार या भागीदारी करार भी है, या किसी अन्य रीति में, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पचास प्रतिशत से अधिक सीमा तक मतदान अधिकार या हित धारण करते हुए प्रयोक्तव्य प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों को नियंत्रित करने का अधिकार भी है;

परन्तु किसी इकाई के किसी निदेशक या अधिकारी के बारे में मात्र ऐसी प्रास्थिति धारण करने के आधार पर यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसी इकाई पर नियंत्रण रखता है;

(झ) “सीमित अवधि वाली स्कीम”(क्लोज़-इंडेड स्कीम) से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसमें स्कीम की परिपक्वता अवधि विनिर्दिष्ट होती है;

(ञ) “अनुपालन अधिकारी” से ऐसा ज्येष्ठ अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस प्रकार पदाभिहित है और संगठन के निदेशक बोर्ड या यदि बोर्ड नहीं है तो उसके प्रधान को रिपोर्ट करता है, जो वित्तीय दृष्टि से साक्षर है और जो इन विनियमों के अधीन विधिक और विनियमनकारी अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने में सक्षम है और जो, यथास्थिति, एफ.एम.ई. के निदेशक बोर्ड या किसी संगठन के प्रधान के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन, अभिलेख के अनुरक्षण, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के परिरक्षण के लिए नियमों की पालना को मानीटर करने, व्यापारों को मानीटर करने और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कोडों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “वित्तीय दृष्टि से साक्षर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मूलभूत वित्तीय विवरणियों, अर्थात्, तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और नकद प्रवाहों को पढ़ने और समझने में सक्षम है;

(ट) “कार्पस” से, किसी स्कीम के अधीन किसी विशिष्ट तारीख को किसी लिखित संविदा या ऐसे किसी दस्तावेज़ द्वारा निधि प्रबंधन इकाई में निवेशकों द्वारा प्रतिबद्ध निधियों की कुल रकम अभिप्रेत है;

(ठ) “वैवेकिक पोर्टफोलियो प्रबंधक” से ऐसा पोर्टफोलियो प्रबंधक अभिप्रेत है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन से संबंधित किसी संविदा के अधीन, ग्राहक की, यथास्थिति, निधियों के निवेश या प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो के प्रबंधन के बारे में किसी प्रकार के विवेक का प्रयोग करता है या प्रयोग कर सकता है;

(ड) “प्रभावी तारीख” से इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीसवां दिन अभिप्रेत है;

(ढ) “कौटुम्बिक निवेश निधि” से ऐसी स्व-प्रबंधित निधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी एक ही कुटुम्ब की ओर से धन पूल किया जाता है और जिसे इन विनियमों के निबंधनों के अनुसार स्थापित किया गया है;

(ण) "विदेशी अधिकार-क्षेत्र" से भारत से भिन्न ऐसा देश अभिप्रेत है, जिसका प्रतिभूति बाज़ार विनियामक, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का एक हस्ताक्षरकर्ता है (परिशिष्ट क हस्ताक्षरकर्ता) या प्राधिकरण के साथ हुए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है और जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के सार्वजनिक कथन में:

i. ऐसे अधिकार-क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात नहीं है, जिसमें कूटनीतिक धनशोधन-रोधी या आतंकवाद का वित्तपोषण करने से रोकने संबंधी ऐसी कमियां हैं जिन्हें जवाबी-अध्युपाय लागू होते हैं; या

ii. ऐसे अधिकार-क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात नहीं है, जिसने उन कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या उन कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के साथ विकसित की गई किसी कार्रवाई योजना के प्रति वचनबद्धता नहीं दिखाई है;

(त) "निधि प्रबंधन इकाई" या "एफ.एम.ई." से ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण के पास इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रवर्ग के अधीन एक निधि प्रबंधन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(थ) "निधि प्रबंधक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे एफ.एम.ई. द्वारा उसके निवेशों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(द) "निधि स्कीम की निधि" से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जो प्रमुख रूप से अन्य स्कीमों में, चाहे वे आई.एफ.एस.सी. में या भारत या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में हों. निवेश करती है;

(ध) "आई.एफ.एस.सी." या "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है;

(न) "आई.एफ.एस.सी.ए." या "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(प) "निरीक्षक प्राधिकारी" से, प्राधिकरण द्वारा किसी निधि प्रबंधन इकाई या संबंधित इकाइयों की लेखा-बहियों, लेखाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों का इन विनियमों के निबंधनानुसार निरीक्षण करने के लिए नियुक्त एक या उससे अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(फ) "सूचकांक स्कीम" से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जो प्रतिभूतियों में उसी अनुपात में निवेश करती है जैसा कि प्रतिभूतियों का सूचकांक है;

(ब) "निवेशकर्ता कंपनी" से कोई कंपनी, विशेष प्रयोजन यान या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय या भू-संपदा निवेश न्यास या अवसंरचना निवेश न्यास या ऐसी कोई निधि अभिप्रेत है, जिसमें कोई निवेश किया जाता है;

(भ) "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" या "के.एम.पी." से एफ.एम.ई. के ऐसे अधिकारी या कार्मिक अभिप्रेत हैं, जो उसके कोर प्रबंधन दल के सदस्य हैं और इसके अंतर्गत एफ.एम.ई. के कार्यपालक निदेशकों से एक स्तर नीचे वाले प्रबंधन के सदस्य, कार्यात्मक प्रमुख और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-परिभाषित "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है, जिसे एफ.एम.ई. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में घोषित कर सकेगी;

(म) "शुद्ध संपत्ति" से, तुलनपत्र के अनुसार संचित हानियों, आस्थगित व्यय और अपलिखित न किए गए प्रकीर्ण व्यय के संकलित मूल्य को घटाने के पश्चात् समादत्त शेयर पूंजी(या पूंजीगत अभिदाय) और लाभों, प्रतिभूति प्रीमियम लेखों और लाभ हानि खाते के विकलन और जमा अतिशेष में से सृजित सभी आरक्षितियों का संकलित मूल्य अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन, अवक्षयण के प्रतिलेखन और समामेलन से सृजित आरक्षितियां नहीं हैं;

(य) "प्रस्थापना दस्तावेज़" से कोई ऐसा दस्तावेज़, जिसके द्वारा कोई रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(खुदरा) किसी खुदरा स्कीम में अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करती है या किसी निवेश न्यास द्वारा सार्वजनिक प्रस्थापना अभिप्रेत है;

(कक) "असीमित अवधि वाली स्कीम"(ओपन इंडेड स्कीम) से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जो सीमित अवधि वाली स्कीम नहीं है, अर्थात्, इसकी विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधि नहीं है;

(खख) "प्लेसमेंट ज्ञापन" से कोई ऐसा दस्तावेज़ अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई एफ.एम.ई. प्रत्यायित निवेशकों या किसी विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों को किसी उद्यम पूंजी स्कीम या किसी निर्बंधित स्कीम या किसी निवेश न्यास द्वारा किसी प्राइवेट प्लेसमेंट में निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है;

(गग) "पोर्टफोलियो" से किसी व्यक्ति की प्रतिभूतियों और वित्तीय आस्तियों में कुल धारिता अभिप्रेत है;

(घघ) "प्रधान अधिकारी" से निधि प्रबंधन इकाई का ऐसा अभिहित कर्मचारी अभिप्रेत है जो निधि प्रबंधन इकाई के समग्र क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है;

(डड) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से आई.एफ.एस.सी. में कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है;

(चच) "रजिस्ट्रीकृत निधि प्रबंधन इकाई" या "रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई." से रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(गेर-खुदरा) और रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(खुदरा) अभिप्रेत है;

(छछ) “निर्बंधित स्कीम” से किसी प्राइवेट प्लेसमेंट प्रस्थापना के अधीन केवल प्रत्यायित निवेशकों के लिए या 1,50,000 अमरीकी डॉलर से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों के लिए कोई स्कीम अभिप्रेत है और इसमें 1000 निवेशकों या ऐसी अन्य संख्या से, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अधिक निवेशक नहीं होंगे;

(जज) “खुदरा स्कीम” से सभी निवेशकों या निवेशकों के एक वर्ग को अभिदान के लिए प्रस्थापित कोई ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसमें स्कीम में निवेशकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है;

(झझ) “स्कीम” या “निधि” से इन विनियमों के अधीन चालू की गई किसी निधि प्रबंधन इकाई की कोई स्कीम अभिप्रेत है;

(ञञ) “एकल कुटुम्ब” से व्यष्टियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है, जो एक ही पूर्वज के पारंपरिक पूर्वपुरुष हैं और इसके अंतर्गत उनके पति या पत्नियां आती हैं (जिसके अंतर्गत विधवा या विधुर भी हैं, चाहे उनका पुनर्विवाह हुआ है अथवा नहीं) और संतान(जिसके अंतर्गत सौतेली संतान, दत्तक ली गई संतान, विवाह-पूर्व संतान भी है);

(टट) “न्यास” से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन या संसद् अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई न्यास अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या यथास्थिति, उनके किसी कानूनी उपांतरण या पुनर्अधिनियमिति में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय II

निधि प्रबंधन इकाई(एफ.एम.ई.) का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने की बाध्यता

3. (1) ऐसी इकाई, जिसका आशय इन विनियमों के अधीन निधि प्रबंधन का कारबार आरंभ करना है, तब तक किसी आई.एफ.एस.सी. में प्रचालन प्रारंभ नहीं करेगी जब तक कि उसने उप-विनियम (4) में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के अधीन एफ.एम.ई. के रूप में प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो।

(2) ऐसी इकाई, जो आई.एफ.एस.सी. में एफ.एम.ई. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की इच्छुक है, पहली अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में आवेदनपत्र ऐसे दस्तावेजों और आवेदन फीस सहित, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी।

(3) ऐसा आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, इन विनियमों के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट रूप में नामंजूर कर दिए जाने का दायी होगा।

(4) एफ.एम.ई. निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करेगी:

(क) प्राधिकृत एफ.एम.ई.:

ऐसी एफ.एम.ई., जो प्रत्यायित निवेशकों या प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों से धन संयोजित करती है और उद्यम पूंजी स्कीम के माध्यम से स्टार्ट-अप या आरंभिक प्रक्रम के उद्यमों में निवेश करती है। ऐसी कौटुम्बिक निवेश निधि भी, जो प्रतिभूतियों, वित्तीय उत्पादों और ऐसे अन्य अनुज्ञात आस्ति प्रवर्गों में निवेश कर रही है, प्राधिकृत एफ.एम.ई. के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करेगी।

(ख) रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(गैर-खुदरा):

ऐसी एफ.एम.ई. जो एक या अधिक निर्बंधित स्कीमों के माध्यम से, प्रतिभूतियों, वित्तीय उत्पादों और ऐसे अन्य अनुज्ञात आस्ति प्रवर्गों में निवेश करने के लिए प्रत्यायित निवेशकों या प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों से धन संयोजित करती है। ऐसी एफ.एम.ई. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं(जिसके अंतर्गत बहु-कौटुम्बिक कार्यालय के लिए सेवाएं भी हैं) आरंभ करने और निवेश न्यास (भू-संपदा निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास) के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए भी समर्थ होंगी। ऐसी एफ.एम.ई., ऐसे समस्त क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए भी समर्थ होंगी जो प्राधिकृत एफ.एम.ई. को अनुज्ञात हैं।

रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(खुदरा):

ऐसी एफ.एम.ई. जो खुदरा या निर्बंधित स्कीमों के माध्यम से प्रतिभूतियों, वित्तीय उत्पादों और ऐसे अन्य अनुज्ञात आस्ति प्रवर्गों में निवेश करने के लिए एक या अधिक स्कीमों के अधीन सभी निवेशकों या निवेशकों के एक वर्ग से धन संयोजित करती हैं। रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. (खुदरा), निवेश न्यास(भू-संपदा निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास) की सार्वजनिक प्रस्थापना के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकेगी। ऐसी एफ.एम.ई. विनिमय व्यापार निधियां(ई.टी.एफ.) आरंभ करने में भी समर्थ होंगी। इसके अलावा, ऐसी एफ.एम.ई., ऐसे समस्त क्रियाकलाप करने के लिए भी समर्थ होंगी जो प्राधिकृत एफ.एम.ई. और रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(गैर-खुदरा) को अनुज्ञात हैं।

स्पष्टीकरण: एफ.एम.ई. के प्रत्येक उपर्युक्त प्रत्येक प्रवर्ग के लिए क्रियाकलापों के ब्यौरे, निवेश की शर्तें, उत्तरदायित्व और बाध्यताएं इन विनियमों के अधीन सुभिन्न अध्यायों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। संबंधित अध्यायों में “एफ.एम.ई.” पद के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन, ऊपर विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के लिए अनुज्ञात क्रियाकलापों के अनुसार किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त शर्तें, उत्तरदायित्व और प्रकटन संबंधी बाध्यताएं भी विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

पात्रता शर्तें

4. आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इस अध्याय में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा।

आवेदक का विधिक रूप

5. (1) आवेदक, कंपनी या एल.एल.पी. या उसकी शाखा का गठन करके या किसी ऐसे अन्य रूप में, जो प्राधिकरण अनुज्ञात करे, किसी आई.एफ.एस.सी. में उपस्थित होगा:

परन्तु किसी रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. (खुदरा) को एल.एल.पी. पद्धति या उसकी शाखा के माध्यम से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि शाखा संबंधी ढांचा केवल ऐसी एफ.एम.ई. के लिए ही अनुज्ञात है जो पहले से रजिस्ट्रीकृत है और/या भारत में या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र में समरूप क्रियाकलाप करने के लिए किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित है।

(2) किसी आई.एफ.एस.सी. में शाखा ढांचे के रूप में प्रचालन करने वाली कोई एफ.एम.ई., निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगी:

(क) इकाई, आई.एफ.एस.सी. में शाखा के प्रचालनों को पर्याप्त रूप से निर्बंधित करेगी;

(ख) इकाई, आई.एफ.एस.सी. में उसके क्रियाकलापों के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जिसे मूल स्तर पर बनाए रखा जा सकेगा;

(ग) इकाई, ऐसी न्यूनतम पूंजी बनाए रखेगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, जिसे हर समय आई.एफ.एस.सी. के लिए नियत रखा जाएगा और उसे उसके निगमन के अधिकार-क्षेत्र में धारण किया जा सकेगा; और

(घ) ऐसी कोई अन्य अपेक्षाएं, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) किसी कंपनी की दशा में संगम ज्ञापन या किसी एल.एल.पी. की दशा में एल.एल.पी. करार में उसे निधि प्रबंधन का क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. (खुदरा) में कम से कम चार (4) निदेशक होंगे जिनमें से पचास प्रतिशत (50%) निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और एफ.एम.ई. से सहबद्ध नहीं होंगे।

पिछली उपलब्धियां (ट्रेक रिकार्ड) और निष्पक्षता संबंधी प्रतिष्ठा

6. आवेदक की पिछली उपलब्धियां ठोस होंगी और उसके समस्त कारबार संबंधी संव्यवहारों में निष्पक्षता और ईमानदारी की साधारण प्रतिष्ठा होगी।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए “पिछली ठोस उपलब्धियां” (साउंड ट्रेक रिकार्ड) से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा:

(क) रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. (खुदरा), एफ.एम.ई. या उसकी नियंत्रि कंपनी की दशा में, पच्चीस हजार (25,000) से अधिक निवेशकों के साथ कम से कम 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रबंधनाधीन आस्तियों (ए.यू.एम.) का प्रबंधन करने का कम से कम पांच (5) वर्ष का अनुभव होगा या एफ.एम.ई. में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक शेरधृति धारण करने वाली एफ.एम.ई. पर नियंत्रण रखने वाले कम से कम एक (1) व्यक्ति का, कम से कम पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सेवाओं में कारबार चला रहा होगा:

परन्तु प्राधिकरण द्वारा, पिछली ठोस उपलब्धियों के लिए किसी अन्य मानदंड पर विचार किया जा सकेगा जिससे कि नवीन विचारों वाली नई पीढ़ी की ऐसी फिटनेक कंपनियों को सुकर बनाया जा सके, जिनके परिणामस्वरूप बाजार में और अधिक विकास हो सकेगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. (गैर-खुदरा) और प्राधिकृत एफ.एम.ई. की दशा में, वह ऐसे कर्मचारियों को नियोजित करेगी जिनके पास इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत अनुभव होगा।

प्रधान अधिकारियों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कार्मिकों) (के.एम.पी.) की नियुक्ति

7. (1) आवेदक एक प्रधान अधिकारी अभिहित करेगा, जो एफ.एम.ई. के समग्र क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा किन्तु वह निधि प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन तक सीमित नहीं होगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. की दशा में, उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक (1) अतिरिक्त के.एम.पी. को अनुपालन और जोखिम प्रबंधक के रूप में अभिहित किया जाएगा और वह इन विनियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा और एफ.एम.ई. में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीतियां और पद्धतियां सुनिश्चित करेगा।

(3) ऊपर उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अतिरिक्त, रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. (खुदरा) की दशा में, एफ.एम.ई. एक ऐसे अतिरिक्त के.एम.पी. को नियुक्त करेगी, जिसे निधि प्रबंधन के उत्तरदायित्व से अभिहित किया जाएगा।

(4) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) के अधीन उपबंधित ऊपर उल्लिखित प्रधान अधिकारी और अन्य के.एम.पी., आई.एफ.एस.सी. से बाहर आधारित होंगे और वे निम्नलिखित अनुभव पूरा करेंगे:

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था या किसी मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था या संगम से वित्त, विधि, लेखांकन, कारबार प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकन विज्ञान में कोई वृत्तिक अर्हता या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का); या किसी ऐसे संगठन या संस्था या संगम या स्टॉक एक्सचेंज से प्रमाणन, जो प्राधिकरण या भारत में या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में किसी विनियामक द्वारा मान्यताप्राप्त/प्रत्यायित है; और

(ख) प्रतिभूति बाजार या वित्तीय उत्पादों में संबंधित क्रियाकलापों में, जिसके अंतर्गत किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक, ब्रोकर डीलर, निवेश सलाहकार, संपदा प्रबंधक, अनुसंधान विश्लेषक या निधि प्रबंधन भी है, कम से कम पांच(5) वर्ष का अनुभव।

(5) पोर्टफोलियो गठन के संबंध में प्रस्थापना ऐसे व्यक्ति द्वारा आरंभ की जाएगी, जो आई.एफ.एस.सी. में एफ.एम.ई. के कार्यालय में आधारित है।

(6) एफ.एम.ई., अपने प्रचालनों और क्रियाकलापों के आकार के अनुरूप अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करेगी।

(7) इस विनियम के उप-विनियम (1), (2) और (3) के अधीन के.एम.पी. की किसी नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति में कोई परिवर्तन, केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से किया जाएगा।

शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाएं

8. (1) एफ.एम.ई. के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाली कोई इकाई, हर समय इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट शुद्ध संपत्ति संबंधी या ऐसी अन्य रकम संबंधी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(2) एक शाखा के रूप में प्रचालन करने वाली कोई इकाई, आई.एफ.एस.सी. में अपने क्रियाकलापों के लिए हर समय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जिसे मूल इकाई के स्तर पर बनाए रखा जा सकेगा। तथापि, मूल इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि शाखा के लिए उसके दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों।

(3) ऊपर कथित न्यूनतम शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाएं, आई.एफ.एस.सी. के भीतर या उसके बाहर अन्य क्रियाकलापों के लिए लागू न्यूनतम शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं के अतिरिक्त पृथक् होंगी।

उचित और समुचित अपेक्षाएं

9. (1) आवेदक और उसका प्रधान अधिकारी, उसके निदेशक/भागीदार/अभिहित भागीदार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्री शेरधारक हर समय उपयुक्त और उचित व्यक्ति होंगे।

(2) उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति तब उपयुक्त और उचित व्यक्ति समझा जाएगा, यदि :-

(क) ऐसे व्यक्ति का निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के संबंध में अभिलेख है किन्तु वह यहां तक सीमित नहीं है-

(i) वित्तीय सत्यनिष्ठा;

(ii) अच्छी ख्याति और चरित्र; और

(iii) ईमानदारी;

(ख) ऐसे व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई भी निरर्हता उपगत नहीं की है :-

(i) उस व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति संबंधी विधियों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;

(ii) उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी वित्तीय विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई वसूली कार्यवाही संस्थित की गई है और वह अभी लंबित है;

(iii) उस व्यक्ति के विरुद्ध अपकरण के लिए समापन संबंधी कोई आदेश पारित किया गया है;

(iv) उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है;

(v) किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं में व्यवहार करने से या वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं का निर्धारण करने से अवरुद्ध, प्रतिषिद्ध या वर्जित करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है और उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

- (vi) प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई अन्य आदेश पारित किया गया है जिसका संबंध प्रतिभूति बाजार से है और उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (vii) उस व्यक्ति को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त वाला पाया गया है और वह निष्कर्ष प्रवृत्त है;
- (viii) वह व्यक्ति वित्तीय दृष्टि से ठोस नहीं है और उसे जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (ix) उस व्यक्ति को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; या
- (x) ऐसी कोई अन्य निरर्हता, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

अवसंरचना संबंधी अपेक्षाएं

10. (1) इकाई के पास इन विनियमों और उसके अधीन जारी किए गए परिपत्रों के अधीन अपने क्रियाकलापों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक अवसंरचना, जैसे पर्याप्त कार्यालय-स्थान, उपस्कर, संचार सुविधाएं और जनशक्ति है। अवसंरचना संबंधी अपेक्षाएं, आई.एफ.एस.सी. में उसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप होनी चाहिए।
- (2) कार्यालय एफ.एम.ई. के केवल प्राधिकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए समर्पित, सुरक्षित और उपलब्ध होना चाहिए।

जानकारी का प्रस्तुत किया जाना

11. (1) प्राधिकरण, प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदक से स्वयं के संबंध में या निधि की प्रकृति या निधि प्रबंधन के क्रियाकलापों या उससे संसक्त ऐसे किसी विषय के संबंध में, ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (2) यदि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षा की जाती है तो आवेदक प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए उपस्थित होगा।
- (3) यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पूर्व आवेदक के कार्यालय का निरीक्षण कर सकेगा।

आवेदन पर विचार करना और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

12. प्राधिकरण, समस्त जानकारी प्राप्त होने पर और समाधान हो जाने पर आवेदक को, आवेदक द्वारा लागू रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के अधीन रहते हुए समुचित प्रवर्ग के अधीन एफ.एम.ई. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें

13. (1) किसी एफ.एम.ई. को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा –
- (क) एफ.एम.ई., उसका सी.ई.ओ./निदेशक/अभिहित भागीदार/भागीदार, प्रधान अधिकारी/के.एम.पी., इन विनियमों के उपबंधों का और इसके अधीन जारी किए गए परिपत्रों का अनुपालन करेंगे;
- (ख) यदि प्राधिकरण को इससे पूर्व प्रस्तुत की गई कोई जानकारी या विशिष्टियां किसी तात्त्विक दृष्टि से भ्रामक या मिथ्या थीं तो एफ.एम.ई. प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगी; और
- (ग) एफ.एम.ई., इससे पूर्व प्रस्तुत की गई जानकारी या विशिष्टियों में किसी ऐसे तात्त्विक परिवर्तन के बारे में, जिसका संबंध प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण से है, तत्काल प्राधिकरण को सूचित करेगी।
- (2) ऐसी एफ.एम.ई., जिसे किसी विशिष्ट प्रवर्ग के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ही अपने प्रवर्ग में परिवर्तन कर सकती है।

आवेदन का नामंजूर किया जाना

14. (1) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है तो वह आवेदक को कमियों को बारे में संसूचित करेगा और उनमें सुधार करने के लिए तीस(30) दिन का समय देगा।
- (2) यदि आवेदक, विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण के संतोषप्रद रूप में ऐसी कमियों में सुधार करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के इनकार कर सकेगा और आवेदक को ऐसी इनकारी के लिए कारण देते हुए उसकी संसूचना देगा।

विधिमान्यता की अवधि

15. किसी एफ.एम.ई. का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, जब तक कि उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है या उसे एफ.एम.ई. द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता है और प्राधिकरण द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण

16. कोई एफ.एम.ई. अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए प्राधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी।

निधि/स्कीम का गठन

17. (1) कोई एफ.एम.ई. इन विनियमों के अधीन यथा-उपबंधित विभिन्न स्कीमों आरंभ कर सकेगी।

(2) प्रत्येक एफ.एम.ई., किसी स्कीम के दस्तावेज़ फाइल करने से पूर्व, कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड, एल.एल.पी. की दशा में अभिहित भागीदार और न्यास की दशा में न्यासी(जिसके अंतर्गत न्यासी कंपनी की दशा में बोर्ड भी है)(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से "वैश्वासिक" कहा गया है) नियुक्त करेगी।

(3) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि सभी वैश्वासिक, इस अध्याय में यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(4) ऐसी एफ.एम.ई., जिसका आशय खुदरा स्कीमों आरंभ करना है, किसी व्यक्ति को वैश्वासिक के रूप में नियुक्त करने के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(5) वैश्वासिक, तीसरी अनुसूची के भाग ख में यथा-वर्णित आचार संहिता और बाध्यताओं का अनुपालन करेंगे।

अध्याय III**निधि प्रबंधन के लिए स्कीमों****भाग क: उद्यम पूंजी स्कीमों****उद्यम पूंजी स्कीमों**

18. (1) उद्यम पूंजी स्कीमों ऐसी स्कीमों हैं जो ऐसी एफ.एम.ई. द्वारा आरंभ की जा सकती हैं जो प्रमुखतः स्टार्ट-अप, उद्घाटी या ऐसे आरंभिक-प्रक्रम वाले उद्यम पूंजी उपक्रमों की असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में, जो मुख्य रूप से नए उत्पादों, नई सेवाओं, तकनीक या बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार पर आधारित क्रियाकलापों में अंतर्बलित हैं या ऐसे किसी नए कारबार मॉडल या अन्य स्कीमों में निवेश करती हैं जो ऐसी इकाइयों में निवेश करते हैं और इसके अंतर्गत ऐंजल निधि भी है।

(2) इस भाग के अधीन उद्यम पूंजी स्कीमों, प्राधिकरण के समक्ष प्रवर्ग। अनुकल्पी निवेश निधि के अधीन "उद्यम पूंजी निधि" के रूप में फाइल की जाएंगी।

स्पष्टीकरण: स्कीम का अर्थान्वयन, आय-कर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या संबंधित अधिनियमों या किसी अन्य सुसंगत कानून के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, जारी किए गए परिपत्रों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों आदि के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रवर्ग। अनुकल्पी निवेश निधि के रूप में किया जा सकेगा।

प्लेसमेंट ज्ञापन का फाइल किया जाना

19. (1) कोई एफ.एम.ई., प्राधिकरण के समक्ष, प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट आवेदन फीस सहित प्लेसमेंट ज्ञापन फाइल करके प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उद्यम पूंजी स्कीमों आरंभ कर सकेगी।

(2) ऐसी उद्यम पूंजी स्कीमों के लिए स्कीम दस्तावेज़ किसी ग्रीन चैनल के अधीन फाइल किए जाएंगे, अर्थात् फाइल की गई स्कीमों प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने पर तुरंत निवेशकों द्वारा अभिदान करने के लिए खोली जा सकती हैं।

(3) उद्यम पूंजी स्कीम आरंभ करने के लिए प्लेसमेंट ज्ञापन की विधिमान्यता, प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने की तारीख से छह(6) मास होगी।

(4) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि प्लेसमेंट ज्ञापन में दी गई जानकारी में किसी तात्विक परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित किया जाए।

पात्र निवेशक

20. (1) उद्यम पूंजी स्कीमों में पचास(50) से कम निवेशक होंगे।

(2) प्रत्यायित निवेशकों या 2,50,000 अमरीकी डॉलर से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों को ऐसी स्कीमों में निवेश करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु ऐसे निवेशकों की दशा में, जो एफ.एम.ई. के कर्मचारी या निदेशक या अभिहित भागीदार/भागीदार हैं, निवेश का न्यूनतम मूल्य 60,000 अमरीकी डॉलर होगा:

परन्तु यह और कि न्यूनतम निवेश की सीमा किसी प्रत्यायित निवेशक और एफ.एम.ई. के कर्मचारियों या निदेशकों या अभिहित भागीदारों या भागीदारों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: ऐसी रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई., जिसका आशय पचास(50) से अधिक निवेशकों को लक्ष्य बनाने के लिए या 1,50,000 अमरीकी डॉलर के निम्नतर आवेदन आकार के साथ निवेश करने वाले निवेशकों से धन संयोजित करने के लिए उद्यम पूंजी स्कीमें प्रारंभ करना है, इस अध्याय के भाग ख के अधीन यथा-उपबंधित निर्बंधित स्कीमों के अधीन ऐसा करने के लिए समर्थ होगी।

स्कीम की प्रकृति और उसका ढांचा

21. (1) उद्यम पूंजी स्कीमें केवल सीमित अवधि की स्कीमें होंगी और अधिकतम अवधि तथा जुटाई जाने वाली रकम का विनिश्चय आरंभ में किया जाएगा और उसे प्लेसमेंट ज्ञापन में प्रकट किया जाएगा। किसी सीमित अवधि वाली स्कीम की न्यूनतम अवधि तीन (3) वर्ष होगी।

(2) सीमित अवधि वाली स्कीमों की अवधि में विस्तार, उद्यम पूंजी स्कीम में निवेशकों के निवेश मूल्य द्वारा दो-तिहाई(2/3) निवेशकों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए दो(2) वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परन्तु दो(2) वर्ष से परे किसी अतिरिक्त विस्तारण के बारे में निवेशकों की अभिव्यक्त सम्मति के अधीन रहते हुए विचार किया जा सकेगा और शेष निवेशकों को स्कीम से निकलने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) उद्यम पूंजी स्कीमों का गठन आई.एफ.एस.सी. में, कंपनी या एल.एल.पी. या भारत की लागू विधियों के अधीन न्यास के रूप में किया जाएगा।

अनुज्ञेय निवेश

22. (1) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई उद्यम पूंजी स्कीम अपनी किसी भी स्कीम के अधीन संगृहीत धन को केवल निम्नलिखित में निवेश कर सकेगी :-

(क) असूचीबद्ध इकाइयों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियां, जो भारत में, आई.एफ.एस.सी. या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध की जानी हैं या उनमें व्यापार किया जाना है;

(ग) धनीय बाजार लिखतें;

(घ) ऋण प्रतिभूतियां;

(ङ) प्रतिभूत ऋण लिखतें, जो या तो आस्ति समर्थित या बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां हैं;

(च) प्लेसमेंट ज्ञापन में समुचित प्रकटन के अधीन रहते हुए, आई.एफ.एस.सी., भारत और विदेशी अधिकार-क्षेत्र में स्थापित अन्य उद्यम पूंजी स्कीमें;

(छ) भारत, आई.एफ.एस.सी. या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में पारस्परिक निधियों और अनुकल्पी निवेश निधियों के यूनिट;

(ज) सीमित दायित्व भागीदारियों में निवेश; या

(झ) ऐसी अन्य प्रतिभूतियां या वित्तीय उत्पाद/आस्तियां या लिखतें, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

परन्तु एफ.एम.ई., धन के नियोजन के लंबित रहते समय, निक्षेप-पत्रों, निवेश स्कीमों के यूनिटों, जैसे नकदी या धनीय बाजार स्कीमों, धनीय बाजार लिखतों या ऐसी किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों या लिखतों में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, धन का निवेश कर सकेगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किया गया कोई भी निवेश, सुसंगत उद्यम पूंजी स्कीम के निवेश संबंधी उद्देश्यों और प्लेसमेंट ज्ञापन में किए गए प्रकटनों के अनुसार होगा।

निवेश संबंधी निर्बंधन और स्कीम कार्पस

23. (1) उद्यम पूंजी स्कीमों की दशा में कार्पस का न्यूनतम आकार 5 मिलियन अमरीकी डॉलर होगा। उद्यम पूंजी स्कीमों का कुल कार्पस 200 मिलियन डॉलर से अधिक नहीं होगा।

(2) उद्यम पूंजी स्कीम, स्कीम में मूल्यानुसार पचहत्तर प्रतिशत (75%) निवेशकों के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए अपनी सहयुक्त इकाइयों में निवेश कर सकेगी।

(3) उद्यम पूंजी स्कीमों में, कम से कम 80 प्रतिशत ए.यू.एम. का निवेश, दस (10) वर्ष से कम के लिए निगमित निवेशकर्ता की कंपनियों या अन्य उद्यम पूंजी स्कीमों में करेंगी।

निवेशकों को प्रकटन

24. (1) उद्यम पूंजी स्कीमों के लिए प्लेसमेंट ज्ञापन में, निवेश संबंधी उद्देश्य, लक्ष्यित निवेशकों, प्रस्तावित कार्पस, निवेश की शैली या रणनीति, निवेश की पद्धति, स्कीम की प्रस्तावित अवधि, प्रस्तावित फीस और व्यय, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, एफ.एम.ई. के के.एम.पी. और एफ.एम.ई. और स्कीम के अन्य सुसंगत ब्यारों के संबंध में प्रकटन शामिल होंगे। एफ.एम.ई. और वैश्वासिक प्रकटन संबंधी उन अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(2) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि स्कीम के अधीन पोर्टफोलियो और शुद्ध आस्ति मूल्य(एन.ए.वी.) का प्रकटन निवेशकों को कम से कम वार्षिक आधार पर कर दिया जाए।

(3) उपर्युक्त प्रकटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक(1) मास के भीतर किए जाएंगे।

(4) ऐसे किसी अन्य तात्विक प्रकटन के बारे में, जो एफ.एम.ई. या वैश्वसिकों द्वारा उपयुक्त समझा जाए, निवेशकों को तुरंत सूचित किया जाएगा।

उधार

25. कोई उद्यम पूंजी स्कीम निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए निधियां उधार ले सकेगी या लीवरेजिंग क्रियाकलापों में शामिल हो सकेगी:

(क) स्कीम द्वारा अधिकतम लीवरेज, लीवरेज की संगणना करने की पद्धति सहित, प्लेसमेंट ज्ञापन में प्रकट किया जाएगा;

(ख) लीवरेज का प्रयोग प्लेसमेंट ज्ञापन में किए गए प्रकटनों के अनुसार किया जाएगा और कोई भी विचलन मूल्यानुसार दो-तिहाई(2/3) निवेशकों की सम्मति के अधीन होगा; और

(ग) लीवरेज का उपयोग करने वाली एफ.एम.ई. में, स्कीम के आकार, उसकी जटिलता और उसके जोखिम प्रोफाइल के अनुसार उपयुक्त एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा होगा।

मूल्यांकन

26. (1) एफ.एम.ई. और वैश्वसिक, छठी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) स्कीम की आस्तियों का मूल्यांकन किसी स्वतंत्र पर-व्यक्ति सेवा प्रदाता द्वारा, जैसे प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत कोई निधि प्रशासक या अभिरक्षक, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत किसी मूल्यांकक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप किया जाएगा।

एन.ए.वी. की संगणना

27. (1) एफ.एम.ई. प्रत्येक उद्यम पूंजी स्कीम की एन.ए.वी. की संगणना कम से कम वार्षिक आधार पर करेगी।

(2) एन.ए.वी. की संगणना करने की प्रक्रिया और पद्धति का पूर्ण रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और ऐसे दस्तावेजीकरण का नियमित रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

एफ.एम.ई. द्वारा स्कीम में अंशदान

28. (1) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि किसी उद्यम पूंजी स्कीम के अधीन, एफ.एम.ई. या उसकी सहयुक्त :-

(क) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम लक्षित कार्पस वाली किसी स्कीम में लक्षित कार्पस का कम से कम 2.5 प्रतिशत और लक्षित कार्पस का अधिकतम 10 प्रतिशत;

(ख) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक लक्षित कार्पस वाली किसी स्कीम में कम से कम 7,50,000 अमरीकी डॉलर और लक्षित कार्पस का अधिकतम 10 प्रतिशत;

निवेश करेगी:

परन्तु भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत स्कीमों के आई.एफ.एस.सी. में स्थान-परिवर्तन की दशा में, एफ.एम.ई. द्वारा अंशदान करना आज्ञापक नहीं होगा।

(2) स्कीम में निवेशक के निवेश के अनुपात में उक्त अंशदान, एफ.एम.ई. या उसकी सहयुक्त इकाई द्वारा पैतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा और उसे सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा:

परन्तु पैतालीस (45) दिनों की अवधि को, प्राधिकरण के समाधान के अधीन रहते हुए विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) उक्त अंशदान, यदि वह एफ.एम.ई. द्वारा लाया जाता है, अध्याय II के अधीन यथा-वर्णित शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं के प्रयोजनार्थ शामिल किया जाएगा।

(4) उक्त अंशदान तब छूटप्राप्त होगा यदि -

(क) स्कीम में मूल्यानुसार कम से कम दो-तिहाई(2/3) निवेशक ऐसे अंशदान का अधित्यजन अनुज्ञात करते हैं;

(ख) स्कीम में कम से कम दो-तिहाई (2/3) निवेशक प्रत्यायित निवेशक हैं; या

(ग) स्कीम ऐसी निधि स्कीम की निधि है जो ऐसी स्कीम में निवेश कर रही है जिसकी ऐसी अपेक्षाएं समरूप हैं।

सह-निवेश और लीवरेज

29. (1) कोई उद्यम पूंजी स्कीम, इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ढांचे के अधीन किसी विशेष प्रयोजन यान(एस.पी.वी.) के माध्यम से या पृथक् वर्ग के यूनिट जारी करके पृथक्कृत पोर्टफोलियों के माध्यम से अनुज्ञेय निवेश में मिलकर निवेश कर सकेगी।

(2) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि:-

(क) ऐसे पृथक्कृत पोर्टफोलियो द्वारा निवेश, किसी भी परिस्थिति में, उन निबंधनों के आधार पर किया जाएगा जो उद्यम पूंजी स्कीम के सामान्य पोर्टफोलियो को प्रस्थापित निबंधनों से अधिक अनुकूल हैं; और

(ख) प्लेसमेंट ज्ञापन में पृथक्कृत पोर्टफोलियों के सृजन के संबंध में समुचित प्रकटन किए गए हैं।

(3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित कोई एस.पी.वी., प्लेसमेंट ज्ञापन में यथा-प्रकटित लीवरेज कार्य कर सकेगा।

भाग ख: निर्बंधित स्कीमें (गैर-खुदरा स्कीमें)**निर्बंधित स्कीमें (गैर-खुदरा स्कीमें)**

(1) निर्बंधित स्कीमें वे स्कीमें हैं जो रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. द्वारा निम्नलिखित के लिए विभिन्न निवेश संबंधी रणनीतियों के लिए प्रारंभ की जा सकेंगी :-

(क) स्टार्ट-अप या आरंभिक प्रक्रम वाले उद्यमों या सामाजिक उद्यमों या एस.एम.ई. या अवसंरचना या अन्य सेक्टरों या क्षेत्रों में निवेश करने के लिए, जिन्हें सरकार या विनियामक सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से वांछनीय समझे और इसके अंतर्गत उद्यम पूंजी निधियां, एस.एम.ई. निधियां, सामाजिक उद्यम निधियां, अवसंरचना निधियां, ई.एस.जी. निधियां, विशेष स्थिति निधियां (जैसा इस अध्याय के भाग घ में वर्णित है) और ऐसी अन्य स्कीमें/निधियां हैं, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे। इस खंड के अंतर्गत आने वाली स्कीमें, सीमित अवधि वाली स्कीमें होंगी और वे प्राधिकरण के समक्ष प्रवर्ग। अनुकल्पी निवेश निधि के रूप में फाइल की जाएंगी।

स्पष्टीकरण I: स्कीम का अर्थान्वयन, आय-कर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या संबंधित अधिनियमों या किसी अन्य सुसंगत कानून के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, जारी किए गए परिपत्रों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों आदि के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रवर्ग। अनुकल्पी निवेश निधि के रूप में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण II: इस भाग के अधीन उद्यम पूंजी निधियों के लिए इन विनियमों के अध्याय III के भाग क के अधीन यथा-उपबंधित उद्यम पूंजी स्कीमों के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना अपेक्षित नहीं होगा।

(ख) विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों के लिए निवेश करना, जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध या असूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में और दीर्घकालीन वित्तपोषण के अधीन अनुज्ञात निवेशों के लिए निवेश करना भी है। इस खंड के अधीन स्कीमें प्राधिकरण के समक्ष प्रवर्ग III अनुकल्पी निवेश निधि के रूप में फाइल की जाएंगी। ऐसी स्कीमें असीमित अवधि वाली या सीमित अवधि वाली स्कीमें के रूप में, जैसा इस अध्याय के अधीन उपबंधित है, प्रारंभ की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण: स्कीम का अर्थान्वयन, आय-कर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या संबंधित अधिनियमों या किसी अन्य सुसंगत कानून के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, जारी किए गए परिपत्रों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों आदि के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रवर्ग III अनुकल्पी निवेश निधि के रूप में किया जा सकेगा। ऐसी स्कीमें, इस अध्याय के अधीन यथा-उपबंधित असीमित अवधि वाली या सीमित अवधि वाली स्कीमों के रूप में प्रारंभ की जाएंगी।

(ग) ऐसे निवेश के लिए, जो ऊपर खंड (क) और खंड (ख) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस खंड के अधीन स्कीमें, प्राधिकरण के समक्ष प्रवर्ग II अनुकल्पी निवेश निधि के रूप में फाइल की जाएंगी। ऐसी स्कीम, इस अध्याय के अधीन यथा-उपबंधित सीमित अवधि वाली स्कीम के रूप में प्रारंभ की जाएगी।

स्पष्टीकरण: स्कीम का अर्थान्वयन, आय-कर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या संबंधित अधिनियमों या किसी अन्य सुसंगत कानून के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, जारी किए गए परिपत्रों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों आदि के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रवर्ग II अनुकल्पी निवेश निधि के रूप में किया जा सकेगा।

पात्र एफ.एम.ई. और प्लेसमेंट ज्ञापन का फाइल किया जाना

31. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई., स्कीम प्रारंभ किए जाने से इक्कीस (21) कार्यदिवस पूर्व प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट आवेदन फीस सहित, प्राधिकरण के समक्ष प्लेसमेंट ज्ञापन फाइल करके प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निर्बंधित स्कीमें प्रारंभ कर सकेंगी।

(2) प्राधिकरण, संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त होने के इक्कीस (21) कार्य दिवसों के भीतर एफ.एम.ई. को अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हैं, संसूचित करने का प्रयत्न करेगा और एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि स्कीम को प्रारंभ करने से पूर्व उन टिप्पणियों को प्लेसमेंट ज्ञापन में सम्यक् रूप से सम्मिलित कर लिया जाए।

परन्तु स्कीम को प्रारंभ करने के लिए प्लेसमेंट ज्ञापन की विधिमान्यता, प्राधिकरण के समक्ष फाइल करने की तारीख से छह(6) मास या प्राधिकरण के प्रेक्षण पत्र की तारीख, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्वी हो, होगी।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन अपेक्षा, ऐसी निर्बंधित स्कीमों के लिए लागू नहीं होगी जो केवल प्रत्यायित निवेशकों से धन की ईप्सा कर रही हैं, अर्थात्, ऐसी निर्बंधित स्कीमों किसी ग्रीन चैनल के अधीन होंगी और वे प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने के तुरंत बाद निवेशकों से अभिदान के लिए खोली जा सकती हैं।

(4) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि प्लेसमेंट ज्ञापन में प्रदान की गई जानकारी में किसी तात्विक परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा।

पात्र निवेशक

32. (1) निर्बंधित स्कीमों में एक हजार(1000) से कम या उतनी संख्या में निवेशक होंगे, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्रत्यायित निवेशक या 1,50,000 अमरीकी डॉलर से अधिक निवेश करने वाले निवेशक ऐसी स्कीमों में निवेश कर सकेंगे:

परन्तु ऐसे निवेशकों की दशा में, जो एफ.एम.ई. के कर्मचारी या निदेशक या अभिहित भागीदार या भागीदार हैं, निवेश का न्यूनतम मूल्य 40,000 अमरीकी डॉलर होगा।

परन्तु यह और कि न्यूनतम निवेश की सीमा किसी प्रत्यायित निवेशक और एफ.एम.ई. के कर्मचारियों या निदेशकों या अभिहित भागीदारों या भागीदारों को लागू नहीं होगी।

स्कीम की प्रकृति और उसका ढांचा

33. (1) निर्बंधित स्कीमों असीमित अवधि या सीमित अवधि वाली स्कीमों के रूप में प्रारंभ की जा सकेंगी, अधिकतम अवधि तथा जुटाई जाने वाली रकम का विनिश्चय आरंभ में किया जाएगा और उसे प्लेसमेंट ज्ञापन में प्रकट किया जाएगा। किसी सीमित अवधि वाली स्कीम की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी।

(2) सीमित अवधि वाली निर्बंधित स्कीमों की अवधि में विस्तार, निर्बंधित स्कीम में निवेशकों के निवेश मूल्य द्वारा दो-तिहाई(2/3) निवेशकों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए दो(2) वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परन्तु दो (2) वर्ष से परे किसी अतिरिक्त विस्तारण के बारे में निवेशकों की अभिव्यक्त सम्मति के अधीन रहते हुए विचार किया जा सकेगा और अन्य निवेशकों को स्कीम से निकलने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) निर्बंधित स्कीमों का गठन आई.एफ.एस.सी. में, कंपनी या एल.एल.पी. या भारत की लागू विधियों के अधीन न्यास के रूप में किया जाएगा।

अनुज्ञेय निवेश

34. (1) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई निर्बंधित स्कीम अपनी किसी भी स्कीम के अधीन संयोजित धन को केवल निम्नलिखित में निवेश कर सकेगी:-

(क) असूचीबद्ध इकाइयों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियां, जो भारत में, आई.एफ.एस.सी. या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध की जानी हैं या उनमें व्यापार किया जाना है;

(ग) धनीय बाजार लिखतें;

(घ) ऋण प्रतिभूतियां;

(ङ) प्रतिभूत ऋण लिखतें, जो या तो आस्ति समर्थित या बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां हैं;

(च) प्लेसमेंट ज्ञापन में समुचित प्रकटन के अधीन रहते हुए, आई.एफ.एस.सी., भारत और विदेशी अधिकार-क्षेत्र में स्थापित अन्य निवेश स्कीमों;

(छ) प्लेसमेंट ज्ञापन में समुचित प्रकटन के अधीन रहते हुए, डेरिवेटिव्स, जिसके अंतर्गत वस्तु डेरिवेटिव्स भी हैं;

(ज) भारत और विदेशी अधिकार-क्षेत्र में पारस्परिक निधियों और अनुकल्पी निवेश निधियों के यूनिट;

(झ) सीमित दायित्व भागीदारियों में निवेश;

(ञ) ऐसी अन्य प्रतिभूतियां या वित्तीय आस्तियां या लिखतें, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु एफ.एम.ई., धन के नियोजन के लंबित रहते समय, निक्षेप-पत्रों, निवेश स्कीमों के यूनिटों, जैसे नकदी या धनीय बाजार स्कीमों, धनीय बाजार लिखतों या ऐसी किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों या लिखतों में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, धन का निवेश कर सकेगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किया गया कोई भी निवेश, सुसंगत स्कीम के निवेश संबंधी उद्देश्यों और प्लेसमेंट ज्ञापन में किए गए प्रकटनों के अनुसार होगा।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीमित अवधि वाली कोई स्कीम, बीस प्रतिशत (20%) तक कार्पस अन्य भौतिक आस्तियों, जैसे भू-संपदा, बुलियन, कला या अन्य ऐसी भौतिक आस्ति, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, में निवेश कर सकेगी।

निवेश संबंधी निर्बंधन और स्कीम कार्पस

35. (1) असीमित अवधि वाली किसी स्कीम की दशा में, असूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों में अधिकतम निवेश, स्कीम के कार्पस के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) निर्बंधित स्कीमों का न्यूनतम आकार 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होगा।

(3) निर्बंधित स्कीमों में, स्कीम में मूल्यानुसार पचहत्तर प्रतिशत (75%) निवेशकों के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए सहयुक्त कंपनियों में निवेश कर सकेगी।

निवेशकों को प्रकटन

36. (1) निर्बंधित स्कीमों के लिए प्लेसमेंट ज्ञापन में, निवेश संबंधी उद्देश्य, लक्षित निवेशकों, प्रस्तावित कार्पस, निवेश की शैली या रणनीति, निवेश की पद्धति, स्कीम की प्रस्तावित अवधि, प्रस्तावित फीस और व्यय, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, एफ.एम.ई. के.के.एम.पी. और एफ.एम.ई. और स्कीम के अन्य सुसंगत ब्यारों के संबंध में प्रकटन शामिल होंगे। एफ.एम.ई. और वैश्वासिक, प्रकटन संबंधी उन अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(2) निधि की रणनीति में कोई तात्विक विचलन या परिवर्तन मूल्यानुसार कम से कम दो-तिहाई (2/3) निवेशकों की सम्मति से किया जाना चाहिए।

(3) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को एन.ए.वी. का प्रकटन, असीमित अवधि वाली किसी स्कीम की दशा में, कम से कम मासिक आधार पर और सीमित अवधि वाली किसी स्कीम की दशा में छमाही आधार पर कर दिया जाए।

(4) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को स्कीम के अधीन पोर्टफोलियों का प्रकटन, कम से कम तिमाही आधार पर, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से एक मास के भीतर कर दिया जाए।

(5) ऐसे किसी अन्य तात्विक प्रकटन के बारे में, जो एफ.एम.ई. या वैश्वासिकों द्वारा उपयुक्त समझा जाए, निवेशकों को तुरंत सूचित किया जाएगा।

उधार

37. कोई निर्बंधित स्कीम निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए निधियां उधार ले सकेगी या लीवरेजिंग क्रियाकलापों में शामिल हो सकेगी:-

(क) स्कीम द्वारा अधिकतम लीवरेज, लीवरेज की संगणना करने की पद्धति सहित, प्लेसमेंट ज्ञापन में प्रकट किया जाएगा;

(ख) लीवरेज का प्रयोग प्लेसमेंट ज्ञापन में किए गए प्रकटनों के अनुसार किया जाएगा और कोई भी विचलन मूल्यानुसार दो-तिहाई निवेशकों की सम्मति के अधीन होगा; और

(ग) लीवरेज का उपयोग करने वाली एफ.एम.ई. में, निधि के आकार, उसकी जटिलता और उसके जोखिम प्रोफाइल के उपयुक्त एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा होगा।

मूल्यांकन

38. (1) एफ.एम.ई. और वैश्वासिक, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) स्कीम की आस्तियों का मूल्यांकन, निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप किसी स्वतंत्र पर-व्यक्ति सेवा प्रदाता द्वारा, जैसे प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत कोई निधि प्रशासक या अभिरक्षक, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत किसी मूल्यांकक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा।

एन.ए.वी. की संगणना

39. (1) एफ.एम.ई., प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्कीम की एन.ए.वी. की संगणना कम से कम मासिक आधार पर करेगी:

परन्तु सीमित अवधि वाली किसी निर्बंधित स्कीम की दशा में, एन.ए.वी. की संगणना कम से कम छमाही आधार पर की जाएगी।

(2) एन.ए.वी. की संगणना करने की प्रक्रिया और पद्धति का पूर्ण रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और ऐसे दस्तावेजीकरण का नियमित रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

एफ.एम.ई. द्वारा स्कीम में अंशदान

40. एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि किसी निर्बंधित स्कीम के अधीन, एफ.एम.ई. या उसकी सहयुक्त,-

(क) सीमित अवधि वाली किसी स्कीम की दशा में,

(i) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम लक्षित कार्पस वाली किसी स्कीम में लक्षित कार्पस का कम से कम 2.5 प्रतिशत और लक्षित कार्पस का अधिकतम 10 प्रतिशत;

(ii) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक लक्षित कार्पस वाली किसी स्कीम में कम से कम 7,50,000 अमरीकी डॉलर और लक्षित कार्पस का अधिकतम 10 प्रतिशत;

(ख) असीमित अवधि वाली किसी स्कीम की दशा में,

(i) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम लक्षित कार्पस वाली किसी स्कीम में लक्षित कार्पस का कम से कम 5 प्रतिशत और लक्षित कार्पस का अधिकतम 10 प्रतिशत;

(ii) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक लक्षित कार्पस वाली किसी स्कीम में कम से कम 1,500,000 अमरीकी डॉलर और लक्षित कार्पस का अधिकतम 10 प्रतिशत;

निवेश करेगी:

परन्तु भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत स्कीमों के आई.एफ.एस.सी. में स्थान-परिवर्तन की दशा में, एफ.एम.ई. द्वारा अंशदान करना आज्ञापक नहीं होगा।

(2) स्कीम में निवेशक के निवेश के अनुपात में उक्त अंशदान, एफ.एम.ई. या उसकी सहयुक्त इकाई द्वारा पैंतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा और उसे सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा:

परन्तु पैंतालीस (45) दिनों की अवधि को प्राधिकरण के समाधान के अधीन रहते हुए विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) उक्त अंशदान, यदि वह एफ.एम.ई. द्वारा लाया जाता है, अध्याय II के अधीन यथा-वर्णित शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं के प्रयोजनार्थ शामिल किया जाएगा।

(4) उक्त अंशदान तब छूटप्राप्त होगा यदि :-

(क) स्कीम में मूल्यानुसार कम से कम दो-तिहाई (2/3) निवेशक ऐसे अंशदान का अधित्यजन अनुज्ञात करते हैं;

(ख) स्कीम में कम से कम दो-तिहाई (2/3) निवेशक प्रत्यायित निवेशक हैं; या

(ग) स्कीम ऐसी निधि स्कीम की निधि है जो ऐसी स्कीम में निवेश कर रही है जिसकी ऐसी अपेक्षाएं समरूप हैं।

सह-निवेश और लीवरेज

41. (1) कोई निर्बंधित स्कीम, इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ढांचे के अधीन किसी एस.पी.वी. के माध्यम से या पृथक् वर्ग के यूनिट जारी करके पृथक्कृत पोर्टफोलियों के माध्यम से, अनुज्ञेय निवेशों में मिलकर निवेश कर सकेगी।

(2) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि:-

(क) ऐसे पृथक्कृत पोर्टफोलियो द्वारा निवेश, किसी भी परिस्थिति में, उन निबंधनों के आधार पर किया जाएगा जो निर्बंधित स्कीम के सामान्य पोर्टफोलियो को प्रस्थापित निबंधनों से अधिक अनुकूल हैं; और

(ख) प्लेसमेंट ज्ञापन में पृथक्कृत पोर्टफोलियों के सृजन के संबंध में समुचित प्रकटन किए गए हैं।

(3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित कोई एस.पी.वी., प्लेसमेंट ज्ञापन में यथा-प्रकटित लीवरेज कार्य कर सकेगा।

भाग ग: खुदरा स्कीमें**खुदरा स्कीमें**

42. खुदरा स्कीमें वे स्कीमें होती हैं जो रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(खुदरा) द्वारा विभिन्न अनुज्ञेय निवेशों में उसके कथित निवेश संबंधी उद्देश्य के अनुसार निवेश के लिए किसी प्रस्थापना दस्तावेज़ के माध्यम से सभी निवेशकों या निवेशकों के एक वर्ग से धन संयोजन के लिए प्रारंभ की जाएगी।

पात्र एफ.एम.ई. और प्रस्थापना दस्तावेज़ का फाइल किया जाना

43. (1) कोई स्कीम तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि स्कीम के प्रारंभ किए जाने से कम से कम इक्कीस (21) कार्य दिवस पूर्व लागू आवेदन फीस सहित प्राधिकरण के समक्ष प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ फाइल नहीं कर दिया जाता है।

(2) स्कीम प्रारंभ करने के लिए प्रस्थापना दस्तावेज़ की विधिमान्यता, प्राधिकरण के प्रेक्षण पत्र की तारीख से बारह(12) मास होगी।

(3) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि स्कीम प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण की टिप्पणियों को प्रस्थापना दस्तावेज़ में शामिल कर लिया जाए।

(4) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ में प्रदान की गई जानकारी में कोई तात्विक परिवर्तन, प्राधिकरण को तुरंत सूचित कर दिए जाएं।

(5) कोई भी खुदरा स्कीम प्राधिकरण के समक्ष तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि उसे वैश्वसिकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

निवेशकों की न्यूनतम संख्या

44. खुदरा स्कीमों में कम से कम बीस (20) निवेशक होंगे जिनमें से कोई एकल निवेशक किसी स्कीम में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक निवेश नहीं करेगा:

परन्तु इस शर्त का अनुपालन, प्रस्थापना के बन्द होने से अधिकतम छह(6) मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्कीम की प्रकृति और उसका ढांचा

45. (1) खुदरा स्कीमों में असीमित अवधि वाली या सीमित अवधि वाली स्कीमों हो सकेंगी। सीमित अवधि वाली स्कीमों की दशा में, अधिकतम अवधि का विनिश्चय आरंभ में किया जाएगा और उसे प्लेसमेंट ज्ञापन में प्रकट किया जाएगा। सीमित अवधि वाली किसी स्कीम की न्यूनतम अवधि तीन (3) वर्ष होगी।

(2) सीमित अवधि वाली स्कीमों की अवधि में विस्तार, स्कीम में निवेशकों के निवेश मूल्य द्वारा दो-तिहाई (2/3) निवेशकों के अनुमोदन और प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन रहते हुए दो (2) वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) खुदरा स्कीमों का गठन आई.एफ.एस.सी. में, कंपनी या भारत की लागू विधियों के अधीन न्यास के रूप में किया जाएगा।

(4) खुदरा स्कीमों, उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, निवेश संबंधी विभिन्न रणनीतियों के लिए, जिसके अंतर्गत सामाजिक उद्यमों, अवसंरचना, ई.एस.जी. सेक्टर (ई.एस.जी. स्कीमों), विनिर्दिष्ट सेक्टर(सेक्टर संबंधी स्कीमों), कतिपय थीम, जैसे अवसंरचना (थीम संबंधी स्कीमों), कतिपय आस्ति वर्ग(साम्या स्कीमों, ऋण स्कीमों, आदि) के लिए या उनके संयोजन के रूप में या कतिपय समाधान मद्धे (सेवानिवृत्ति स्कीमों, बाल शिक्षा के लिए स्कीमों आदि) प्रारंभ की जा सकेंगी।

अनुज्ञेय निवेश

46. (1) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई खुदरा स्कीम अपनी किसी भी स्कीम के अधीन संगृहीत धन को केवल निम्नलिखित में निवेश कर सकेगी:-

(क) ऐसी प्रतिभूतियां, जो आई.एफ.एस.सी., भारत या विदेशी अधिकार-क्षेत्रों में के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध की जानी हैं या उनमें व्यापार किया जाना है;

(ख) असूचीबद्ध इकाइयों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां;

(ग) धनीय बाजार लिखतें;

(घ) ऋण प्रतिभूतियां;

(ङ) प्रतिभूत ऋण लिखतें, जो या तो आस्ति समर्थित या बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां हैं;

(च) प्रस्थापना दस्तावेज़ में समुचित प्रकटन के अधीन रहते हुए, आई.एफ.एस.सी., भारत और विदेशी अधिकार-क्षेत्र में स्थापित अन्य निवेश स्कीमों;

(छ) प्रस्थापना दस्तावेज़ में उपयुक्त प्रकटन के अधीन रहते हुए, केवल बचाव व्यवस्था(हेजिंग) के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव्स, जिसके अंतर्गत वस्तु डेरिवेटिव्स भी हैं;

(ज) भारत और विदेशी अधिकार-क्षेत्र में पारस्परिक निधियों और अनुकल्पी निवेश निधियों के यूनिट; या

(झ) ऐसी अन्य प्रतिभूतियां या वित्तीय उत्पाद/आस्तियां या लिखतें, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु एफ.एम.ई., धन के नियोजन के लंबित रहते समय, निक्षेप-पत्रों, निवेश स्कीमों के यूनिटों, जैसे नकदी या धनीय बाजार स्कीमों, धनीय बाजार लिखतों या ऐसी किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों या लिखतों में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, धन का निवेश कर सकेगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किया गया कोई भी निवेश, सुसंगत खुदरा स्कीम के निवेश संबंधी उद्देश्यों और प्लेसमेंट ज्ञापन में किए गए प्रकटनों के अनुसार होगा।

निवेश संबंधी निर्बंधन और स्कीम कार्पस

47. (1) असीमित अवधि वाली स्कीमों की दशा में, असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अधिकतम निवेश, स्कीमों के कुल ए.यू.एम. के पन्द्रह प्रतिशत(15%) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) ऐसी सीमित अवधि वाली स्कीमों की दशा में, जो असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में पन्द्रह प्रतिशत (15%) से अधिक निवेश कर रही हैं, किसी निवेशक द्वारा निवेश की न्यूनतम रकम 10,000 अमरीकी डॉलर होगी:

परन्तु सीमित अवधि वाली कोई स्कीम असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में पचास प्रतिशत (50%) से अधिक निवेश नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण: ऐसी खुदरा स्कीमों के लिए, जो असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में पन्द्रह प्रतिशत (15%) से कम निवेश कर रही हैं, 10,000 अमरीकी डॉलर की न्यूनतम निवेश रकम लागू नहीं होगी।

(3) खुदरा स्कीमों, किसी एक कंपनी में अपने ए.यू.एम. के दस प्रतिशत (10%) से अधिक निवेश नहीं करेंगी:

परन्तु खुदरा स्कीम, वैश्वसिकों के पूर्व अनुमोदन से किसी एकल कंपनी में पन्द्रह प्रतिशत (15%) तक निवेश कर सकेगी:

परन्तु यह और कि सूचकांक स्कीमों की दशा में, एकल कंपनी की सीमा लागू नहीं होगी।

(4) खुदरा स्कीमों, किसी एकल सेक्टर में अपने ए.यू.एम. के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक निवेश नहीं करेंगी:

परन्तु किसी वित्तीय सेवा सेक्टर की दशा में, यह रकम स्कीम के ए.यू.एम. के पचास प्रतिशत (50%) से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी सेक्टर संबंधी या थीम संबंधी या किसी सूचकांक स्कीम की दशा में, सेक्टर संबंधी अधिकतम रकम की सीमाएं लागू नहीं होंगी।

(5) खुदरा स्कीमों, अपनी सहयुक्त में ए.यू.एम. के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक निवेश नहीं करेंगी।

(6) खुदरा स्कीमों का न्यूनतम आकार 5 मिलियन अमरीकी डॉलर होगा।

प्रकटन

48. (1) खुदरा स्कीमों के प्रस्थापना दस्तावेज़ में ऐसे समस्त प्रकटनों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा जो निवेशकों के लिए ऐसी स्कीमों में निवेश करने के संबंध में विनिश्चय करने के लिए तात्विक हैं।

(2) प्रस्थापना दस्तावेज़ में किए जाने वाले प्रकटनों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश संबंधी उद्देश्य, लक्षित निवेशकों, प्रस्तावित कार्पस, निवेश की शैली या रणनीति, निवेश की पद्धति, स्कीम की प्रस्तावित अवधि, प्रस्तावित फीस और व्यय, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, एफ.एम.ई. के के.एम.पी. और एफ.एम.ई. और स्कीम के अन्य सुसंगत व्यापारों के संबंध में प्रकटन शामिल होंगे। एफ.एम.ई. और वैश्वसिक, प्रस्थापना दस्तावेज़ में प्रकटन संबंधी उन अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(3) निधि की रणनीति में कोई तात्विक विचलन या परिवर्तन मूल्यानुसार कम से कम दो-तिहाई(2/3) निवेशकों की सम्मति से किया जाना चाहिए।

(4) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को एन.ए.वी. का प्रकटन, असीमित अवधि वाली किसी स्कीम की दशा में, दैनिक आधार पर और सीमित अवधि वाली किसी स्कीम की दशा में साप्ताहिक आधार पर कर दिया जाए।

(5) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को स्कीम के अधीन पोर्टफोलियों का प्रकटन, कम से कम तिमाही आधार पर, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से एक(1) मास के भीतर कर दिया जाए।

(6) ऐसे किसी अन्य तात्विक प्रकटन के बारे में, जो एफ.एम.ई. या वैश्वसिकों द्वारा उपयुक्त समझा जाए, निवेशकों को तुरंत सूचित किया जाएगा।

उधार

49. कोई खुदरा स्कीम, मोचन के प्रयोजनार्थ नकदी संबंधी अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय, उधार नहीं लेगी:

परन्तु खुदरा स्कीम, स्कीम के ए.यू.एम. के बीस प्रतिशत (20%) से अधिक उधार नहीं लेगी और ऐसे उधार की अवधि छह(6) मास से अधिक नहीं होगी।

मूल्यांकन

50. (1) एफ.एम.ई. और वैश्वसिक, छठी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) स्कीम की आस्तियों का मूल्यांकन किसी स्वतंत्र पर-व्यक्ति सेवा प्रदाता द्वारा, जैसे प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत कोई निधि प्रशासक या अभिरक्षक, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत किसी मूल्यांकक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप किया जाएगा।

एन.ए.वी. की संगणना

51. (1) एफ.एम.ई. प्रत्येक खुदरा स्कीम के एन.ए.वी. की संगणना दैनिक आधार पर करेगी:

परन्तु सीमित अवधि वाली किसी खुदरा स्कीम की दशा में, एन.ए.वी. की संगणना कम से कम साप्ताहिक आधार पर की जाएगी।

(2) एन.ए.वी. की संगणना करने की प्रक्रिया और पद्धति का पूर्ण रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और ऐसे दस्तावेजीकरण का नियमित रूप से सत्यापन और संशोधन किया जाना चाहिए।

एफ.एम.ई. द्वारा स्कीम में अंशदान

52. एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि किसी खुदरा स्कीम के अधीन, एफ.एम.ई. या उसकी सहयुक्त, स्कीम के ए.यू.एम. का कम से कम निम्नतर एक प्रतिशत(1%) या 2,00,000 अमरीकी डॉलर निवेश करेगी:

परन्तु भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत निधियों/स्कीमों के आई.एफ.एस.सी. में स्थान-परिवर्तन की दशा में, एफ.एम.ई. द्वारा अंशदान करना आज्ञापक नहीं होगा।

(2) उक्त अंशदान, एफ.एम.ई. या उसकी सहयुक्त द्वारा पैतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा और उसे सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा:

परन्तु यह और कि पैतालीस (45) दिनों की अवधि को प्राधिकरण के समाधान के अधीन रहते हुए विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) उक्त अंशदान, यदि वह एफ.एम.ई. द्वारा लाया जाता है, अध्याय II के अधीन यथा-वर्णित शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं के प्रयोजनार्थ शामिल किया जाएगा।

(4) उक्त अंशदान तब छूटप्राप्त होगा यदि स्कीम ऐसी निधि स्कीम की निधि है जो ऐसी स्कीम में निवेश कर रही है जिसकी ऐसी अपेक्षाएं समरूप हैं।

भाग घ: विशेष स्थिति निधियां

53. कोई रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई., इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कोई विशेष स्थिति निधि प्रारंभ कर सकेगी।

परिभाषाएं

54. अध्याय III के इस भाग के प्रयोजनार्थ,

(1) विशेष स्थिति आस्ति के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

(क) समय-समय पर यथा-संशोधित मास्टर निर्देश – भारतीय रिजर्व बैंक (उधार एक्सपोजर का अंतरण) निर्देश, 2021 के खंड 58 के निबंधनानुसार या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अनुमोदित किसी समाधान योजना के भागस्वरूप या इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक या आई.एफ.एस.सी.ए. या भारत सरकार की किसी अन्य नीति के निबंधनानुसार अर्जन के लिए उपलब्ध दबावग्रस्त उधार;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदें;

(ग) ऐसी निवेशकर्ता कंपनियों की प्रतिभूतियां:

(i) जिनके दबावग्रस्त उधार, समय-समय पर यथा-संशोधित मास्टर निर्देश – भारतीय रिजर्व बैंक (उधार एक्सपोजर का अंतरण) निर्देश, 2021 के खंड 58 या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अनुमोदित किसी समाधान योजना या इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक या आई.एफ.एस.सी.ए. या भारत सरकार की किसी अन्य नीति के निबंधनानुसार अर्जन के लिए उपलब्ध हैं;

(ii) जिनके उधारों के विरुद्ध, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा प्रतिभूति रसीदें जारी की गई हैं;

(iii) जिनके उधार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अध्याय II के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अध्याधीन हैं;

(iv) जिन्होंने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-निक्षेप करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों/निक्षेप करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और/या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से लिए गए उधारों पर व्याज के संदाय या मूल रकम के प्रतिदाय से संबंधित सभी व्यतिक्रमों(चूकों) को प्रकट कर दिया है और संदाय संबंधी ऐसा व्यतिक्रम, ऐसे व्यतिक्रम के धटित होने के पश्चात् कम से कम नब्बे (90) कलेंडर दिनों की अवधि के लिए जारी बना हुआ है:

परन्तु उपखंड (iii) और (iv) की दशा में, कंपनी की वित्तीय लिखतों या क्रेडिट लिखतों या उसके उधारों की क्रेडिट रेटिंग को "डी" या समतुल्य तक डाउनग्रेड कर दिया गया है;

(घ) ऐसी कोई अन्य आस्ति, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) "विशेष स्थिति निधि" से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जो अपने निवेश संबंधी उद्देश्यों के अनुसार विशेष स्थिति आस्तियों में निवेश करती है और वह दिवाला और शोधन अधकमता संहिता, 2016 के अधीन समाधान आवेदक के रूप में कार्य कर सकेगी।

प्लेसमेंट ज्ञापन का फाइल किया जाना

55. (1) रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई., स्कीम के प्रारंभ होने के 21 कार्य दिवस पूर्व प्राधिकरण के समक्ष आवेदन फीस सहित ज्ञापन फाइल करके प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से कोई विशेष स्थिति स्कीम प्रारंभ कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त होने के इक्कीस (21) कार्य दिवसों के भीतर एफ.एम.ई. को अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हैं, संसूचित करने का प्रयत्न करेगा और एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि स्कीम को प्रारंभ करने से पूर्व उन टिप्पणियों को प्लेसमेंट ज्ञापन में सम्यक् रूप से सम्मिलित कर लिया जाए:

परन्तु स्कीम को प्रारंभ करने के लिए प्लेसमेंट ज्ञापन की विधिमान्यता, प्राधिकरण के समक्ष फाइल करने की तारीख से छह(6) मास या प्राधिकरण के प्रेक्षण पत्र की तारीख, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, होगी।

(3) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि प्लेसमेंट ज्ञापन में कोई तात्त्विक परिवर्तन प्राधिकरण को तुरंत सूचित कर दिए जाएं।

स्कीम की प्रकृति और उसका ढांचा

56. (1) कोई विशेष स्थिति निधि, सीमित अवधि वाली निधि होगी और विशेष स्थिति निधि की न्यूनतम कालावधि तीन(3) वर्ष होगी।

(2) विशेष स्थिति निधि की अधिकतम अवधि प्लेसमेंट ज्ञापन में आरंभ में प्रकट की जाएगी।

(3) सीमित अवधि वाली विशेष स्थिति निधि की अवधि में विस्तार, मूल्यानुसार दो-तिहाई(2/3) निवेशकों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए दो (2) वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परन्तु दो (2) वर्ष से परे किसी अतिरिक्त विस्तारण के बारे में निवेशकों की अभिव्यक्त सम्मति के अधीन रहते हुए विचार किया जा सकेगा और अन्य निवेशकों को स्कीम से निकलने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(4) किसी विशेष स्थिति निधि का गठन आई.एफ.एस.सी. में, कंपनी या एल.एल.पी. या भारत की लागू विधियों के अधीन न्यास के रूप में किया जाएगा।

अनुज्ञेय निवेश

57. कोई विशेष स्थिति निधि केवल विशेष स्थिति आस्तियों में निवेश करेगी।

स्कीम कार्पस, पात्र निवेशक, निवेश संबंधी शर्तें

58. (1) किसी विशेष स्थिति निधि में ऐसा न्यूनतम कार्पस होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) कोई विशेष स्थिति निधि, ऐसे पात्र निवेशकों को स्वीकार करेगी, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) कोई विशेष स्थिति निधि, निवेश संबंधी ऐसी अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करेगी, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

उधार

59. कोई विशेष स्थिति निधि, अपने दिन-प्रतिदिन के प्रचालन संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न उधार नहीं लेगी या किन्हीं लीवरेजिंग क्रियाकलापों में नियोजित नहीं होगी।

अन्य अपेक्षाएं

60. (1) इन विनियमों के अध्याय III के अधीन, सीमित अवधि वाली किसी निर्बंधित स्कीम के लिए यथा-लागू प्रकटन, मूल्यांकन, एन.ए.वी. की संगणना, एफ.एम.ई. द्वारा स्कीम में अंशदान के संबंध में मानदंड किसी विशेष स्थिति निधि को लागू होंगे।

(2) कोई विशेष स्थिति निधि, निर्बंधित स्कीमों के अधीन एक प्रवर्ग के रूप में समझी जाएगी और तदनुसार कोई विशेष स्थिति निधि इसके अतिरिक्त ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जो प्राधिकरण समय-समय पर सीमित अवधि वाली निर्बंधित स्कीमों के लिए विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय IV

एक्सचेंज ट्रेडेड निधियां (ई.टी.एफ.)

एक्सचेंज ट्रेडेड निधियां

61. (1) केवल रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. (खुदरा), एक्सचेंज ट्रेडेड निधि(ई.टी.एफ.) के प्रारंभ होने से कम से कम इक्कीस (21) कार्य दिवस पूर्व प्राधिकरण के समक्ष आवेदन फीस सहित प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज फाइल करके ई.टी.एफ. प्रारंभ करेंगी।

(2) ई.टी.एफ. प्रारंभ करने के लिए प्रस्थापना दस्तावेज की विधिमान्यता, प्राधिकरण के प्रेषण पत्र की तारीख से बारह(12) मास होगी।

(3) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण की टिप्पणियों को ई.टी.एफ. प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्थापना दस्तावेज में सम्यक् रूप से शामिल कर लिया जाए।

(4) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज में प्रदान की गई जानकारी में कोई तात्त्विक परिवर्तन प्राधिकरण को तुरंत सूचित कर दिए जाएं।

(5) ई.टी.एफ. किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आज्ञापक रूप से सूचीबद्ध और ट्रेड की जाएगी और इसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे:

(क) इक्विटी सूचकांक आधारित ई.टी.एफ.

(ख) ऋण सूचकांक आधारित ई.टी.एफ.

(ग) वस्तु आधारित ई.टी.एफ.

(घ) हाइब्रिड ई.टी.एफ.(2 या उससे अधिक आस्ति वर्गों में निवेश करने वाली)

(ङ) सक्रिय रूप से प्रबंधित ई.टी.एफ.

(च) संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, कोई अन्य ई.टी.एफ.

(6) ई.टी.एफ. के लिए कोई स्कीम प्राधिकरण के समक्ष तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि उसे वैश्वसिकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो:

परन्तु ऊपर उप-विनियम (5) के खंड (ङ) और (च) के अंतर्गत आने वाली ई.टी.एफ. की दशा में, उन स्टॉक एक्सचेंजों का, जहां ऐसी ई.टी.एफ. सूचीबद्ध की जानी आशयित हैं, पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(7) आई.एफ.एस.सी. में कोई ई.टी.एफ. 'आई.एफ.एस.सी. ई.टी.एफ.' अभिज्ञापक का प्रयोग करेगा, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और ट्रेड की जाने वाली ई.टी.एफ. के रूप में उसकी पहचान बताता है। इस अभिज्ञापन का प्रयोग सभी स्थानों पर, जिसके अंतर्गत उसका नाम, प्रस्थापना दस्तावेज और विज्ञापन संबंधी समस्त सामग्री भी है, किया जाएगा।

इक्विटी सूचकांक आधारित ई.टी.एफ.

62. (1) एफ.एम.ई., आई.एफ.एस.सी. या भारतीय या विदेशी अधिकार-क्षेत्र के किसी इक्विटी सूचकांक की प्रतिकृति के रूप में कोई ई.टी.एफ. प्रारंभ कर सकेगी।

(2) ऐसी इक्विटी सूचकांक आधारित ई.टी.एफ., जो किसी विशिष्ट सूचकांक की प्रतिकृति बनाने की ईप्सा करती है, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा सूचकांक निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करता है:-

(क) सूचकांक में उसके संघटकों के रूप में कम से कम दस (10) स्टॉक होंगे;

(ख) किसी सेक्टर/थीम संबंधी सूचकांक के लिए, किसी एक स्टॉक का सूचकांक में पैंतीस प्रतिशत (35%) से अधिक भार नहीं होगा; और

(ग) अन्य सेक्टर/थीम संबंधी सूचकांकों के लिए, किसी एकल स्टॉक का सूचकांक में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक भार नहीं होगा।

(3) इक्विटी सूचकांक आधारित ई.टी.एफ., कुल आस्तियों के कम से कम पचानवें प्रतिशत (95%) के विस्तार तक अंतर्निहित सूचकांक की प्रतिकृति बनाएगा।

ऋण सूचकांक आधारित ई.टी.एफ.

63. (1) एफ.एम.ई., आई.एफ.एस.सी. या भारतीय या विदेशी अधिकार-क्षेत्र के किसी ऋण सूचकांक की प्रतिकृति के रूप में कोई ई.टी.एफ. प्रारंभ कर सकेगी।

(2) ऐसी ऋण सूचकांक आधारित निधि, जो किसी विशिष्ट सूचकांक की प्रतिकृति बनाने की ईप्सा करती है, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा सूचकांक निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करता है:-

- (क) सूचकांक में उसके संघटकों के रूप में कम से कम पांच (5) निर्गमकर्ता होंगे;
- (ख) किसी एक निर्गमकर्ता का सूचकांक में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक भार नहीं होगा; और
- (ग) सूचकांक के संघटकों की रेटिंग निवेश ग्रेड की होगी:

परन्तु खंड (क) और खंड (ख), ऐसी सूचकांक आधारित निधियों को लागू नहीं होंगे, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर रही हैं।

(3) ऋण सूचकांक आधारित ई.टी.एफ., कुल आस्तियों के कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) विस्तार तक अंतर्निहित सूचकांक की प्रतिकृति बनाएगी:

परन्तु यदि ई.टी.एफ., सूचकांक का भाग गठित करने वाले निर्गमकर्ता के निर्गमन की अनुपलब्धता के कारण सूचकांक की प्रतिकृति बनाने में समर्थ नहीं है तो एफ.एम.ई. ऐसे विचलनों पर विचार कर सकेगी जिसके परिणामस्वरूप कम से कम संभावित ट्रेकिंग त्रुटियां होंगी और वे प्रस्थापना दस्तावेज़ में किए गए प्रकटनों के अनुरूप होंगी।

वस्तु-उन्मुखी ई.टी.एफ.

64. (1) वस्तु आधारित ई.टी.एफ., प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट वस्तु या वस्तु संबंधित प्रतिभूति/लिखत में कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) निवेश करेंगी।

(2) एफ.एम.ई., वस्तु आधारित ई.टी.एफ में भागीदारी के लिए, यह सुनिश्चित करेगी कि वस्तुओं में व्यवहार करने का पांच (5) वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी के.एम.पी. को निधि प्रबंधक के रूप में अभिहित किया जाए।

स्वर्ण ई.टी.एफ.

65. किसी स्वर्ण ई.टी.एफ. की दशा में, कम से कम नब्बे प्रतिशत ए.यू.एम. का निवेश स्वर्ण या बुलियन लिखतों, जैसे स्वर्ण अंतर्निहित करने वाली बुलियन निक्षेपागार रसीदों और स्वर्ण अंतर्निहित करने वाली एक्सचेंज ट्रेडेड वस्तु डेरिवेटिव्स(ई.टी.सी.डी.), में किया जाना चाहिए:

परन्तु ऐसे ई.टी.सी.डी. तक एक्सपोज़र, जिनमें स्वर्ण अंतर्निहित है, स्कीम के ए.यू.एम. के दस प्रतिशत(10%) से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि दस प्रतिशत(10%) की सीमा, वहां स्वर्ण ई.टी.एफ. को लागू नहीं होगी जहां भौतिक स्वर्ण का परिदान लेने का आशय है और उसकी स्थिति को अगले संविदा-क्रम तक बढ़ाने का आशय नहीं है।

(2) स्वर्ण ई.टी.एफ. को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में स्पॉट स्वर्ण की कीमत के मुकाबले या किसी ऐसी अन्य न्यूनतम कीमत पर, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, मानदंड बनाया जाएगा और एफ.एम.ई. इस बात का प्रयास करेंगी कि ट्रेकिंग त्रुटि यथासंभव न्यूनतम हो।

(3) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेंगी कि भौतिक स्वर्ण में निवेश के लिए, स्वर्ण की आपूर्ति, टकराव-प्रभावित और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला के लिए ओ.ई.सी.डी. सम्यक् तत्परता दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रमाणित परिष्कारक द्वारा की जानी चाहिए।

(4) भौतिक स्वर्ण को प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत किसी वॉल्ट में भंडारित किया जाएगा।

(5) स्वर्ण ई.टी.एफ. यूनिट अंतर्निहित करने वाले स्वर्ण की अस्तित्व जांच, ऐसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराई जाएगी, जो ऐसे क्रियाकलाप करने में सक्षम है और इसकी रिपोर्ट एफ.एम.ई. के बोर्ड और वैश्वसिकों को छमाही आधार पर की जाएगी।

रजत ई.टी.एफ.

66. (1) किसी रजत ई.टी.एफ. की दशा में, कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) ए.यू.एम. का निवेश रजत या बुलियन लिखतों, जैसे रजत अंतर्निहित करने वाली बुलियन निक्षेपागार रसीदों और रजत अंतर्निहित करने वाली एक्सचेंज ट्रेडेड वस्तु डेरिवेटिव्स (ई.टी.सी.डी.), में किया जाना चाहिए:

परन्तु ऐसे ई.टी.सी.डी. तक एक्सपोज़र, जिनमें रजत अंतर्निहित है, स्कीम के ए.यू.एम. के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि दस प्रतिशत (10%) की सीमा, रजत ई.टी.एफ. को वहां लागू नहीं होगी जहां भौतिक रजत का परिदान लेने का आशय है और उसकी स्थिति को अगले संविदा-क्रम तक बढ़ाने का आशय नहीं है।

(2) रजत ई.टी.एफ. को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में स्पॉट रजत की कीमत के मुकाबले या ऐसी किसी अन्य न्यूनतम कीमत पर, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, न्यूनतम मानदंड बनाया जाएगा और एफ.एम.ई. इस बात का प्रयास करेंगी कि ट्रेडिंग त्रुटि यथासंभव न्यूनतम हो।

(3) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेंगी कि भौतिक रजत में निवेश के लिए, रजत की आपूर्ति, टकराव-प्रभावित और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला के लिए ओ.ई.सी.डी. सम्यक् तत्परता दिशानिर्देश का अनुपालन करने के लिए प्रमाणित किसी परिष्कारक द्वारा की जानी चाहिए।

(4) भौतिक रजत को प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत किसी वॉल्ट में भंडारित किया जाएगा।

(5) रजत ई.टी.एफ. यूनिट अंतर्निहित करने वाले रजत की अस्तित्व जांच ऐसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराई जाएगी, जो ऐसे क्रियाकलाप करने में सक्षम है और इसकी रिपोर्ट एफ.एम.ई. के बोर्ड और वैश्वसिकों को छमाही आधार पर की जाएगी।

सक्रिय रूप से प्रबंधित ई.टी.एफ.

67. (1) सक्रिय रूप से प्रबंधित ई.टी.एफ. ऐसे ई.टी.एफ. होते हैं जिनके लिए एफ.एम.ई. के पास उनके पोर्टफोलियो की संरचना करने के बारे में, कथित निवेश संबंधी उद्देश्यों और नीतियों के अधीन रहते हुए, विवेकाधिकार होता है।

(2) सक्रिय रूप से प्रबंधित कोई ई.टी.एफ. अपने प्रस्थापना दस्तावेज़ और विज्ञापन की समस्त सामग्री में यह प्रकट करेंगी कि वह एक सक्रिय रूप से प्रबंधित ई.टी.एफ. है और यह प्रकट भी करेगी कि वह कथित निवेश नीति पर, जिसके अंतर्गत किसी सूचकांक को मात देना उसका आशय है, यदि लागू हो, किस प्रकार खरी उतरेगी।

(3) सक्रिय रूप से प्रबंधित ई.टी.एफ. के लिए प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष जहां ऐसी ई.टी.एफ. सूचीबद्ध की जानी आशयित है और प्राधिकरण के समक्ष भी फाइल किया जाएगा।

बाजार रचयिता

68. (1) एफ.एम.ई., एक ऐसे बाजार रचयिता की नियुक्ति करेगी, जो दो-तरफा कोटेशन प्रदान करके ई.टी.एफ. की ट्रेडिंग में तरलता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) बाजार रचयिता यूनिटों का सृजन करने और एफ.एम.ई. से सीधे मोचन की ईप्सा करने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(3) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तियों को बाजार रचयिताओं के रूप में प्राधिकरण के लिए एक सरलीकृत ढांचा प्रदान कर सकेंगे।

(4) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, बाजार रचयिताओं के लिए विस्तृत नियमों का भी उपबंध करेंगे, अर्थात्, अधिकतम फैलाव, न्यूनतम मात्रा, यदि कोई है, प्रोत्साहन, मार्जिन, शुद्ध-परिनिर्धारण, आदि।

एन.ए.वी. की संगणना

69. (1) एफ.एम.ई. प्रत्येक ई.टी.एफ. की एन.ए.वी. की संगणना दैनिक आधार पर करेगी और उसे अपनी वैबसाइट पर प्रकाशित करेगी और उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को, जहां वह सूचीबद्ध है, ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की वैबसाइट पर प्रकटन के लिए इसे सूचित करेगी।

(2) एन.ए.वी. की संगणना करने की प्रक्रिया और पद्धति का पूर्ण रूप से दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिए और ऐसा दस्तावेज़ीकरण नियमित रूप से सत्यापित और, यदि आवश्यक हो तो, संशोधित किया जाना चाहिए।

ई.टी.एफ. का निवेशकों को मोचन

70. (1) बाजार रचयिताओं से भिन्न निवेशक भी, ई.टी.एफ. के मोचन के लिए एफ.एम.ई. में सीधे अभ्यावेदन कर सकेंगे और तब कोई निकासी भार प्रभारित नहीं किया जाएगा यदि-

(क) ई.टी.एफ. के यूनिटों की ट्रेडेड कीमत(बन्द कीमत पर आधारित) निरन्तर तीस (30) ट्रेडिंग दिवसों के लिए एन.ए.वी. के पांच (5) प्रतिशत से अधिक छूट पर है, या

(ख) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर पांच (5) निरन्तर ट्रेडिंग दिवसों के लिए, कोई कोट उपलब्ध नहीं है, या

(ग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर कुल बोली आकार, ई.टी.एफ. में एन.ए.वी. पर मूल्यांकित कुल यूनिटों के एक प्रतिशत (1%) प्रतिशत के उच्चतर से कम है या सात (7) निरन्तर ट्रेडिंग दिवसों की अवधि के लिए निकाले गए औसत के मूल्यानुसार 2,500 अमरीकी डॉलर है।

प्रकटन

71. (1) ई.टी.एफ. के लिए प्रस्थापना दस्तावेज़ में ऐसे समस्त प्रकटन स्पष्ट रूप से शामिल होंगे जो निवेशकों के लिए ऐसी ई.टी.एफ. में निवेश करने के संबंध में विनिश्चय करने के लिए तात्विक हैं।

(2) प्रस्थापना दस्तावेज़ में किए जाने वाले प्रकटनों में अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश संबंधी उद्देश्य, लक्ष्यित निवेशकों, निवेश की शैली या रणनीति, निवेश की पद्धति, प्रस्तावित फीस और व्यय, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, एफ.एम.ई. के के.एम.पी. और एफ.एम.ई. और ई.टी.एफ. के अन्य सुसंगत व्यौरों के संबंध में प्रकटन शामिल होंगे। एफ.एम.ई. और वैश्वासिक, प्रस्थापना दस्तावेज़ में प्रकटन संबंधी उन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(3) निधि की रणनीति में कोई तात्त्विक विचलन या परिवर्तन मूल्यानुसार कम से कम दो-तिहाई(2/3) निवेशकों की सम्मति से किया जाना चाहिए।

(4) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को एन.ए.वी. का प्रकटन, दैनिक आधार पर किया जाए और ऐसे प्रकटन की रीति का ब्यौरा प्रस्थापना दस्तावेज़ में दिया जाएगा।

(5) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को स्कीम के अधीन पोर्टफोलियों का प्रकटन कर दिया जाए और ऐसे प्रकटन की रीति का ब्यौरा प्रस्थापना दस्तावेज़ में दिया जाएगा।

(6) ऐसे किसी अन्य तात्त्विक प्रकटन के बारे में, जो एफ.एम.ई. या वैश्वासिकों द्वारा उपयुक्त समझा जाए, निवेशकों को तुरंत सूचित किया जाएगा।

अध्याय V

परिवेशीय, सामाजिक और शासन-विधि(ई.एस.जी.)

72. (1) ऐसी एफ.एम.ई., जो किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तीन बिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर या जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, ए.यू.एम. का प्रबंधन कर रही है :-

(क) सामग्री संधार्यता संबंधी जोखिमों और अवसरों के चारों ओर प्रशासन संबंधी नीति स्थापित करेगी;

(ख) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह प्रकट करेगी कि एफ.एम.ई., सामग्री संधार्यता संबंधी जोखिमों और अवसरों की पहचान, निर्धारण और प्रबंधन किस प्रकार करती है;

(ग) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, संधार्यता संबंधी जोखिमों और अवसरों को निधि प्रबंधक की निवेश संबंधी रणनीति और प्रक्रियाओं में कैक्ट्रिंग करने की प्रक्रिया स्थापित और प्रकट करेगी, जिसके अंतर्गत, जहां सुसंगत है, प्रयुक्त डाटा और पद्धतियां भी हैं; और

(घ) संधार्यता संबंधी किन्हीं अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसी एफ.एम.ई., जो ई.एस.जी. से संबंधित कोई स्कीम प्रारंभ करती है, निवेश संबंधी उद्देश्य, निवेश नीति, रणनीति, तात्त्विक जोखिम, न्यूनतम मानदंड आदि के संबंध में उस रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, संपूर्ण प्रकटन करेगी।

(3) एफ.एम.ई. द्वारा अध्याय III के अधीन प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए सभी स्कीम दस्तावेज़ों में यह प्रकट किया जाएगा कि क्या विनिश्चय करने में संधार्यता संबंधी जोखिमों को शामिल किया गया है। एफ.एम.ई. तब ब्यौरे प्रदान करेगी जब संधार्यता संबंधी जोखिमों को विनिश्चय करने में शामिल किया जाता है। जब विनिश्चय करने में संधार्यता संबंधी जोखिमों को शामिल नहीं किया जाता है तब एक नकारात्मक कथन शामिल किया जाएगा।

अध्याय VI

अन्य निधि प्रबंधन क्रियाकलाप

भाग क: पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं

पात्र एफ.एम.ई. और ग्राहक

73. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. अपने ग्राहकों को इन विनियमों के निबंधनानुसार पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं की प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) किसी एफ.एम.ई. में, पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अपनी हैसियत में, ग्राहकों के निम्नलिखित प्रवर्ग हो सकेंगे:-

(क) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति;

(ख) कोई अनिवासी भारतीय;

(ग) भारत में ऐसा गैर-व्यष्टिक निवासी, जो फेमा के अधीन अनुज्ञात बाह्य निवेश की सीमा तक, देश के बाहर की निधियों में निवेश करने के लिए पात्र है; और

(घ) भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि, जो फेमा के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम (एल.आर.एस.) के अधीन अनुज्ञात सीमा तक, देश के बाहर की निधियों में निवेश करने का पात्र है।

(3) ऐसी एफ.एम.ई. को, जो किसी आई.एफ.एस.सी. में पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में प्रचालन कर रही है, किसी आई.एफ.एस.सी., भारत या विदेशी राज्यक्षेत्र में प्रतिभूतियों और वित्तीय उत्पादों में निवेश करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु वैवेकिक पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा की दशा में, वह स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध की जाने वाली या ट्रेड की जाने वाली प्रतिभूतियों, धनीय बाजार लिखतों, निवेश स्कीम के यूनितों और ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों में, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, निवेश करेगी।

प्रकटन

74. (1) एफ.एम.ई., ग्राहक के साथ कोई पोर्टफोलियो प्रबंधन करार करने से पूर्व, ग्राहक को एक प्रकटन दस्तावेज़ प्रदान करेगी।

(2) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि प्रकटन दस्तावेज़ की एक प्रति उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(3) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रकटन दस्तावेज़ में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रदान की गई सेवाओं, जोखिम कारकों, ग्राहक प्रतिनिधित्व, वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, पोर्टफोलियो प्रबंधक के कार्य-निष्पादन, लेखापरीक्षक के संप्रेक्षण, व्ययों की प्रकृति, कराधान, निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली और विनियामक प्राधिकारियों द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक और उसके प्रधान अधिकारियों, निदेशकों/भागीदारों/अभिहित भागीदारों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विरुद्ध मुकदमेबाज़ी से संबंधित व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

पोर्टफोलियो प्रबंधन करार

75. (1) कोई एफ.एम.ई., पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहक के साथ एक ऐसा लिखित करार करेगी जिसमें परस्पर संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और उसमें पोर्टफोलियो के प्रबंधन से संबंधित उनके पारस्परिक अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं को, जिसके अंतर्गत निवेश संबंधी उद्देश्य, जोखिम कारक, फीस के निबंधन, संविदा की अवधि, आदि भी हैं, उपवर्णित किया गया है।

(2) एफ.एम.ई. और ग्राहक के बीच किए गए करार में किसी बात के होते हुए भी, ग्राहक द्वारा संविदा की परिपक्वता से पूर्व निधियां या प्रतिभूतियां निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन वापस ली जा सकती हैं, अर्थात्, -

(क) एफ.एम.ई. या ग्राहक द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का स्वैच्छिक या अनिवार्य समापन;

(ख) प्राधिकरण द्वारा एफ.एम.ई. के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण; या

(ग) एफ.एम.ई. की शोधन अक्षमता या उसका समापन।

ग्राहक को रिपोर्ट करना

76. (1) एफ.एम.ई., पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहक को उसके और ग्राहक के बीच हुए करार के निबंधनानुसार कालिकत: एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पोर्टफोलियो की संरचना और उसके मूल्य, रिपोर्ट की अवधि के दौरान किए गए संयवहारों, रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राप्त फायदाग्राही हित, पोर्टफोलियो के प्रबंधन में उपगत व्यय और पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा निवेश या विनिवेश के लिए सिफारिश की गई प्रतिभूतियों से संबंधी जोखिम के व्यौरों से संबंधित व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट आनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें पहुंच ऐसे ग्राहक तक निर्बंधित होगी।

ग्राहक निधियों के साथ व्यवहार

77. कोई एफ.एम.ई., किसी पोर्टफोलियो प्रबंधन करार की दशा में, ग्राहक से 150,000 अमरीकी डॉलर से कम मूल्य की निधियां या प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं करेगी:

परन्तु निवेश की न्यूनतम सीमा किसी प्रत्यायित निवेशक को लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और कि प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत और 150,000 अमरीकी डॉलर से कम मूल्य की निधियां या प्रतिभूतियां रखने वाले विद्यमान पोर्टफोलियो प्रबंधकों को उस रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, छूट प्रदान की जाएगी।

(2) पोर्टफोलियो प्रबंधक समस्त ग्राहकों की निधियों को एक पृथक् खाते में रखेगा, जो उसके द्वारा किसी बैंककारी यूनिट में रखी जाएगी।

(3) एफ.एम.ई., प्रत्येक पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहक की प्रतिभूतियों में की धृति को पृथक् खातों में पृथक्-पृथक् रखेगी:

परन्तु यह उप-विनियम तब लागू नहीं होगा यदि ग्राहकों के निवेश ऐसे अधिकार-क्षेत्रों में हैं जहां सर्वग्राही खाता ढांचा अनुज्ञात है। ऐसे मामलों में, एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि सर्वग्राही ढांचे का प्रयोग करके किया गया निवेश ग्राहकों की पूर्व सम्मति के अनुसरण में है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण विद्यमान हैं कि ग्राहकों की प्रतिभूतियों को पृथक् रूप से नियत किया जाए।

(4) ग्राहकों से प्राप्त निधियों, निवेशों या विनिवेशों, ग्राहक के खाते में किए गए सभी क्रेडिट, जैसे निवेश पर प्राप्त ब्याज, लाभांश, बोनस या कोई अन्य फायदाग्राही हित और व्ययों के लिए क्रेडिट, यदि कोई है, ग्राहक के खातों में समुचित रूप से प्रतिबिंबित किए जाएंगे।

(5) एफ.एम.ई., ग्राहक की निधियों की बाबत एक वैश्वासिक की हैसियत में कार्य करेगी और ग्राहक की निधियों या प्रतिभूतियों से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा व्युत्पन्न नहीं करेगी।

(6) एफ.एम.ई. ग्राहक की ओर से निधियां या प्रतिभूतियां उधार नहीं लेगी।

निवेश संबंधी निर्बंधन

78 (1) एफ.एम.ई. द्वारा स्वीकार किए गए धन या प्रतिभूतियों को, एफ.एम.ई. और ग्राहक के बीच किए गए पोर्टफोलियो प्रबंधन करार के निबंधनानुसार निवेशित या प्रबंधित किया जाएगा।

(2) एफ.एम.ई. डेरिवेटिव्स में निवेश के लिए अपने ग्राहकों के पोर्टफोलियो का तब तक उपयोग नहीं करेगी जब तक कि उसके ग्राहकों से अभिव्यक्त सम्मति अभिप्रास नहीं कर ली गई हो।

(3) एफ.एम.ई., ग्राहकों की निधियों में व्यवहार करते समय सट्टेबाजी के संव्यवहारों में संलिप्त नहीं होगी, अर्थात्, वह डेरिवेटिव्स में संव्यवहार करने के सिवाय किसी ऐसी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय के लिए कोई संव्यवहार नहीं करेगी, जिसका परिनिर्धारण कालिकतः या अंततोगत्वा, प्रतिभूति का वास्तविक परिदान या अंतरण किए जाने से अन्यथा किया जाता है।

(4) कोई एफ.एम.ई., साधारणतया प्रत्येक पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहक के लिए प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय पृथक् रूप से करेगी। तथापि, अनुमाप की मितव्यवयिता के लिए क्रयों या विक्रयों के समेकन की दशा में, परस्पर आबंटन आनुपातिक आधार पर और उस दिन के संव्यवहारों की भारित औसत कीमत पर किया जाएगा। एफ.एम.ई., एक दिन में किए गए क्रयों या विक्रयों के आबंटन की बाबत कोई खुला स्थान नहीं रखेगी।

(5) एफ.एम.ई. प्रत्येक ग्राहक की निधियों और प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को पृथक्-पृथक् रखेगी और उन्हें अपनी निधियों और प्रतिभूतियों से पृथक् रखेगी तथा ग्राहक की निधियों और प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(6) एफ.एम.ई., पोर्टफोलियो खाते से संबंधित प्रतिभूतियों को अपने ग्राहकों की ओर से या तो ग्राहकों के साथ संविदा के आधार पर या अन्यथा अपने नाम में धारण नहीं करेगी:

परन्तु यह उप-विनियम तब लागू नहीं होगा यदि ग्राहकों के निवेश ऐसे अधिकार-क्षेत्रों में हैं, जहां सर्वग्राही खाता ढांचा अनुज्ञात है। ऐसे मामलों में, एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि सर्वग्राही ढांचे का प्रयोग करके किया गया निवेश ग्राहकों की पूर्व सम्मति के अनुसरण में है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण विद्यमान हैं कि ग्राहकों की प्रतिभूतियों को पृथक् रूप से नियत किया जाए।

(7) पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में प्रचालन करने वाली कोई एफ.एम.ई. (उन पोर्टफोलियो प्रबंधकों के सिवाय जो केवल परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं) अपने द्वारा प्रबंधित या प्रशासित प्रतिभूतियों की बाबत एक अभिरक्षक नियुक्त करेगी।

साधारण बाध्यताएं

79. (1) एफ.एम.ई. ग्राहकों से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के लिए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी वापसी की गारंटी या आश्वासन के बिना, करार की गई फीस प्रभारित करेगी और इस प्रकार प्रभारित फीस नियत फीस या वापसी पर आधारित फीस या दोनों का संयोजन हो सकेगी।

(2) एफ.एम.ई., वैवेकिक पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अपनी हैसियत में, ग्राहक की निधियों का प्रबंधन, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार व्यष्टिक रूप से और स्वतंत्र रूप से ऐसी रीति में करेगी, जो किसी खुदरा निधि के स्वरूप के सदृश नहीं है जबकि कोई अवैवेकिक पोर्टफोलियो प्रबंधक, ग्राहक की निधियों का प्रबंधन ग्राहक के निदेशों के अनुसार करेगा।

(3) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति या इकाई, जो अपनी सेवाओं का वितरण करने में अंतर्वलित है, वितरण क्रियाकलापों का निर्वहन इन विनियमों और और उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और निदेशों के अनुपालन में कर रहा है।

(4) एफ.एम.ई. अपने कार्यप्रदर्शन की रिपोर्ट समान रूप से प्राधिकरण को किए गए प्रकटनों, विज्ञापन सामग्री और ग्राहकों को की गई रिपोर्टों और अपनी वेबसाइट पर करेगी।

(5) एफ.एम.ई. द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अपनी हैसियत में प्रबंधित और प्रशासित के पोर्टफोलियो लेखाओं की लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी और ग्राहक को प्रमाणपत्र की एक प्रति दी जाएगी।

परामर्शी सेवाएं

80. कोई एफ.एम.ई., अपनी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के भागस्वरूप, परामर्शी सेवाओं प्रदान करने के लिए भावी ग्राहकों से एक करार करेगी बशर्ते:

(क) वह आई.एफ.एस.सी.ए. (पूजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 43 से विनियम 50 तक का अनुपालन करती है;

- (ख) वह आई.एफ.एस.सी.ए.(पूँजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के अधीन आचार-संहिता का अनुपालन करती है; और
(ग) परामर्शी सेवाएं कम से कम 150,000 अमरीकी डॉलर के किसी पोर्टफोलियो के लिए हैं।

बहु-कौटुम्बिक कार्यालय

81. (1) कोई एफ.एम.ई., इस अध्याय में यथा-वर्णित किसी पोर्टफोलियो प्रबंधन करार के अधीन बहु-कौटुम्बिक कार्यालय को भी सेवाएं प्रदान कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, उन एफ.एम.ई. के लिए, जो किसी पोर्टफोलियो प्रबंधन करार के अधीन बहु-कौटुम्बिक कार्यालय को सेवाएं प्रदान कर रही है, अतिरिक्त शर्तें, अतिरिक्त अनुज्ञेय निवेश, आदि विहित कर सकेगा।

भाग ख: निवेश न्यास

आई.एफ.एस.सी. में निवेश न्यास

82. (1) आई.एफ.एस.सी. या भारत या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र से कोई ऐसा व्यक्ति, जो आई.एफ.एस.सी. में किसी निवेश न्यास का प्रचालन करने का इच्छुक है, प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा।

(2) कोई निवेश न्यास निम्नलिखित से निधियां जुटाने के लिए अनुज्ञात है:

(क) आई.एफ.एस.सी. में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध यूनितों वाला सार्वजनिक निर्गम; या

(ख) आई.एफ.एस.सी. में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध यूनितों वाला प्राइवेट प्लेसमेंट; या

(ग) ऐसा प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसके यूनित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने प्रस्तावित नहीं हैं।

(3) आई.एफ.एस.सी. में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे निवेश न्यास के लिए, जिसके यूनित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किए जाने प्रस्तावित हैं, विस्तृत ढांचा, जिसके अंतर्गत, प्रस्थापना दस्तावेज़ में आरंभिक प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं, सतत बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं, ट्रेडिंग, समाशोधन और परिनिर्धारण आदि भी हैं, विनिर्दिष्ट करेगा(करेंगे)। निवेश न्यास मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

परिभाषाएं

83. (1) अध्याय VI के इस भाग के प्रयोजनार्थ:-

(क) "पात्र अवसंरचना परियोजना" से ऐसी अवसंरचना परियोजना अभिप्रेत है, जो अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा अर्जन या उसे अंतरण किए जाने की तारीख से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है,-

(i) पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए,-

(क) अवसंरचना परियोजना एक पूर्ण और राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजना है;

(ख) ऐसी अवसंरचना परियोजना, जिसने वाणिज्यिक प्रचालन तारीख(सी.ओ.डी.) प्राप्त कर ली है और कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रचालनों से राजस्व प्राप्त करने का ट्रेक अभिलेख नहीं है, या

(ग) अवसंरचना परियोजना एक पूर्व-सी.ओ.डी. परियोजना है;

(ii) गैर-पी.पी.पी. परियोजनाओं में, अवसंरचना परियोजना ने परियोजना का सन्निर्माण प्रारंभ करने के लिए समस्त अपेक्षित अनुमोदन और प्रमाणन प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) "शासी बोर्ड" से एल.एल.पी. द्वारा ऐसी रीति में, जो किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड के समरूप हैं, कार्य करने के लिए नियुक्त या नामनिर्दिष्ट सदस्यों का एक समूह अभिप्रेत है;

(ग) "होल्डको" या "होलिंग कंपनी" से कोई कंपनी या एल.एल.पी. या प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित कोई ऐसी अन्य संरचना अभिप्रेत है :-

(i) जिसमें निवेश न्यास, नियंत्री हित और कम से कम इक्कावन प्रतिशत साधारण शेयर पूँजी या हित धारण करता है या उसके द्वारा धारण किया जाना प्रस्तावित है और जिसने इसके बदले अन्य एस.पी.वी. में निवेश किए हैं, जो कि अंततोगत्वा, यथास्थिति, अवसंरचना आस्तियों या संपत्ति(संपत्तियों) को धारण करते हैं;

(ii) जो यथास्थिति, अंतर्निहित एस.पी.वी., भू-संपदा/संपत्तियों या अवसंरचना परियोजनाओं की धृति और ऐसी धृति से संबंधित और उससे आनुषंगिक किन्हीं अन्य क्रियाकलापों से भिन्न किसी अन्य क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है;

(घ) "निवेश न्यास" से, यथास्थिति, कोई भू-संपदा निवेश न्यास या कोई अवसंरचना निवेश न्यास अभिप्रेत है;

(ङ) "निवेश प्रबंधन करार" से न्यासी और निवेश प्रबंधक के बीच किया गया ऐसा करार अभिप्रेत है, जिसमें निवेश न्यास मध्ये निवेश प्रबंधक की भूमिका और उत्तरदायित्व अधिकथित होते हैं;

(च) “निवेश प्रबंधक” से इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी निधि प्रबंधन इकाई अभिप्रेत है, जो निवेश न्यास की आस्तियों और निवेशों का प्रबंधन करती है और निवेश न्यास के क्रियाकलाप करती है;

(छ) “इन्वआई.टी.” या “अवसंरचना निवेश न्यास” से इन विनियमों के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत न्यास अभिप्रेत है;

(ज) “इन्वआई.टी. आस्तियों” से अवसंरचना निवेश न्यास के, प्रत्यक्ष रूप से किसी होल्डको और/या एस. पी.वी. के माध्यम से, स्वामित्वाधीन आस्तियां अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत ऐसी आस्तियों के स्वामित्व से उद्भूत होने वाले और उससे आनुषंगिक सभी अधिकार, हित और फायदे आते हैं;

(झ) “निवेश न्यास के पक्षकार” के अंतर्गत प्रयोजक, निधि प्रबंधन इकाई, न्यासी और परियोजना प्रबंधक, यदि लागू हों, आते हैं;

(ञ) “पी.पी.पी. परियोजना” से पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी आधार पर आरंभ की गई कोई अवसंरचना परियोजना अभिप्रेत है;

(ट) “पूर्व-सी.ओ.डी. परियोजना” से ऐसी अवसंरचना परियोजना अभिप्रेत है जिसने-

i. सुसंगत परियोजना करारों के अधीन यथा-परिभाषित, जिसके अंतर्गत रियायत करार, विद्युत क्रय करार या किसी परियोजना के प्रचालन के संबंध में किया गया समरूप प्रकृति का कोई अन्य करार या उधारदाताओं के साथ किया गया कोई करार भी है, वाणिज्यिक प्रचालन तारीख पूरी नहीं की है; और

ii. क. ऐसी परियोजना के किसी स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा यथा-प्रमाणित अवसंरचना के सन्निर्माण का कम से कम पचास प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है; या

ख. सुसंगत परियोजना करार के वित्तीय पैकेज में उपवर्णित कुल पूंजी लागत का कम से कम पचास प्रतिशत खर्च किया है;

(ठ) “परियोजना कार्यान्वयन करार” या “परियोजना प्रबंध करार” से परियोजना प्रबंधक, रियायतग्राही एस.पी.वी. और न्यासी के बीच कोई ऐसा करार अभिप्रेत है, जो परियोजना के निष्पादन और/या प्रबंधन की बाबत परियोजना प्रबंधक की बाध्यताएं उपवर्णित करता है:

परन्तु पी.पी.पी. परियोजनाओं की दशा में, ऐसी बाध्यताएं, रियायत करार या रियायत प्राधिकरण के साथ किए गए ऐसे किसी करार के अधीन उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त होंगी;

(ड) “परियोजना प्रबंधक” से कोई ऐसी कंपनी या एल.एल.पी. या कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, जिसे अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा परियोजना प्रबंधक के रूप में अभिहित किया गया है और जो परियोजना का निष्पादन पूरा करने/प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है और पी.पी.पी. परियोजनाओं की दशा में, ऐसे निष्पादन और रियायत करार या परियोजना के किसी अन्य सुसंगत दस्तावेज के अनुसार परियोजना का मील-पत्थर प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी इकाई अभिप्रेत है;

(ढ) “भू-संपदा से संबंधित आस्तियों” से सूचीबद्ध या असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां और संपत्ति कारपोरेशन के या उसके द्वारा निर्गमित शेयर, बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां, अन्य संपत्ति निधियां और भू-संपदा के स्वामित्व से आनुषंगिक आस्तियां अभिप्रेत हैं;

(ण) “आर.ई.आई.टी.” या “भू-संपदा निवेश न्यास” से इन विनियमों के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास अभिप्रेत है;

(त) “आर.ई.आई.टी. आस्तियों” से आर.ई.आई.टी. द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी होल्डको और/या किसी विशेष प्रयोजन यान के माध्यम से धारित पूर्ण-स्वामित्व वाली या पट्टाधृत भू-संपदा आस्तियां और कोई अन्य आस्ति अभिप्रेत है;

(थ) “विशेष प्रयोजन यान” या “एस.पी.वी.” से प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित कोई ऐसी कंपनी या एल.एल.पी. या कोई ऐसी अन्य संरचना अभिप्रेत है,-

(i) जिसमें या तो निवेश न्यास या होल्डको, नियंत्रि हित और साधारण शेयर पूंजी या हित का कम से कम इक्कावन प्रतिशत धारण करता है या उसके द्वारा धारण किया जाना प्रस्तावित है;

परन्तु पी.पी.पी. परियोजनाओं की दशा में, जहां सरकार या विनियमनकारी उपबंधों द्वारा रियायत करार या ऐसे अन्य करार के अधीन ऐसा अर्जन या धृति अननुज्ञात है वहां यह खंड लागू नहीं होगा और वह खंड 12(3) के परन्तुक के अधीन आने वाले उपबंधों के अधीन होगा;

(ii) जो उसकी कम से कम अस्सी प्रतिशत आस्तियों को प्रत्यक्ष रूप से अवसंरचना परियोजनाओं या संपत्तियों में धारण करता है और अन्य एस.पी.वी. में निवेश नहीं करता; और

(iii) जो, यथास्थिति, अंतर्निहित अवसंरचना परियोजनाओं, संपत्ति की धृति या विकास से संबंधित और उससे आनुषंगिक क्रियाकलापों से भिन्न किसी अन्य क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है;

(द) “प्रायोजक” से ऐसी कोई कंपनी या एल.एल.पी. या निगमित निकाय अभिप्रेत है, जो निवेश न्यास स्थापित करता है और आवेदन किए जाने के समय इस रूप में अभिहित किया जाता है;

(ध) “प्रायोजक समूह” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

i . प्रायोजक;

ii. यदि प्रायोजक कोई निगमित निकाय है, तो:

(क) ऐसी इकाइयां या व्यक्ति, जो ऐसे निगमित निकाय द्वारा नियंत्रित होते हैं;

(ख) ऐसी इकाइयां या व्यक्ति, जो ऐसे निगमित निकाय को नियंत्रित करते हैं;

(ग) ऐसी इकाइयां या व्यक्ति, जो खंड ख में यथा-निर्दिष्ट व्यक्ति(व्यक्तियों) द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(iii) यदि प्रायोजक कोई व्यक्ति है, तो:

(क) ऐसे व्यक्ति का नजदीकी नातेदार(अर्थात्, उस व्यक्ति का पति/पत्नी या उस व्यक्ति या पति/पत्नी की माता या पिता, भाई, बहन या बालक); और

(ख) ऐसी इकाइयां या व्यक्ति, जो ऐसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं;

(न) "न्यासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो न्यास में निवेश न्यास की आस्तियों को निवेशकों के फायदे के लिए धारित करता है;

(प) "मूल्यांकक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस राज्य या देश की विधि के अधीन, जहां मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकक के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए प्राधिकृत है;

रजिस्ट्रीकरण

84. (1) निवेश न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन, प्रायोजक द्वारा न्यास की ओर से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में, प्राधिकरण के समक्ष किया जाएगा और उसके साथ ऐसी अप्रतिदेय फीस लगाई जाएगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्राधिकरण, निवेशकों के हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से, निवेश न्यास के अभिलेखों, दस्तावेजों का प्रभार लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और इस प्रयोजनार्थ, ऐसी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें भी अवधारित कर सकेगा।

न्यास

85. निवेश न्यास के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

(क) न्यास को भारत की विधियों(आई.एफ.एस.सी. या आई.एफ.एस.सी. के बाहर) या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में सृजित किया जाना चाहिए;

(ख) न्यास विलेख का मुख्य उद्देश्य, निवेश न्यास(यथास्थिति, आर.ई.आई.टी. या अवसंरचना निवेश न्यास) के क्रियाकलाप प्रारंभ करना है और इसके अंतर्गत इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार न्यासी के उत्तरदायित्व भी हैं;

(ग) व्यक्तियों को प्रायोजक, निवेश प्रबंधक और न्यासी के रूप में अभिहित किया गया है और ऐसे सभी व्यक्ति पृथक् इकाइयां हैं।

प्रायोजक

86. किसी निवेश न्यास के प्रायोजक के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

(क) प्रत्येक प्रायोजक, निवेश न्यास के कुल यूनिटों की संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत यूनिट आरंभिक प्रस्थापना के पश्चात् के आधार पर धारित करेगा या धारण करने का प्रस्ताव करेगा;

परन्तु यह कि यदि धृति पांच प्रतिशत से नीचे जाती है तो प्रायोजक एक वर्ष की समयवधि के भीतर अपेक्षा का अनुपालन करेगा;

(ख) प्रत्येक प्रायोजक की, यदि वह कोई निगमित निकाय या कोई कंपनी है तो शुद्ध संपत्ति 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम नहीं है या यदि वह एक सीमित दायित्व भागीदारी है तो कम से कम 15 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की शुद्ध मूर्त आस्तियां हैं;

परन्तु, आर.ई.आई.टी. की दशा में, प्रत्येक प्रायोजक के पास कम से कम 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की शुद्ध संपत्ति और प्रायोजकों के पास सामूहिक आधार पर कम से कम 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की शुद्ध संपत्ति है;

(ग) प्रायोजक या उसके सहयुक्त का भू-संपदा या अवसंरचना के विकास या अवसंरचना/भू-संपदा सेक्टर में निधि प्रबंधन का अच्छा ट्रैक अभिलेख होगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ 'अच्छा ट्रैक अभिलेख' से कम से कम पांच (5) वर्ष का सुसंगत अनुभव अभिप्रेत है और जहां प्रायोजक कोई विकासकर्ता है वहां प्रायोजक की कम से कम दो परियाजनाएं पूरी हो गई हों।

निवेश प्रबंधक

87. (1) प्राइवेट प्लेसमेंट की दशा में, कोई रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई., निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए जाने की पात्र होगी।
 (2) किसी सार्वजनिक निर्गम की दशा में, कोई रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. (खुदरा) ही निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए जाने की पात्र होगी।

न्यासी

88. किसी निवेश न्यास के न्यासी के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

(क) इकाई, प्राधिकरण या किसी अन्य प्रतिभूति विनियामक के पास न्यासी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और वह प्रायोजक(प्रायोजकों) या निवेशक प्रबंधक का सहयुक्त नहीं होगा;

(ख) न्यासी के पास अवसंरचना, कार्मिकों आदि की बाबत प्राधिकरण और मन्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) के समाधानप्रद रूप में ऐसे साधन हैं।

उपयुक्त और समुचित

89. रजिस्ट्रीकरण केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि निवेश न्यास और निवेश न्यास के पक्षकार इन विनियमों के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त और समुचित हैं।

मुद्रा

90. निवेश न्यास के यूनिट भारतीय रुपयों से भिन्न किसी निर्बाध संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।

निवेश न्यास के यूनिटों की प्रस्थापना

91. (1) किसी निवेश न्यास द्वारा यूनिटों की कोई प्रारंभिक प्रस्थापना तब तक नहीं की जाएगी जब तक,-

(क) निवेश न्यास प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

(ख) निवेश न्यास की आस्तियों का मूल्य 75 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम नहीं है; और

(ग) प्रस्थापना का आकार 35 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम नहीं है;

(2) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निवेश न्यास की बाबत किसी प्रस्थापना दस्तावेज़/प्लेसमेंट ज्ञापन के माध्यम से जनता के लिए न्यूनतम प्रस्थापना और आबंटन नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा:

निर्गम पश्चात् पूंजी	प्रस्थापित किए जाने वाले यूनिटों की न्यूनतम संख्या/मूल्य
240 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम	निवेश न्यास के कुल बकाया यूनिटों का कम से कम 25 प्रतिशत
240 मिलियन अमरीकी डॉलर या अधिक किन्तु 600 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम	कम से कम 60 मिलियन अमरीकी डॉलर
600 मिलियन अमरीकी डॉलर के समान या उससे अधिक	निवेश न्यास के कुल बकाया यूनिटों का कम से कम 10 प्रतिशत

परन्तु प्रायोजक या निवेश प्रबंधक या परियोजना प्रबंधक या उनके संबद्ध पक्षकारों या उनके सहयुक्तों को प्रस्थापित किन्हीं यूनिटों की गणना जनता को प्रस्थापित यूनिटों के मध्ये नहीं की जाएगी।

सूचीबद्ध करने सहित प्राइवेट प्लेसमेंट

92. (1) किसी ऐसे निवेश न्यास द्वारा, जिसके यूनिट मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध किए जाने प्रस्तावित हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा निधि का जुटाया जाना निम्नलिखित बातों के अनुपालन के अधीन होगा:

(क) निवेश न्यास से यह अपेक्षित है कि वह स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन अभिप्राप्त करे:

परन्तु सैद्धांतिक अनुमोदन की विधिमान्यता, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से छह(6) मास से अधिक नहीं होगी।

(ख) निवेश न्यास, निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर के माध्यम से निर्गम के खोले जाने से कम से कम पांच (5) कार्य दिवस पूर्व प्राधिकरण के पास लागू फीस सहित प्लेसमेंट ज्ञापन फाइल करेगा:

परन्तु निर्गम का इस प्रकार खोला जाना, एक्सचेंज(एक्सचेंजों) से सूचीबद्ध किए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त होने के तीन (3) मास पश्चात् की किसी तारीख को नहीं होगा।

(ग) निवेश न्यास, प्रत्यायित निवेशक से या 1,50,000 अमरीकी डॉलर से अन्यून निवेश करने वाले निवेशकों से निधियां जुटाएगा।

उपर्युक्त के होते हुए भी, यदि प्राइवेट स्थिति वाला कोई निवेश न्यास, निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य का अस्सी प्रतिशत से कम, संपूरित और राजस्व उत्पन्न करने वाली आस्तियों में निवेश करता है या निवेश करने की प्रस्थापना करता है तो किसी निवेशक से न्यूनतम निवेश 1 मिलियन अमरीकी डॉलर होगा।

(घ) निवेश न्यास, कम से कम दो (2) और अधिक से अधिक एक हजार (1000) निवेशकों से निधियां जुटाएगा।

(ङ) निवेश न्यास, निवेश प्रबंधक के माध्यम से, प्लेसमेंट ज्ञापन में जारी किए गए यूनितों के सूचीबद्ध किए जाने की तारीख से दस (10) कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्राधिकरण के समक्ष अंतिम प्लेसमेंट ज्ञापन फाइल करेगा।

सूचीबद्ध किए बिना प्राइवेट प्लेसमेंट

93. (1) किसी ऐसे निवेश न्यास द्वारा, जिसके यूनित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध किए जाने प्रस्तावित नहीं हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा निधि का जुटाया जाना निम्नलिखित बातों के अनुपालन के अधीन होगा:

(क) निवेश न्यास, निर्गम के खोले जाने से कम से कम पांच (5) कार्य दिवस पूर्व प्राधिकरण के समक्ष लागू फीस सहित प्रारूप प्लेसमेंट ज्ञापन फाइल करेगा।

परन्तु निर्गम का इस प्रकार खोला जाना, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त होने से तीन (3) मास पश्चात् की किसी तारीख को नहीं होगा।

(ख) निवेश न्यास, प्रत्यायित निवेशक से या 2,50,000 अमरीकी डॉलर से अन्यून निवेश करने वाले निवेशकों से निधियां जुटाएगा।

(ग) निवेश न्यास, अधिक से अधिक पचास (50) निवेशकों से निधियां जुटाएगा।

(घ) निवेश न्यास, निवेशको को यूनित आबंटित किए जाने की तारीख से दस (10) कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्राधिकरण के समक्ष अंतिम प्लेसमेंट ज्ञापन फाइल करेगा।

सार्वजनिक निर्गम

94. किसी निवेश न्यास द्वारा सार्वजनिक निर्गम द्वारा निधि का जुटाया जाना निम्नलिखित बातों के अनुपालन के अधीन होगा:

(क) निवेश न्यास, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्थापना और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्थापना के पश्चात् यूनितों के पश्चात्कर्त्ती किसी ऐसे निर्गम द्वारा, जो अनुवर्ती प्रस्थापना, अधिमानी आबंटन, अर्हित संस्थागत प्लेसमेंट, आधिकारिक निर्गम(राइट्स इश्यु), बोनस निर्गम, विक्रय के लिए प्रस्थापना या किसी अन्य प्रणाली द्वारा हो सकेगा, उस रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, निधियां जुटाएगा।

(ख) निवेश न्यास, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और प्राधिकरण के पास प्रस्थापना दस्तावेज़ फाइल करने के कम से कम तीस कार्य दिवस पूर्व, निवेश प्रबंधक या उसके द्वारा नियुक्त किसी रजिस्ट्रीकृत बैंकर के माध्यम से, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) और प्राधिकरण के पास, फीस सहित प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ फाइल करेगा।

(ग) प्राधिकरण के पास फाइल किया गया प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़, प्राधिकरण, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) और निवेश प्रबंधक, निर्गम से सहयुक्त निवेश बैंकरों की वेबसाइटों पर कम से कम चौदह (14) दिन की अवधि के लिए होस्ट करके टिप्पणियों के लिए, यदि कोई हैं, सार्वजनिक किया जाएगा।

(घ) प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ और/या प्रस्थापना दस्तावेज़ के साथ, यथास्थिति, प्रमुख निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर द्वारा हस्ताक्षरित सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र लगाया जाएगा।

(ङ) प्राधिकरण, निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर से संतोषप्रद उत्तर प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस (21) कार्य दिवस के भीतर, निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर को अपनी टिप्पणियां संसूचित कर सकेगा।

(च) निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर यह सुनिश्चित करेंगे कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्थापना दस्तावेज़ फाइल करने से पूर्व, प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ के संबंध में प्राधिकरण से प्राप्त सभी टिप्पणियों को उपयुक्त रूप से विचार में लिया जाए।

(छ) प्रस्थापना दस्तावेज़, प्रस्थापना के खोले जाने से कम से कम पांच (5) कार्य दिवस पूर्व मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) और प्राधिकरण के समक्ष फाइल किया जाएगा।

(ज) आरंभिक प्रस्थापना या अनुवर्ती प्रस्थापना या आधिकारिक निर्गम, निवेश न्यास द्वारा, प्राधिकरण द्वारा संप्रेक्षण जारी किए जाने की तारीख से एक (1) वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर किए जाएंगे:

परन्तु यदि विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर आरंभिक प्रस्थापना या अनुवर्ती प्रस्थापना या आधिकारिक निर्गम नहीं किया जाता है तो नया प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ फाइल किया जाएगा।

(झ) निवेश न्यास, लागू निवेश दिशानिर्देशों और गृह अधिकार-क्षेत्र के विनियामकों द्वारा जारी की गई अनुज्ञाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, अभिदान के लिए आमंत्रण कर सकेगा और किसी निवेशक को यूनिट आबंटित कर सकेगा।

(ञ) आरंभिक प्रस्थापना और अनुवर्ती प्रस्थापना तीस (30) दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिदान के लिए नहीं खोली जाएगी।

(ट) अधिक अभिदान की दशा में, निवेश न्यास आवेदकों को, प्रति अभिदाता न्यूनतम अभिदान की रकम के अधीन रहते हुए, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित आनुपातिक आधार पर यूनिट आबंटित करेगा।

(ठ) निवेश न्यास, निर्गम के बन्द होने की तारीख से बारह (12) कार्य दिवस के भीतर, यथास्थिति, यूनिट आबंटित करेगा या आवेदन राशि का प्रतिदाय करेगा।

(ड) निवेश न्यास, सभी आवेदकों को, केवल अभौतिकीकृत (डीमैट) रूप में यूनिट जारी करेगा।

(ढ) सार्वजनिक निर्गम द्वारा जारी किए गए निवेश न्यास के यूनिटों की कीमत का अवधारण बुक बिल्डिंग प्रक्रिया या किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से, प्राधिकरण या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा जारी किए गए परिपत्रों या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(ण) निवेश न्यास निम्नलिखित को धनराशि का प्रतिदाय करेगा,-

i. सभी आवेदकों को, यदि वह प्रस्थापना दस्तावेज़ में यथा-विनिर्दिष्ट नए निर्गम आकार के नब्बे प्रतिशत (90%) से अधिक अभिदान रकम संगृहीत करने में असफल होता है;

ii. अधिक अभिदान की सीमा तक आवेदकों को, यदि प्राप्त धनराशि, प्रस्थापना दस्तावेज़ में यथा-विनिर्दिष्ट अधिक-अभिदान की सीमा से अधिक है:

परन्तु ऐसे अधिक अभिदान को प्रतिधारित करने का अधिकार, निर्गम के आकार के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक नहीं हो सकता है:

परन्तु यह और कि प्रस्थापना दस्तावेज़ में ऐसे अधिक अभिदान आगमों का, यदि कोई है, उपयोग करने मद्दे पर्याप्त प्रकटन अंतर्विष्ट होंगे और अधिक अभिदान के कारण प्रतिधारित ऐसे आगमों का उपयोग साधारण प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

(त) यूनिटों को विक्रय के लिए जनता को तब प्रस्थापित किया जा सकेगा यदि ऐसे यूनिट, प्राधिकरण के पास प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ फाइल किए जाने से पूर्व, विद्यमान यूनिटधारकों द्वारा कम से कम एक (1) वर्ष की अवधि के लिए धारित किए गए हैं:

परन्तु साधारण शेयरों, अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (उस तारीख से जब ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः समादत्त हो गई हैं) या होल्डको और/या एस.पी.वी. में उस भागीदारी हित के लिए, जिसके विरुद्ध ऐसे यूनिट प्राप्त किए गए हैं, धारण अवधि को इस विनियम में निर्दिष्ट एक (1) वर्ष की अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ विचार में लिया जाएगा:

परन्तु यह और कि उन अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को, जिनकी धारण अवधि को विक्रय की प्रस्थापना के लिए गणना करने के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है, प्रस्थापना दस्तावेज़ फाइल करने से पूर्व होल्डको या एस.पी.वी. के साधारण शेयरों में संपरिवर्तित किया जाएगा।

(थ) प्राधिकरण के पास फाइल किए गए प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ में निर्गम के उद्देश्यों में यथा-उल्लिखित साधारण प्रयोजनों के लिए रकम, निवेश न्यास द्वारा यूनिटों के निर्गमन द्वारा जुटाई गई रकम के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होगी।

प्रस्थापना दस्तावेज़ या प्लेसमेंट ज्ञापन

95. (1) किसी निवेश न्यास के प्रस्थापना दस्तावेज़ या प्लेसमेंट ज्ञापन में, निवेशकों को सुविचारित विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए तात्विक, सत्य, सही और पर्याप्त प्रकटन अंतर्विष्ट होंगे।

(2) प्रस्थापना दस्तावेज़ या प्लेसमेंट ज्ञापन में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा यथा-अपेक्षित और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा उपबंधित प्रारूप में समस्त जानकारी शामिल होगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:

(क) परिचय;

(ख) प्रायोजक(प्रायोजकों), निवेश प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, न्यासी और अन्य संबद्ध पक्षकारों के व्यौरे;

(ग) निवेश न्यास की संक्षिप्त पृष्ठभूमि;

(घ) निवेश न्यास के अधीन आस्तियों का वर्णन;

- (ड) कारबार संबंधी ब्यौरे और रणनीति;
- (च) लीवरेज;
- (छ) हित-संघर्ष और संबद्ध पक्षकार के संव्यवहार;
- (ज) मूल्यांकन;
- (झ) वित्त संबंधी जानकारी;
- (ञ) यूनिट धारकों के अधिकार;
- (ट) हक संबंधी प्रकटन, मुकदमेबाजी और विनियमनकारी कार्रवाइयां;
- (ठ) जोखिम कारक;
- (ड) कराधान ।

(3) प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएंगे:

- (क) प्रस्थापना दस्तावेज़/प्लेसमेंट ज्ञापन सहित पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट;
- (ख) प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ या प्लेसमेंट ज्ञापन सहित परियोजना कार्यान्वयन /प्रबंधन करार;
- (ग) प्रारूप प्रस्थापना दस्तावेज़ और प्रस्थापना दस्तावेज़/प्लेसमेंट ज्ञापन सहित सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र; और
- (घ) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) से सैद्धांतिक अनुमोदन ।

(4) किसी ऐसे निवेश न्यास के प्लेसमेंट ज्ञापन में, जिसके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने प्रस्तावित नहीं हैं, ऐसे निवेश न्यास के लिए यथा-विनिर्दिष्ट, जिनके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने प्रस्तावित हैं, लागू सीमा तक समस्त जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।

सतत बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं

96. (1) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निवेश न्यास, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट सतत बाध्यताओं और प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(2) ऐसे किसी निवेश न्यास को, जिसके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, निम्नलिखित प्रकटन अपेक्षाएं लागू होंगी:

- (क) निवेश न्यास का निवेश प्रबंधक, निवेश न्यास के न्यासी और यूनिटधारकों को या तो इलैक्ट्रॉनिक रूप में या भौतिक प्रतियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, छमाही रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (ख) वार्षिक और छमाही रिपोर्टों में, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्राइवेट रूप से स्थापित निवेश न्यासों के लिए यथा-विनिर्दिष्ट प्रकटन अंतर्विष्ट होंगे।
- (ग) निवेश प्रबंधक, न्यासी और यूनिटधारकों को ऐसी जानकारी प्रकट करेगा, जिसका संबंध निवेश न्यास के प्रचालन या कार्यपालन से है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, किन्तु यहां तक निर्बंधित नहीं हैं:-
 - i. किसी ऐसी अवसंरचना परियोजना या संपत्ति का सीधे या होल्डको या एस.पी.वी. के माध्यम से अर्जन या निस्तारण, जिसका मूल्य, निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य के पांच प्रतिशत (5%) से अधिक है;
 - ii. निवेश न्यास द्वारा यूनिटों का अतिरिक्त निर्गम;
 - iii. निवेश न्यास द्वारा अभिप्रास किसी क्रेडिट रेटिंग के ब्यौरे और ऐसी रेटिंग में कोई परिवर्तन;
 - iv. ऐसा कोई मुद्दा, जिसके लिए यूनिटधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है;
 - v. ऐसी कोई विधिक कार्यवाही, जिसका निवेश न्यास के कार्यकरण से महत्वपूर्ण संबंध है;
 - vi. यूनिटधारकों की बैठकों के नोटिस और परिणाम;
 - vii. इन विनियमों और इनके अधीन जारी किए गए परिपत्रों या दिशानिर्देशों के अननुपालन की कोई घटना, जिसके अंतर्गत सीमाओं का कोई भंग भी है; और
 - viii. ऐसा कोई तात्त्विक मुद्दा, जिसे निवेश प्रबंधक या न्यासी की राय में यूनिटधारकों को प्रकट किया जाना आवश्यक है ।

निवेश संबंधी शर्तें

97. (1) निवेश न्यास, निम्नलिखित बातों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, अवसंरचना परियोजनाओं या संपत्तियों में, एस.पी.वी. के माध्यम से निवेश कर सकेगा :-

(क) एस.पी.वी. का कोई अन्य शेयरधारक या भागीदार ऐसे किन्हीं अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, जो निवेश न्यास को प्राधिकरण और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमनकारी अपेक्षाओं का अनुपालन करने से निवारित करते हैं और एस.पी.वी. में निवेश करने से पूर्व ऐसे शेयरधारकों या भागीदारों के साथ इस आशय का एक करार किया गया है:

परन्तु शेयरधारक करार या भागीदारी करार में, निवेश न्यास और एस.पी.वी. में अन्य शेयरधारकों या भागीदारों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक उपयुक्त प्रणाली का उपबंध होगा:

परन्तु यह और कि इन करारों और प्राधिकरण और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा निवेश न्यास पर अधिरोपित बाध्यताओं के बीच असंगति की दशा में, प्राधिकरण और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंध अभिभावी होंगे।

(ख) यदि एस.पी.वी. एक कंपनी/एल.एल.पी. है तो निवेश प्रबंधक, न्यासी से परामर्श करके, ऐसे एस.पी.वी. के अधिकांश निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड, जो भी लागू हो, नियुक्त करेगा:

परन्तु आर.ई.आई.टी. की दशा में, निवेश प्रबंधक, न्यासी से परामर्श करके, ऐसे एस.पी.वी. के निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड, जो भी लागू हो, में कम से कम इतनी संख्या में नामनिर्देशिती नियुक्त करेगा, जितने एस.पी.वी. में आर.ई.आई.टी की शेयरधारिता या धृति हित के अनुपात में हैं।

(ग) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि एस.पी.वी. की प्रत्येक बैठक में, जिसके अंतर्गत वार्षिक साधारण बैठक भी है, निवेश न्यास के मताधिकार का प्रयोग किया जाए।

(2) निवेश न्यास, निम्नलिखित बातों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, अवसंरचना परियोजनाओं या संपत्तियों में, होल्डको के माध्यम से निवेश कर सकेगा:

(क) अंतर्निहित एस.पी.वी. में निवेश न्यास का अंतिम धृति हित छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम नहीं है;

(ख) होल्डको या एस.पी.वी. का कोई अन्य शेयरधारक या भागीदार ऐसे किन्हीं अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा जो निवेश न्यास, होल्डको या एस.पी.वी. को प्राधिकरण और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमनकारी अपेक्षाओं का अनुपालन करने से निवारित करते हैं और होल्डको और/या एस.पी.वी. में निवेश करने से पूर्व ऐसे शेयरधारकों या भागीदारों के साथ इस आशय का एक करार किया गया है:

परन्तु शेयरधारक करार या भागीदारी करार में, निवेश न्यास और होल्डको और/या एस.पी.वी. में अन्य शेयरधारकों या भागीदारों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक उपयुक्त प्रणाली का उपबंध होगा:

परन्तु यह और कि इन करारों और प्राधिकरण और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निवेश न्यास पर अधिरोपित बाध्यताओं के बीच असंगति की दशा में, प्राधिकरण और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंध अभिभावी होंगे।

(ग) निवेश प्रबंधक, न्यासी से परामर्श करके, होल्डको और एस.पी.वी. के अधिकांश निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड, जो भी लागू हो, नियुक्त करेगा:

परन्तु आर.ई.आई.टी. की दशा में, निवेश प्रबंधक, न्यासी से परामर्श करके, होल्डको और/या एस.पी.वी. के निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड, जो भी लागू हो, में कम से कम इतनी संख्या में नामनिर्देशिती नियुक्त करेगा, जितने एस.पी.वी. में आर.ई.आई.टी की शेयरधारिता या धृति हित के अनुपात में हैं; और

(घ) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि होल्डको और एस.पी.वी. की प्रत्येक बैठक में, जिसके अंतर्गत वार्षिक साधारण बैठक भी है, निवेश न्यास के मताधिकार का प्रयोग किया जाए।

(3) निवेश आई.एफ.एस.सी. या भारत या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में हो सकता है:

परन्तु जहां कोई निवेश, यथास्थिति, किसी विदेशी अवसंरचना परियोजना या भू-संपदा आस्ति में किया जाता है वहां निवेश प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निवेश उस विदेशी देश में लागू सभी विधियों और अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(4) कोई निवेश न्यास, यथास्थिति, संपूरित और किराया उत्पन्न करने वाली संपत्ति या किसी अवसंरचना आस्ति को निवेश न्यास द्वारा सीधे या होल्डको और/या एस.पी.वी. के माध्यम से ऐसी आस्ति के क्रय की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा:

परन्तु यह एस.पी.वी. से भिन्न अवसंरचना सेक्टर में कंपनियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को लागू नहीं होगा।

(5) निवेश प्रबंधक, संपत्ति के किसी विक्रय के लिए, चाहे वह निवेश न्यास द्वारा या होल्डको या एस.पी.वी. द्वारा किया जाए या होल्डको या निवेश न्यास द्वारा एस.पी.वी. में, किसी वित्तीय वर्ष में निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों या हित के क्रय के लिए, यूनिटधारकों से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

(6) कोई निवेश न्यास अन्य निवेश न्यास(न्यासों) के यूनिटों में निवेश नहीं करेगा।

(7) कोई निवेश न्यास, ऐसी होल्डको/विशेष प्रयोजन यान(यानों) से भिन्न, जिसमें निवेश न्यास ने निवेश किया है, किसी व्यक्ति को उधार नहीं देगा:

परन्तु ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, उधार देना नहीं समझा जाएगा।

अवसंरचना निवेश न्यास की दशा में अतिरिक्त शर्तें

98. (1) किसी अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा निवेश केवल होल्डको और/या एस.पी.वी. या अवसंरचना परियोजनाओं या प्रतिभूतियों में, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और प्रस्थापना दस्तावेज़ में यथा-वर्णित निवेश रणनीति के अनुसार होगा:

परन्तु पी.पी.पी. परियोजनाओं की दशा में, अवसंरचना निवेश न्यास, आज्ञापक रूप से अवसंरचना परियोजनाओं में होल्डको और/या एस.पी.वी. के माध्यम से निवेश करेगा।

(2) अवसंरचना निवेश न्यास के सार्वजनिक निर्गमों की दशा में:-

(क) अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य का कम से कम 80 प्रतिशत (80%), अवसंरचना निवेश न्यास की धृति के अनुपात में, संपूरित और राजस्व उत्पन्न करने वाली अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: यदि किसी होल्डको और/या एस.पी.वी. के माध्यम से निवेश किया गया है तो ऐसी होल्डको और/या एस.पी.वी. द्वारा संपूरित और राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में केवल प्रत्यक्ष निवेश के भाग पर इस उप-विनियम के अधीन विचार किया जाएगा और शेष भाग को इस उप-विनियम के खंड (ख) में शामिल किया जाएगा। यदि किसी परियोजना को प्रक्रमों में कार्यान्वित किया जाता है तो परियोजना के उस भाग पर, जिसे संपूरित और राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इस उप-विनियम के अधीन विचार किया जाएगा और शेष भाग को इस उप-विनियम के खंड (ख) अधीन शामिल किया जाएगा।

(ख) अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य का 20 प्रतिशत (20%) से अनधिक निम्नलिखित में निवेश किया जाएगा:

(i) निर्माणाधीन अवसंरचना परियोजनाएं, चाहे सीधे या होल्डको और/या एस.पी.वी. के माध्यम से:

परन्तु ऐसी आस्तियों में निवेश, अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होगा।

(ii) अवसंरचना सेक्टर में, कंपनियों या निगमित निकाय के सूचीबद्ध या असूचीबद्ध ऋण:

परन्तु निवेश के अंतर्गत होल्डको और/या एस.पी.वी. के ऋण में किया गया कोई निवेश शामिल नहीं होगा।

(iii) ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों के साधारण शेयर, जो अपनी कम से कम अस्सी प्रतिशत प्रचालन संबंधी आय, अवसंरचना सेक्टर से व्युत्पन्न करती हैं;

(iv) सरकारी प्रतिभूतियां;

(v) किसी अधिराष्ट्र(सुप्रनेशनल) एजेंसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां; और

(vi) धनीय बाजार लिखतें, नकदी पारस्परिक निधियां या नकद समतुल्य।

(3) ऐसे अवसंरचना निवेश न्यासों की बाबत, जिन्होंने सार्वजनिक निर्गम द्वारा निधियां जुटाई हैं, यदि अंतर्निहित आस्तियों या प्रतिभूतियों की कीमत में बाजार की गतिविधियों के कारण निवेश संबंधी शर्तों का भंग किया जाता है तो निवेश प्रबंधक इसके संबंध में न्यासी को सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे भंग के छह(6) मास के भीतर, इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट निवेश संबंधी शर्तों को पूरा कर दिया जाए।

(4) अवसंरचना निवेश न्यास के प्राइवेट प्लेसमेंट की दशा में:-

(क) अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य का कम से कम 80 प्रतिशत या तो सीधे या होल्डको के माध्यम से या एस.पी.वी. के माध्यम से, पात्र अवसंरचना परियोजनाओं में;

(ख) अनिवेशित निधियों का निम्नलिखित में निवेश किया जा सकेगा:

(i) अवसंरचना सेक्टर में कंपनियों या निगमित निकाय के सूचीबद्ध या असूचीबद्ध ऋण:

परन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई निवेश शामिल नहीं होगा जो होल्डको और/या एस.पी.वी. के ऋण में किया गया है;

(ii) ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों के साधारण शेयर, जो अपने प्रचालन की कम से कम अस्सी प्रतिशत आय अवसंरचना सेक्टर से व्युत्पन्न करती हैं;

- (iii) सरकारी प्रतिभूतियां;
- (iv) अधिराष्ट्र एजेंसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां; और
- (v) धनीय बाजार लिखतें, नकदी पारस्परिक निधियां या नकदी समतुल्य ।

आर.ई.आई.टी. की दशा में अतिरिक्त शर्तें

99. (1) किसी आर.ई.आई.टी. द्वारा निवेश या तो सीधे या किसी एस.पी.वी. के माध्यम से या होल्डको के माध्यम से होगा ।

(2) कोई आर.ई.आई.टी. केवल निम्नलिखित में निवेश करेगा:-

- (क) आई.एफ.एस.सी. में या उसके बाहर भू-संपदा, चाहे वह पूर्ण स्वामित्व वाली हो या पट्टाधृत;
- (ख) भू-संपदा से संबंधित आस्तियां;
- (ग) सूचीबद्ध या असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां या स्थानीय या विदेशी गैर-संपत्ति निगमों के सूचीबद्ध शेयर;
- (घ) सरकारी प्रतिभूतियां;
- (ङ) किसी अधिराष्ट्र एजेंसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां; और
- (च) नकदी और नकदी समतुल्य मदें ।

(3) सार्वजनिक प्रस्थापना की दशा में निवेश, निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुपालन में किया जाना चाहिए:

- (क) आर.ई.आई.टी. आस्तियों का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत (75%) निवेश, आय उत्पन्न करने वाली भू-संपदा में किया जाना चाहिए;
- (ख) उसे संपत्ति के विकास के क्रियाकलाप तब तक प्रारंभ नहीं करने चाहिए जब तक उसका आशय कार्य पूरा होने पर विकसित संपत्ति को धारण करना न हो;
- (ग) खाली भूमि और बंधकों में, बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों के सिवाय, निवेश नहीं किया जाना चाहिए:

परन्तु ये अपेक्षाएं ऐसी किसी भूमि को लागू नहीं होंगी, जो प्रक्रमों में क्रियान्वित की जा रही किसी विद्यमान परियोजना के सन्निहित और विस्तारण में है;

(घ) किए गए संपत्ति विकास क्रियाकलापों का कुल संविदा मूल्य और असंपूरित संपत्ति के विकास में निवेश, आर.ई.आई.टी. आस्तियों के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होना चाहिए:

परन्तु संपत्ति विकास क्रियाकलापों का कुल संविदा मूल्य, आर.ई.आई.टी. आस्तियों के अधिकतम पच्चीस प्रतिशत (25%) के अधीन रहतो हुए केवल तभी दस प्रतिशत (10%) से अधिक हो सकेगा, यदि:

(i) आर.ई.आई.टी. आस्तियों के पन्द्रह प्रतिशत(15%) तक के अतिरिक्त मोक का उपयोग एकमात्र रूप से ऐसी विद्यमान संपत्ति के पुनर्विकास के लिए किया जाता है जो उसके द्वारा कम से तीन (3) वर्ष के लिए धारित की गई है और जिसे आर.ई.आई.टी. पुनर्विकास के पूरा होने के पश्चात् कम से कम तीन (3) वर्षों के लिए धारण करता रहेगा; और

(ii) उसने यूनिटधारकों का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया है ।

(ङ) ऋण प्रतिभूतियों या स्थानीय या विदेशी गैर-संपत्ति निगमों के सूचीबद्ध शेयरों या सरकारी प्रतिभूतियों या अधिराष्ट्र एजेंसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों या नकदी या नकदी समतुल्य मदों में निवेश के लिए आर.ई.आई.टी. की आस्तियों का पांच प्रतिशत (5%) से अनधिक का निवेश किसी एक निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों या किसी एक प्रबंधक की निधियों में किया जा सकता है; और

(च) अपने राजस्व का दस प्रतिशत (10%) से अधिक निम्नलिखित से भिन्न किन्हीं स्रोतों से व्युत्पन्न नहीं करना चाहिए:

i. उसके द्वारा धारित भू-संपदा के किराएदारों से किराए संबंधी संदाय, या

स्पष्टीकरण: किराए संबंधी संदाय के अंतर्गत वह आय भी है जो भू-संपदा को पट्टे पर देने से आनुषंगिक या प्रासंगिक है, जैसे साइनेज स्थान का उपयोग करने और किराएदारों द्वारा किए गए विज्ञापन संबंधी अंशदान से होने वाली आय;

ii. अनुज्ञेय निवेशों से ब्याज, लाभांश और अन्य समरूप संदाय ।

(4) ऊपर उप-विनियम (3) के खंड (घ) और (ङ) के अधीन निवेश संबंधी निर्बंधन और अपेक्षाएं उस समय लागू होती हैं जब संव्यवहार किए जाते हैं ।

(5) यदि ऊपर खंड (क) और खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट निवेश संबंधी शर्तों का, अंतर्निहित आस्तियों या प्रतिभूतियों की कीमत में बाजार की गतिविधियों या किराएदारों में परिवर्तन या पट्टे के अवसान या संपत्तियों के विक्रय के कारण भंग किया जाता है तो निवेश प्रबंधक इस संबंध में न्यासी को सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तें, ऐसे भंग के छह (6) मास के भीतर पूरी कर दी जाए:

परन्तु यह अवधि, यूनिटधारकों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए अतिरिक्त छह (6) मास तक बढ़ाई जा सकेगी।

(6) प्राइवेट प्लेसमेंट की दशा में निवेश, निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुपालन में होना चाहिए:-

(क) आर.ई.आई.टी. की आस्तियों के मूल्य का कम से कम अस्सी प्रतिशत (80%) या तो सीधे या होल्डको के माध्यम से या एस.पी.वी. के माध्यम से पात्र भू-संपदा संपत्तियों में;

(ख) अनिवेशित निधियों का निवेश निम्नलिखित में किया जा सकेगा:

(i) भू-संपदा सेक्टर में कंपनियों या निगमित निकाय के सूचीबद्ध या असूचीबद्ध ऋण:

परन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई निवेश शामिल नहीं होगा जो होल्डको और/या एस.पी.वी. के ऋण में किया गया है;

(ii) ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों के साधारण शेयर, जो अपने प्रचालन की कम से कम अस्सी प्रतिशत आय भू-संपदा सेक्टर से व्युत्पन्न करती हैं;

(iii) सरकारी प्रतिभूतियां;

(iv) अधिराष्ट्र एजेंसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां; और

(v) धनीय बाजार लिखतें, नकदी पारस्परिक निधियां या नकदी समतुल्य।

वितरण नीति

100. (1) निवेश न्यास और होल्डको और/या एस.पी.वी. द्वारा किए गए वितरणों की बाबत,-

(क) एस.पी.वी. के शुद्ध वितरण-योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%), निवेश न्यास/होल्डको को एस.पी.वी. में उसकी धृति के अनुपात में वितरित किया जाएगा;

(ख) निवेश न्यास के शुद्ध वितरण-योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) यूनिटधारकों को वितरित किया जाएगा;

(ग) होल्डको द्वारा निवेश न्यास को शुद्ध वितरण-योग्य नकदी प्रवाह के वितरण के संबंध में, निम्नलिखित बातों का अनुपालन किया जाएगा:

(i) होल्डको द्वारा अंतर्निहित एस.पी.वी. से प्राप्त नकदी प्रवाह की बाबत, होल्डको द्वारा प्राप्त शत-प्रतिशत (100%) ऐसा नकदी प्रवाह निवेश न्यास को वितरित किया जाएगा; और

(ii) होल्डको द्वारा अपने स्तर पर जनित नकदी प्रवाह की बाबत, ऐसे शुद्ध वितरण-योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) होल्डको द्वारा निवेश न्यास को वितरित किया जाएगा।

(घ) ऐसे वितरण, सार्वजनिक रूप से प्रस्थापित अवसंरचना निवेश न्यास की दशा में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक छह (6) मास में कम से कम एक बार घोषित किए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे और ऐसी घोषणा की तारीख से पन्द्रह (15) दिन अपश्चात् किए जाएंगे।

(2) यदि किसी, यथास्थिति, अवसंरचना आस्ति या संपत्ति का विक्रय निवेश न्यास या होल्डको या एस.पी.वी. द्वारा किया जाता है या साधारण शेयरों या होल्डको/एस.पी.वी. में हित का विक्रय निवेश न्यास द्वारा किया जाता है:

(क) यदि निवेश न्यास का यह प्रस्ताव है कि विक्रय आगमों का, यथास्थिति, अवसंरचना आस्तियों या किसी अन्य संपत्ति में पुनर्निवेश किया जाए तो उसके लिए किसी विक्रय आगम को निवेशकों को वितरित करना अपेक्षित नहीं होगा;

(ख) यदि निवेश न्यास का यह प्रस्ताव है कि विक्रय आगमों का एक (1) वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, किसी अन्य अवसंरचना आस्ति या संपत्ति में निवेश न किया जाए तो उसके लिए उसका वितरण ऊपर उप-विनियम (1) के अनुसार करना अपेक्षित होगा।

उधार और आस्थगित संदाय

101. (1) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निवेश न्यास को निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:

(क) ऐसा निवेश न्यास, जिसके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकेगा:

परन्तु ऐसी ऋण प्रतिभूतियां मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध की जाएंगी।

(ख) निवेश न्यास, होल्डको और एस.पी.वी. के कुल संकलित उधार और आस्थगित संदाय, नकदी और नकदी समतुल्य सहित, निम्नलिखित से अधिक नहीं होंगे:

(i) अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य का सत्तर प्रतिशत (70%); या

(ii) आर.ई.आई.टी. आस्तियों के मूल्य का उनचास प्रतिशत (49%)।

(ग) यदि निवेश न्यास, होल्डको और एस.पी.वी. के कुल संकलित उधार और आस्थगित संदाय, नकदी और नकदी समतुल्य सहित, निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है तो ,-

(i) उनचास प्रतिशत (49%) तक किसी अन्य उधार के लिए, निवेश न्यास -

(क) किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा; और

(ख) यूनिटधारकों के अनुमोदन की ईप्सा करेगा।

(ii) उनचास प्रतिशत (49%) से ऊपर किसी अन्य उधार के लिए, कोई अवसंरचना निवेश न्यास -

(क) किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, अपने समेकित उधार और प्रस्तावित उधार के लिए "AAA" या समतुल्य क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा।

(ख) निधियों का उपयोग केवल अवसंरचना परियोजनाओं के अर्जन या विकास के लिए करेगा;

(ग) उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें वृद्धित उधार लिए जाने प्रस्तावित हैं, पूर्ववर्ती वर्षों में, सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात् सतत आधार पर कम से कम छह वितरणों का ट्रैक अभिलेख रखेगा; और

(घ) यूनिटधारकों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(घ) यदि उपर्युक्त उप-खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों का, अंतर्निहित आस्तियों या प्रतिभूतियों की कीमत में बाजार की गतिविधियों के कारण भंग किया जाता है तो निवेश प्रबंधक इसके संबंध में न्यासी को सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे भंग के छह मास के भीतर शर्तों को पूरा कर दिया जाए।

(2) ऐसा कोई निवेश न्यास, जिसके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, उतनी संख्या में निवेशकों से अनुमोदन की ईप्सा करने के पश्चात्, जितने न्यास विलेख में विनिर्दिष्ट हैं, न्यास विलेख के अधीन अनुज्ञात सीमा तक उधार ले सकेगा।

आस्तियों का मूल्यांकन

102. (1) मूल्यांकक द्वारा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा:

परन्तु ऐसा पूर्ण मूल्यांकन 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उस वर्ष की समाप्ति से दो (2) मास के भीतर किया जाएगा।

(2) मूल्यांकक द्वारा निवेश न्यास की आस्तियों का 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए, पूर्ववर्ती छह (6) मास में किन्हीं प्रमुख परिवर्तनों को समाविष्ट करने के लिए छमाही मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे छमाही मूल्यांकन की रिपोर्ट ऐसी छमाही की समाप्ति की तारीख से एक (1) मास के भीतर तैयार की जाएगी।

परन्तु यदि किसी अवसंरचना निवेश न्यास का समेकित उधार और आस्थगित संदाय उनचास प्रतिशत (49%) से अधिक होने की दशा में, ऐसे अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों का मूल्यांकन, मूल्यांकक द्वारा जून, सितम्बर और दिसम्बर में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, पूर्ववर्ती तिमाही में किन्हीं प्रमुख परिवर्तनों को समाविष्ट करने के लिए किया जाएगा और ऐसी तिमाही रिपोर्ट ऐसी तिमाही की समाप्ति की तारीख के एक मास के भीतर तैयार की जाएगी।

(3) निवेश प्रबंधक द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टें, ऐसे अवसंरचना निवेश न्यास की बाबत, जिसके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) को, ऐसी मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।

(4) मूल्यांकक, सार्वजनिक रूप से प्रस्थापित निवेश न्यास द्वारा बोनस निर्गम से भिन्न द्वारा यूनिटों के किसी निर्गम से पूर्व, समस्त आस्तियों का पूर्ण मूल्यांकन करेगा और उसे प्रस्थापना दस्तावेज़ में शामिल करेगा:

परन्तु ऐसी मूल्यांकन रिपोर्ट, ऐसी प्रस्थापना के समय छह मास से अधिक पुरानी नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यह ऐसी दशाओं में लागू नहीं होगा जहां पूर्ण मूल्यांकन, ऐसे निर्गम से छह (6) मास से अनधिक पूर्व किया गया है और उसके पश्चात् कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं हुए हैं।

(5) सार्वजनिक रूप से प्रस्थापित निवेश न्यासों के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं या संपत्तियों के, चाहे सीधे या होल्डको और/या एस.पी.वी. के माध्यम से किए गए क्रय या विक्रय के किसी संव्यवहार के लिए,-

(क) मूल्यांकक द्वारा विनिर्दिष्ट परियोजना का पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा, यदि,-

(i) किसी क्रय संव्यवहार की दशा में, आस्ति का क्रय, मूल्यांकक द्वारा यथा-निर्धारित आस्ति के मूल्य के एक सौ दस प्रतिशत(110%) से अधिक मूल्य पर किया जाना प्रस्तावित है;

(ii) किसी विक्रय संव्यवहार की दशा में, आस्ति का विक्रय, मूल्यांकक द्वारा यथा-निर्धारित आस्ति के मूल्य के नब्बे प्रतिशत (90%) से कम मूल्य पर किया जाना प्रस्तावित है,

तो यूनिटधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(6) ऐसी किसी तात्विक गतिविधि की दशा में, जिसका निवेश न्यास के अधीन आने वाली आस्तियों के मूल्यांकन पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, तब निवेश प्रबंधक मूल्यांकक से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी घटना की तारीख से दो (2) मास से अनधिक अवधि के भीतर विचाराधीन अवसंरचना परियोजना या संपत्ति का पूर्ण मूल्यांकन करे और उसे न्यासी तथा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) को ऐसे मूल्यांकन से पन्द्रह दिन (15) के भीतर प्रकट करे।

(7) मूल्यांकक ऐसी किन्हीं आस्तियों का मूल्यांकन नहीं करेगा जिनमें वह पिछले बारह(12) मास के भीतर अर्जन या निस्तारण के लिए अंतर्वलित रहा है, ऐसे मामलों से भिन्न जहां मूल्यांकक को निवेश न्यास द्वारा ऐसे अर्जन या निस्तारण के लिए नियोजित किया गया था।

ऐसे किसी निवेश न्यास द्वारा प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण, जिसके यूनिट सूचीबद्ध नहीं हैं

103. (1) ऐसा निवेश न्यास, जिसके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, प्राधिकरण को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने का विकल्प अपना सकेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण की स्वीकृति पर वह इसके बाद निवेश न्यास के क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(2) निवेश न्यास और निवेश न्यास के पक्षकार, प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण के होते हुए भी, निवेश न्यास के क्रियाकलापों की बाबत अपने समस्त कार्यों और लोपों के लिए दायी बने रहेंगे।

भाग ग: कौटुम्बिक निवेश निधि

पात्रता शर्तें

104. (1) आई.एफ.एस.सी. में कौटुम्बिक निवेश निधि, कंपनी, न्यास(केवल अंशदायी न्यास) या सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे किसी अन्य रूप में, जो प्राधिकरण समय-समय पर अनुज्ञात करे, स्थापित की जा सकती है:

परन्तु जहां अंशदायी यान किसी न्यास (अर्थात् एक अंशदायी न्यास) के रूप में है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) फायदाग्राही, यद्यपि न्यास विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से नामित नहीं हैं, तथापि न्यास विलेख के उपबंधों के आधार पर अभिज्ञेय हैं;

(ख) प्रत्येक फायदाग्राही का अंश, न्यास विलेख में उल्लिखित उपबंध/फार्मूले के आधार पर अवधारित किए जाने में समर्थ होना चाहिए और वह न्यासी के विवेक पर नहीं होगा; और

(ग) न्यास में, आरंभिक अंशदाताओं के अतिरिक्त, अतिरिक्त अंशदाताओं के किसी परिवर्धन से विद्यमान फायदाग्राही अज्ञात नहीं हो जाएंगे और उनका अंश अनवधार्य नहीं हो जाएगा।

(2) विनियम 5 और 8 के अधीन, किसी एफ.एम.ई. का विधिक रूप और शुद्ध संपत्ति के संबंध में अपेक्षाएं किसी कौटुम्बिक निवेश निधि को लागू नहीं होंगी।

(3) आई.एफ.एस.सी. में कौटुम्बिक निवेश निधि का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की तारीख से तीन(3) वर्ष की अवधि के भीतर 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का न्यूनतम कार्पस होना चाहिए और उसे बनाए रखा जाना चाहिए।

(4) कौटुम्बिक निवेश निधि, कुटुम्ब की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए, असीमित अवधि वाली या सीमित अवधि वाली होनी चाहिए।

अनुज्ञेय क्रियाकलाप

105. कोई कौटुम्बिक निवेश निधि, कौटुम्बिक निवेश निधि के प्रबंधन से संबंधित समस्त क्रियाकलाप और जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, कर सकेगी।

अनुज्ञेय निवेश

106. इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई कौटुम्बिक निवेश निधि केवल निम्नलिखित में धन निवेश कर सकेगी :-

(क) असूचीबद्ध इकाइयों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियां, जो आई.एफ.एस.सी., भारत में या विदेशी अधिकार-क्षेत्रों में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध की जानी हैं या उनमें व्यापार किया जाना है;

(ग) धनीय बाजार लिखतें;

(घ) ऋण प्रतिभूतियां;

(ङ) प्रतिभूत ऋण लिखतें, जो या तो आस्ति समर्थित या बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां हैं

(च) आई.एफ.एस.सी., भारत और विदेशी अधिकार-क्षेत्र में स्थापित अन्य निवेश स्कीमें;

(छ) डेरिवेटिव्स, जिसके अंतर्गत वस्तु डेरिवेटिव्स भी हैं;

(ज) भारत और विदेशी अधिकार-क्षेत्र में पारस्परिक निधियों और अनुकल्पी निवेश निधियों के यूनिट;

(झ) सीमित दायित्व भागीदारियों में निवेश;

(ञ) भौतिक आस्तियां, जैसे भू-संपदा, बुलियन, कलाकृति आदि; या

(ट) ऐसी अन्य प्रतिभूतियां या वित्तीय उत्पाद/आस्तियां या लिखतें, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

उधार

107. कोई कौटुम्बिक निवेश निधि, अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, निधियां उधार ले सकेगी या लीवरेज क्रियाकलापों में संलग्न हो सकेगी।

अध्याय VII**सूचीबद्ध किया जाना****असीमित अवधि वाली स्कीमों का सूचीबद्ध किया जाना**

108. एफ.एम.ई., स्वविवेकानुसार, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में अध्याय III के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट असीमित अवधि वाली स्कीमों सूचीबद्ध कर सकेगी।

सीमित अवधि वाली स्कीमों का सूचीबद्ध किया जाना

109. एफ.एम.ई., स्वविवेकानुसार, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में अध्याय III के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट सीमित अवधि वाली स्कीमों सूचीबद्ध कर सकेगी।

परन्तु सीमित अवधि वाली कोई खुदरा स्कीम किसी एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आज्ञापक रूप से सूचीबद्ध की जाएगी।

ई.टी.एफ. का सूचीबद्ध किया जाना

110. ई.टी.एफ. के यूनिट कम से कम एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आज्ञापक रूप से सूचीबद्ध किए जाएंगे।

निवेश न्यास का सूचीबद्ध किया जाना

111.(1) अध्याय VI के भाग ख के अधीन यथा-उपबंधित निवेश न्यास के यूनिट(निवेश न्यास के प्राइवेट प्लेसमेंट के सिवाय, जिसके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में न तो सूचीबद्ध किए जाते हैं और न ही सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित होते हैं) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में निम्न प्रकार सूचीबद्ध किए जाएंगे-

(क) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्थापना की दशा में, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्थापना के बन्द होने की तारीख से 12 कार्य दिवस के भीतर;

(ख) प्राइवेट प्लेसमेंट की दशा में, आबंटन की तारीख से 30 कार्य दिवस के भीतर:

परन्तु यह उप-विनियम तब लागू नहीं होगा यदि आरंभिक प्रस्थापना, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अभिदान की रकम पूरी नहीं करती है।

(2) निवेश न्यास के यूनिटों का सूचीयन, निवेश न्यास और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बीच किए गए सूचीयन करार के अनुसार होगा।

(3) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध निवेश न्यास के यूनिट, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और ऐसी शर्तों के अनुसार, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, ट्रेडेड, समाशोधित और परिनिर्धारित किए जाएंगे।

(4) प्रायोजक(प्रायोजकों) से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति, जो आरंभिक प्रस्थापना से पूर्व निवेश न्यास के यूनिट धारण कर रहा है, उन यूनिटों को, यूनिटों के सूचीबद्ध किए जाने की तारीख से कम से कम छह(6) मास की अवधि के लिए धारण करेगा।

(5) ऐसा निवेश न्यास, जिसके यूनिट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, ऐसे यूनिटों को, उसके द्वारा उन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अधीन रहते हुए, जो इन विनियमों के अधीन प्राइवेट रूप से स्थापित और सूचीबद्ध निवेश न्यास के लिए विनिर्दिष्ट हैं और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकेगा।

सूचीबद्ध करने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का अनुमोदन

112. (1) ऐसी एफ.एम.ई., जिसका आशय अपनी स्कीम या ई.टी.एफ. या निवेश न्यास के यूनिटों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध कराना है, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) से, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) की अपेक्षाओं के अनुसार, समय-समय पर, 'सैद्धांतिक' अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी।

(2) स्कीमों या ई.टी.एफ. या निवेश न्यास का असूचीयन, उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विनिर्दिष्ट करे, अनुज्ञात किया जाएगा।

प्रकटन

113. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध स्कीमों या ई.टी.एफ. या निवेश न्यास ऐसे प्रकटन करेंगे, जो प्राधिकरण या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विनिर्दिष्ट करे।

भारत या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में सूचीबद्ध किसी ई.टी.एफ. या निवेश न्यास का द्वितीय सूचीयन

114.(1) किसी ई.टी.एफ. या निवेश न्यास को(आई.एफ.एस.सी. से बाहर वह चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने और ट्रेड करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा बशर्ते:

(क) यथास्थिति, ई.टी.एफ. या निवेश न्यास भारत में(आई.एफ.एस.सी. के बाहर) या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र में सूचीबद्ध है; और

(ख) ई.टी.एफ. या निवेश न्यास उसके गृह अधिकार-क्षेत्र की विधि के अनुपालन में है।

(2) ऐसी ई.टी.एफ. या निवेश न्यास के सूचीबद्ध किए जाने के लिए आवेदन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास उस प्ररूप और उस रीति में, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उपबंधित करे, फाइल किया जाएगा।

(3) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी ई.टी.एफ. या निवेश न्यास के लिए, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हैं, सतत बाध्यताओं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं से छूट प्रदान कर सकेंगे बशर्ते एफ.एम.ई., मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) को समस्त जानकारी और दस्तावेज उसी समय अंग्रेजी में देती है जैसे ही वे उस गृह एक्सचेंज में दी जाती हैं, जहां वह प्राथमिक रूप से सूचीबद्ध है।

सूचीयन और ट्रेडिंग का निलंबन

115.(1) प्राधिकरण या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, किसी निवेश न्यास या स्कीमों या ई.टी.एफ. के यूनिटों के सूचीयन और ट्रेडिंग को तब निलंबित कर सकेगा यदि:

(क) निवेश न्यास या निवेश न्यास के पक्षकार या एफ.एम.ई. प्राधिकरण या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमनकारी उपबंधों के अनुपालन में हैं;

(ख) निवेश न्यास या स्कीमों या ई.टी.एफ. को किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में निलंबित किया जाता है;

(ग) बाजार का व्यवस्थित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निलंबन अपेक्षित है;

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे निवेश न्यास या स्कीमों या ई.टी.एफ. के सूचीयन और ट्रेडिंग को, जिन्हें निलंबित किया गया है प्रत्यावर्तित कर सकेगा, यदि वह यह समझता है कि अब निलंबन अपेक्षित नहीं है।

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीयन

116. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, निवेश न्यास या स्कीमों या ई.टी.एफ. का असूचीयन कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि -

(क) निवेश न्यास/स्कीम/ई.टी.एफ. ट्रेडिंग के लिए छह मास से अधिक के लिए निलंबित है या निवेश न्यास के पक्षकार या एफ.एम.ई. सूचीयन और ट्रेडिंग का प्रत्यावर्तन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं;

(ख) निवेश न्यास या निवेश न्यास के पक्षकार या एफ.एम.ई. सूचीयन या ट्रेडिंग के लिए अब पात्र नहीं हैं;

(ग) निवेश न्यास या स्कीमों या ई.टी.एफ. का एक अन्य एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से असूचीयन कर दिया गया है;

(घ) यदि एक्सचेंज का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं जो निवेश न्यास या स्कीमों या ई.टी.एफ. का असूचीयन करने की अपेक्षा करती हैं; या

(ङ) प्राधिकरण या किसी अन्य सुसंगत प्राधिकरण या लागू अधिकारिता वाले न्यायालय के किसी आदेश द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया गया है।

स्वेच्छया असूचीयन

117. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, निवेश न्यास या स्कीम या ई.टी.एफ. का, निवेश न्यास या एफ.एम.ई. से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) या प्राधिकरण द्वारा उपबंधित रीति में असूचीयन कर सकेगा।

अध्याय VIII

साधारण बाध्यताएं और उत्तरदायित्व

आचार संहिता

118. प्रत्येक एफ.एम.ई., उसके वैश्वासिक, के.एम.पी.(जिसके अंतर्गत प्रधान अधिकारी, निधि प्रबंधक और अभिहित अनुपालन अधिकारी हैं) तीसरी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।

लेखा बहियां, अभिलेख और अन्य दस्तावेज़ रखना

119.(1) प्रत्येक एफ.एम.ई., प्रत्येक स्कीम के लिए समुचित लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ रखेगी और उन्हें बनाए रखेगी जिससे उसके संव्यवहारों को स्पष्ट किया जा सके और किसी भी समय प्रत्येक स्कीम की वित्तीय स्थिति को प्रकट किया जा सके और विशेष रूप से स्कीम के कामकाज के बारे में सही और ऋजु राय दी जा सके और प्राधिकरण को वह स्थान सूचित करेगी जहां ऐसी लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ रखे गए हैं।

(2) प्रत्येक एफ.एम.ई., कम से कम निम्नलिखित लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ इलैक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्तियोग्य(रिट्रीवल) रूप में कम से कम दस वर्षों के लिए रखेगी और उसे परिरक्षित रखेगा, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक लेखा अवधि के समाप्त होने पर तुलन पत्र की एक प्रति;

(ख) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए लाभ और हानि लेखे की एक प्रति;

(ग) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति;

(घ) प्रत्येक तिमाही के लिए शुद्ध सम्पत्ति का विवरणी;

(ङ) ए.एम.एल. और सी.एफ.टी. दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज़;

(च) प्रत्येक ग्राहक का खाता खोलने और ग्राहकों के मुख्तारनामे या हस्ताक्षर प्राधिकार के प्ररूप से संबंधित दस्तावेज़;

(छ) इन विनियमों के अधीन उसके क्रियाकलापों से संबंधित सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज़; और

(ज) ऐसी अन्य लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) एफ.एम.ई. से यह अपेक्षित होगा कि वह निम्न बातों को वर्णित करते हुए निम्नलिखित अभिलेख रखे:-

(क) प्रत्येक स्कीम के अधीन आस्तियां;

(ख) मूल्यांकन नीतियां और पद्धतियां;

(ग) निवेश रणनीतियां;

(घ) निवेशकों और उनके अंशदान के ब्यौरे;

(ङ) किए गए निवेशों के लिए तर्काधार।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन अभिलेख, निधि के समापन के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनःप्राप्तियोग्य रूप में परिरक्षित किए जाएंगे।

प्राधिकरण को जानकारी

120.(1) एफ.एम.ई., वैश्वासिक या इन विनियमों में यथा-वर्णित क्रियाकलापों में अंतर्बलित कोई व्यक्ति ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां, कथन और विशिष्टियां ऐसी रीति में, ऐसे अंतराल पर और ऐसे प्ररूप में, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण, एफ.एम.ई. और एफ.एम.ई. द्वारा नियोजित इकाइयों से, इन विनियमों के अधीन वर्णित क्रियाकलापों के संबंध में किन्हीं संबंधित कृत्यों के लिए कोई जानकारी, दस्तावेज़ या अभिलेख मंगा सकेगा।

(3) जहां उप-विनियम (2) के अधीन कोई जानकारी मंगाई जाती है वहां वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

कारबार निरन्तरता योजना

121. (1) रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई., ऐसी कारबार-निरन्तरता योजना रखेगी, जिसमें किसी आपातकाल या महत्वपूर्ण कारबार संबंधी विन्न से संबंधित प्रक्रियाओं को अभिलक्षित किया गया हो।

(2) रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई., प्रचालनों, ढांचे, कारबार या अवस्थान में किसी तात्विक परिवर्तन की दशा में अपनी कारबार-निरन्तरता योजना को अद्यतन करेगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई. अपनी कारबार-निरन्तरता योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगी।

साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिरोधक्षमता

122. कोई एफ.एम.ई., उन अपेक्षाओं के अनुसार, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, मजबूत साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिरोधक्षमता संबंधी ढांचा रखेगी।

जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

123. (1) कोई एफ.एम.ई., समस्त जोखिमों का व्यापक रूप से प्रबंधन करने के लिए एक ठोस जोखिम प्रबंधन प्रणाली रखेगा।

(2) किसी एफ.एम.ई. में, ग्राहकों/निवेशकों और उनकी आस्तियों के हितों का संरक्षण करने और जोखिम का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारबार के उन प्रकारों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वह लगी हुई है (जिनके अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप भी हैं, जिन्हें बाहरी स्रोत से कराया जाता है) पर्याप्त आंतरिक प्रक्रिया और नियंत्रण रखेगी।

गारंटीकृत प्रतिफल

124. किसी स्कीम में या पी.एम.एस. के लिए किसी करार के अधीन कोई गारंटीकृत प्रतिफल तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा,

(क) जब तक ऐसे प्रतिफल एफ.एम.ई. द्वारा पूर्ण रूप से गारंटीकृत न हो;

(ख) जब तक गारंटी उपदर्शित करते हुए कोई विवरण, जिसके अंतर्गत उसके व्यौरे भी हैं, प्रस्थापना दस्तावेज़/करार में न दिया गया हो;

(ग) उस रीति का, जिसमें गारंटी को पूरा किया जाना है, प्रस्थापना दस्तावेज़/करार में कथन किया गया है।

नियंत्रण में परिवर्तन

125. (1) एफ.एम.ई. के नियंत्रण में किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन की दशा में, आई.एफ.एस.सी. में कोई एफ.एम.ई. प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की ईप्सा करेगी।

परन्तु किसी आई.एफ.एस.सी. में शाखा के रूप में प्रचालन करने वाली कोई एफ.एम.ई. पन्द्रह दिन (15) के भीतर प्राधिकरण को केवल तभी सूचित करेगी यदि ऐसा अनुमोदन उसके प्रचालन के प्रमुख स्थान में क्षेत्रीय विनियामक से अभिप्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

(2) प्राधिकरण, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत निवेशकों को निकासी के अवसर की प्रस्थापना करना भी है, नियंत्रण में परिवर्तन के लिए ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा।

फीस का संदाय

126. कोई एफ.एम.ई. वार्षिक फीस, स्कीम फाइल करने की फीस या ऐसी किसी अन्य फीस से संबंधित, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, फीस का संदाय करेगी।

विज्ञापन

127. विज्ञापन, इन विनियमों की पांचवी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट विज्ञापन संहिता के अनुरूप होंगे।

स्कीमों की फीस और व्यय

128. (1) समस्त फीसों और व्यय, प्रत्येक स्कीम के लिए पृथक्: स्पष्ट रूप से अभिज्ञात और विनियोजित होनी चाहिए।

(2) एफ.एम.ई., प्रस्थापना दस्तावेज़/प्लेसमेंट ज्ञापन में ऐसी अधिकतम फीसों और व्ययों के संबंध में, जो वह प्रभारित कर सकेगी, पर्याप्त प्रकटन सुनिश्चित करेगी। व्यय की प्रत्येक मद को प्रस्थापना दस्तावेज़/प्लेसमेंट ज्ञापन में विनिर्दिष्ट श्रृंखला की मद के रूप में पृथक्-पृथक् प्रकट किया जाएगा।

निवेश समिति की नियुक्ति

129.(1) एफ.एम.ई., स्वविवेकानुसार, स्कीमों के लिए निवेश संबंधी विनिश्चय करने के लिए एक निवेश समिति का गठन कर सकेगी।

(2) इन विनियमों के अधीन एफ.एम.ई. और निधि प्रबंधकों पर अधिरोपित ऐसे समस्त उत्तरदायित्वों का, जिस सीमा तक वे लागू होते हैं, ऐसी निवेश समिति के सदस्यों द्वारा भी अनुपालन किया जाएगा।

स्कीमों का विलयन/निर्विलयन/पुनर्गठन

130. स्कीमों का विलयन/निर्विलयन/पुनर्गठन, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के/उन दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण जारी करे, अनुज्ञेय होगा।

स्कीम का समापन

131. (1) एफ.एम.ई. की किसी स्कीम का तब समापन किया जा सकेगा:-

(क) जब, प्लेसमेंट ज्ञापन/प्रस्थापना दस्तावेज़ में यथा-उल्लिखित स्कीम की कालावधि समाप्त हो जाती है;

(ख) यदि स्कीम में निवेश के मूल्य के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत (75%) निवेशक, निवेशकों की किसी बैठक में यह संकल्प पारित करते हैं कि स्कीम का समापन किया जाए।

(2) प्राधिकरण, निवेशकों के हित में और वित्तीय बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए एफ.एम.ई. को यह निदेश दे सकेगा कि :-

(क) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उपयुक्त समझी जाएं, स्कीम का समापन किया जाए;

(ख) कतिपय स्कीमों का विलयन किया जाए; या

(ग) अन्य एफ.एम.ई. की स्कीमों को प्रबंधित किया जाए।

अभिरक्षक की नियुक्ति

132. एफ.एम.ई., कम से कम निम्नलिखित स्कीमों के लिए अभिरक्षणीय सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक स्वतंत्र अभिरक्षक नियुक्त करेगी:

(1) खुदरा स्कीमों;

(2) असीमित अवधि वाली निर्बंधित स्कीमों; और

(3) ऐसी सभी अन्य स्कीमों, जो 70 मिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर ए.यू.एम. का प्रबंधन कर रही हैं।

सीमित अवधि वाली स्कीम का मोचन

133. सीमित अवधि वाली किसी स्कीम का परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर पूर्णतः मोचन किया जाएगा:

परन्तु जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट है, उस स्कीम को आगे विस्तारित न किया गया हो।

स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट

134. (1) एफ.एम.ई. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बाबत स्कीम के लेखाओं की एक वार्षिक रिपोर्ट और उसका संक्षिप्त सार तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार मास के अपश्चात् प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट और संक्षिप्त सार में ऐसे व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो स्कीम के प्रचालन का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(3) उसका संक्षिप्त सार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार मास के भीतर निवेशकों के साथ साझा किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि कोई निवेशक पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की ईप्सा करता है तो एफ.एम.ई., अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह (15) दिन के भीतर उसे प्रदान करेगी।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट

135.(1) एफ.एम.ई. द्वारा प्रारंभ की गई प्रत्येक स्कीम में ऐसे किसी लेखापरीक्षक द्वारा, जो किसी भी प्रकार से एफ.एम.ई. से सहयुक्त नहीं है, लेखापरीक्षित लेखाओं का वार्षिक विवरण होगा।

(2) वैश्वसिकों द्वारा एक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

(3) लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट वैश्वसिकों को अग्रेषित करेगा और ऐसी रिपोर्ट, स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट का भाग गठित करेगी।

निवेशकों को अन्य प्रकटन

136. (1) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को, प्रत्येक मास की समाप्ति पर और किसी निवेशक से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की दशा में दस कार्य दिवस के भीतर, एफ.एम.ई. की स्कीमों में उसकी धृति के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।

(2) वैश्वासिक निवेशकों को ऐसे प्रकटन करने के लिए आबद्ध होंगे, जो उन्हें ऐसी किसी जानकारी के बारे में, जिसका उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, जागरूक कराने की दृष्टि से आवश्यक हैं।

एफ.एम.ई. के कारबार संबंधी क्रियाकलापों पर निर्बंधन

137. एफ.एम.ई., प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, इन विनियमों के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट कारबार संबंधी क्रियाकलापों से भिन्न कोई कारबार संबंधी क्रियाकलाप नहीं करेगी:

परन्तु यह कि यदि ऐसा अनुमोदन, उसके प्रचालन के प्रमुख स्थान में के क्षेत्रीय विनियामक से अभिप्राप्त किया जाना अपेक्षित हो तो किसी आई.एफ.एस.सी. में शाखा के रूप में प्रचालन करने वाली कोई एफ.एम.ई., केवल आई.एफ.एस.सी. से बाहर वाले अपने क्रियाकलापों के संबंध में प्राधिकरण को पन्द्रह (15) दिन के भीतर सूचित करेगी।

अध्याय IX**निरीक्षण और लेखापरीक्षा****निरीक्षण**

138. (1) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर, किसी भी समय किसी प्रयोजन के लिए या इन विनियमों के अधीन यथा-वर्णित स्कीमों के कामकाज और क्रियाकलापों का अन्वेषण करने के लिए, जिसके अंतर्गत उप-विनियम (2) के अधीन यथा-उपदर्शित प्रयोजन भी हैं, किसी एफ.एम.ई. या इन विनियमों के अधीन क्रियाकलापों से सहयुक्त किसी अन्य इकाई की लेखा-बहियों, लेखाओं, अभिलेख और दस्तावेजों, अवसंरचना, प्रक्रियाओं, पद्धतियों का निरीक्षण करने के लिए एक या उससे अधिक व्यक्तियों को निरीक्षक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे,-

(क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज, इन विनियमों के अधीन यथापेक्षित रीति में रखे जा रहे हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए विनियमों और जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जाता है;

(ग) यह अभिनिश्चित करना कि एफ.एम.ई. या अन्य इकाइयों द्वारा इन विनियमों के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां, प्रक्रियाएं और सुरक्षोपाय स्थापित किए गए हैं या उनका पालन किया जा रहा है;

(घ) यह अभिनिश्चित करना कि क्या ऐसी कोई परिस्थितियां विद्यमान हैं जो एफ.एम.ई. या अन्य इकाइयों को अनुपयुक्त या अपात्र बना देंगी;

(ङ) निवेशकों, ग्राहकों, अन्य बाज़ार सहभागियों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसका एफ.एम.ई. के क्रियाकलापों से संबंध है, प्राप्त शिकायतों की जांच करना; और

(च) ऐसे मामलों के संबंध में, जो आई.एफ.एस.सी. में निवेशकों या वित्तीय बाज़ार के हित में उपयुक्त समझे जाएं, स्वप्रेरणा से जांच करना।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन कोई निरीक्षण करने से पूर्व, निरीक्षक प्राधिकारी एफ.एम.ई. या उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी अन्य इकाइयों को एक सूचना देगा:

परन्तु जहां निरीक्षक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निवेशकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी सूचना को अभिमुक्त कर सकेगा।

निरीक्षण पर एफ.एम.ई. की बाध्यताएं

139. (1) जहां प्राधिकरण द्वारा किसी एफ.एम.ई. का निरीक्षण किया जाता है वहां ऐसी एफ.एम.ई. और एफ.एम.ई. का प्रत्येक प्रधान अधिकारी, भागीदार, अभिहित भागीदार, न्यासी, निदेशक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, के. एम.पी., अधिकारी, कर्मचारी और कोई अभिकर्ता, आदि समस्त सहायता प्रदान करेगा और निरीक्षक प्राधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा निरीक्षक प्राधिकारी को अपने क्रियाकलापों से संबंधित लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज, ऐसी विवरणियों और जानकारी सहित, उतने समय के भीतर, जो निरीक्षक प्राधिकारी विनिश्चित करे, प्रस्तुत करेगा।

(2) एफ.एम.ई. ऐसी समस्त सहायता देगी, जो निरीक्षण के संबंध में अपेक्षित हो और निरीक्षक प्राधिकारी को उसके परिसरों तक युक्तियुक्त पहुंच अनुज्ञात करेगा तथा अपने कब्जे वाली किन्हीं लेखा-बहियों, अभिलेख और दस्तावेज की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगा और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज या अन्य सामग्री की प्रतियां भी उपलब्ध कराएगा, जो निरीक्षक प्राधिकारी की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हैं।

(3) निरीक्षक अधिकारी, निरीक्षण या अन्वेषण के अनुक्रम में, एफ.एम.ई. के किसी प्रधान अधिकारी, भागीदार, अभिहित भागीदार, न्यासी, निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और किसी अभिकर्ता की परीक्षा करने या उसके कथनों को लेखबद्ध करने का हकदार होगा।

(4) एफ.एम.ई. के प्रत्येक प्रधान अधिकारी, भागीदार, अभिहित भागीदार, न्यासी, निदेशक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, के. एम. पी., अधिकारी, कर्मचारी और किसी अभिकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षक अधिकारी को निरीक्षण या अन्वेषण के संबंध में ऐसी समस्त सहायता प्रदान करे जो निरीक्षक अधिकारी अपेक्षा करे।

लेखापरीक्षक या मूल्यांकक की नियुक्ति

140. (1) प्राधिकरण, किसी एफ.एम.ई. की लेखा-बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों, अवसंरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं या कामकाज का निरीक्षण करने के लिए एक लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक के पास किसी निरीक्षक प्राधिकारी के समान शक्तियां होंगी:

परन्तु यह और कि किसी एफ.एम.ई. और उसके कर्मचारियों की बाध्यताएं वही होंगी, जो विनियम 139 में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

(2) प्राधिकरण, यदि आवश्यक समझा जाए, स्कीम की आस्तियों के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकक नियुक्त कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण, उन व्ययों की, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों/मूल्यांकक को संदत्त फीस भी है, वसूली करने का हकदार होगा, जो उसके द्वारा उपगत की जाए।

रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

141. निरीक्षक प्राधिकारी, प्राधिकरण को एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उपयुक्त और उचित समझे।

परन्तु निरीक्षक प्राधिकारी, एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा, यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।

निरीक्षण के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई

142.(1) प्राधिकरण, निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और एफ.एम.ई. या उसके निदेशकों या कर्मचारियों या प्रधान अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह वित्तीय बाजार या निवेशकों के हित में उचित समझे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकृति के निदेश भी हैं:-

(क) एफ.एम.ई. से यह अपेक्षा करना कि वह किसी विशिष्ट अवधि के लिए नई स्कीमों प्रारंभ न करे या निवेशकों से धन न जुटाए;

(ख) संबंधित व्यक्ति को निधि या स्कीम की ऐसी किसी संपत्ति का निस्तारण करने से प्रतिषिद्ध करना, जो इन विनियमों के अतिक्रमण में अर्जित की गई है;

(ग) संसक्त व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह निधि या स्कीम की आस्तियों का ऐसी रीति में निस्तारण करे, जो निदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए;

(घ) संबंधित व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह संबंधित निवेशकों को ऐसी किसी धनराशि या आस्तियों का अपेक्षित ब्याज सहित या अन्यथा प्रतिदाय करे, जो स्कीम के अधीन संगृहीत की गई थीं;

(ङ) संबंधित व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वित्तीय बाजार में प्रचालन करने से या वित्तीय बाजार में पहुंच स्थापित करने से प्रतिषिद्ध करना।

अध्याय X

व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई का दायित्व

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, रद्दकरण या कोई अन्य कार्रवाई

143 प्राधिकरण, किसी एफ.एम.ई. के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण भी है, यदि वह:-

(क) सम्यक् तत्परता बरतने में या ऐसी किसी शर्त का अनुपालन करने में, जिसके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, असफल रहता है;

(ख) अधिनियम या नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का या इनके अधीन जारी किए गए परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निदेशों या अनुदेशों का उल्लंघन करता है;

(ग) एफ.एम.ई. के रूप में अपने क्रियाकलाप के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा यथापेक्षित कोई जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

(घ) प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है, जो किसी विशेष दृष्टि से मिथ्या या भ्रामक है;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा यथापेक्षित कालिक विवरणियां या रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं करता है;

(च) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी जांच, निरीक्षण या अन्वेषण में सहयोग नहीं करता है;

(छ) निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने में असफल रहता है या प्राधिकरण को संतोषप्रद उत्तर देने में असफल रहता है; या

(ज) ऐसा कोई अन्य कार्य/लोप करता है, जो प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा करता है या जो निवेशकों के हित के प्रतिकूल है।

अध्याय XI

शिथिल करने, स्पष्टीकरण जारी करने और अतिरिक्त अपेक्षाएं

विनिर्दिष्ट करने की शक्ति

विनियमों के कठोर प्रवर्तन को शिथिल करने की शक्ति

144. (1) प्राधिकरण, आई.एफ.एस.सी. में वित्तीय बाजार के विकास के हित में, इन विनियमों की किन्हीं अपेक्षाओं के कठोर प्रवर्तन को, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन शिथिलता की ईप्सा करने के लिए, उन व्यौरों और आधारों को देते हुए, जिनके आधार पर ऐसी शिथिलता की ईप्सा की गई है, प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन ऐसी अप्रतिदेय फीस सहित, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, फाइल किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, ऐसे आवेदन के सब प्रकार से पूर्ण रूप में प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिन के भीतर, जिसके अंतर्गत ईप्सित स्पष्टीकरणों के प्रत्युत्तर भी हैं, ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करेगा और आवेदक द्वारा ईप्सित शिथिलताओं को स्वीकार या इनकार करने के कारण लेखबद्ध करेगा।

विनियमनकारी या नवाचार सैंडबॉक्स और निधि प्रयोगशाला

145 (1) प्राधिकरण, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को नए उत्पादों, रणनीतियों, प्रक्रियाओं, सेवाओं, कारबार मॉडल, तकनीक का उपयोग, आदि का वित्तीय उत्पादों में विनियमनकारी या नवाचार सैंडबॉक्स के सजीव परिवेश में परीक्षण से संबंधित पहलुओं में नवाचार को अग्रसर करने के लिए, इन विनियमों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से ऐसी अवधि के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाए किन्तु जो अठारह मास से अधिक न हो, छूट प्रदान कर सकेगा।

परन्तु किसी निधि में किसी नई रणनीति मद्धे कोई प्रयोग, जनता से धन की ईप्सा नहीं करेगा और वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी ढांचे द्वारा शासित होगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा उप-विनियम (1) के अधीन प्रदान की गई कोई छूट, आवेदक द्वारा ऐसी शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, जिसके अंतर्गत सतत आधार पर अनुपालन की जाने वाली शर्तें भी हैं।

मानदंड, प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने, स्पष्टीकरण जारी करने और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

146.(1) प्राधिकरण, इन विनियमों और उनसे आनुषंगिक बातों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, एफ.एम.ई. या इन विनियमों के अधीन यथा-वर्णित क्रियाकलापों से संबंधित वैश्वासिकों या इकाइयों को परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निदेशों द्वारा मानदंड, प्रक्रियाएं, प्रक्रमण, अतिरिक्त अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण को, इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या लागू करने में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से, मार्गदर्शन टिप्पणों या परिपत्रों के माध्यम से निदेश जारी करने की शक्ति होगी।

अध्याय XII

प्रकीर्ण

शक्तियों का प्रत्यायोजन

147. इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, प्राधिकरण के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं।

निरसन और व्यावृत्ति

148. (1) प्रभावी तारीख से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशानिर्देश, 2015 का निधियों से संबंधित अध्याय VI किसी आई.एफ.एस.सी. में लागू नहीं होगा।

(2) प्रभावी तारीख से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी निवेश निधियां) विनियम, 2012 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधियां) विनियम, 1996 किसी आई.एफ.एस.सी. में लागू नहीं होंगे।

(3) प्रभावी तारीख से, सेबी या आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित परिपत्र अतिष्ठित हो जाएंगे:

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के आई.एफ.एस.सी. में अनुकल्पी निवेश निधियों/पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं/पारस्परिक निधियों के संबंध में परिपत्र, अर्थात् परिपत्र सं.सेबी/एच.ओ./एम.आर.डी./डी.एस.ए./ परिपत्र/पी/2017/45. तारीख 23 मई, 2017, परिपत्र सं. सेबी/एच.ओ./आई.एम.डी./डी.एफ.1/परिपत्र/पी/143/2018, तारीख 26 नवम्बर, 2018 और सेबी/एच.ओ./आई.एफ.एस.सी./परिपत्र/पी/2019/91 तारीख 9 अगस्त, 2019;

(ii) अनुकल्पी निवेश निधियों के संबंध में आई.एफ.एस.सी.ए. के परिपत्र, अर्थात्, परिपत्र सं. 81/आई.एफ.एस.सी.ए./ ए.आई.एफ./2020-21, तारीख 9 दिसम्बर, 2020, परिपत्र सं. 81/आई.एफ.एस.सी.ए./ए.आई.एफ./2020-21/02, तारीख 2 जून, 2021 और परिपत्र सं. 81/आई.एफ.एस.सी.ए./ए.आई.एफ./2020-21/03, तारीख 25 जून, 2021; और

(iii) आर.ई.आई.टी. और अवसंरचना निवेश न्यास के संबंध में आई.एफ.एस.सी.ए. का परिपत्र सं. 41/आई.एफ.एस.सी.ए./ सेबी/आर.ई.आई.टी.-इन्व.आई.टी./2020-21, तारीख 21 अक्टूबर, 2020.

(4) प्रभावी तारीख से, आई.एफ.एस.सी.ए. (पूँजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 30 से विनियम 42 का लोप हो जाएगा। इसके अलावा, उक्त विनियम के अधीन पोर्टफोलियो प्रबंधक के प्रति किसी अन्य निर्देश का भी लोप हो जाएगा।

(5) ऊपर उप-विनियम (1), (2) (3) और (4) में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) प्रभावी तारीख से पूर्व, उप-विनियम (1), (2), (3) और (4) में उल्लिखित विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अधीन की गई या की गई तात्पर्यित किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या प्रारंभ की गई है।

(ख) प्रभावी तारीख से पूर्व प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए किसी प्राइवेट प्लेसमेंट ज्ञापन, चाहे वह प्रारूप हो या अन्यथा, या किए गए आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन फाइल किया गया है या किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत अनुकल्पी निवेश निधियों (ए.आई.एफ.) के समस्त विद्यमान निधि प्रबंधक, प्रभावी तारीख से छह मास के भीतर इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण से नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करेंगे।

(ग) प्रभावी तारीख से पूर्व प्राधिकरण के समक्ष किए गए किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक के आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के लिए फाइल किया गया है या किया गया है। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत समस्त विद्यमान पोर्टफोलियो प्रबंधक, प्रभावी तारीख से छह मास के भीतर इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण से नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करेंगे।

पहली अनुसूची

(विनियम 3)

आवेदन पत्र

क्रम सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
1. आवेदन का प्रवर्ग		
	क) प्राधिकृत इकाई के लिए आवेदन	
	ख) रजिस्ट्रीकृत इकाई(गैर-खुदरा) के लिए आवेदन	
	ग) रजिस्ट्रीकृत इकाई(खुदरा) के लिए आवेदन	
2. आवेदक के ब्यौरे:		
2.1 आवेदक के आरंभिक ब्यौरे		
	क) आवेदक का नाम	
	ख) आवेदक का विधिक रूप	
	ग) निगमित पहचान संख्यांक (सी.आई.एन.), सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक(एल.एल.पी.आई.एन.) या सी.आई.एन. या एल.एल.पी.आई.एन. के समरूप पहचान संख्यांक	
	घ) निगमन की तारीख	
	ड) आई.एफ.एस.सी. में कार्यालय का पता	

	च) टेलीफोन नंबर	
	छ) ईमेल पता	
	ज) प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी का नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल पता	
2.2 शाखा की दशा में		
	क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
	ख) टेलीफोन नंबर	
	ग) ईमेल पता	
	घ) सी.ई.ओ. या अभिहित भागीदारों का नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल पता	
2.3	आवेदक का संक्षिप्त कारबार प्रोफाइल क) कारबार क्रियाकलापों के ब्यौरे ख) निधि प्रबंधन में अनुभव का ब्यौरा (जिसके अंतर्गत उन निवेशकों की संख्या, जिन्हें सेवा दी गई, प्रबंधित ए.यू.एम. आदि भी है) ग) उपस्थिति का स्थान घ) संस्थापक व्यक्ति ङ) सूचीयन के ब्यौरे, यदि कोई हैं	
2.4	आई.एफ.एस.सी.ए./भारत में या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में, यदि कोई हैं, वित्तीय सेक्टर के विनियामकों के पास रजिस्ट्रीकरणों के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकरण का प्रवर्ग, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, रजिस्ट्रीकरण की तारीख और विधिमान्यता, आवेदक/नियंत्री शेयरधारकों के ब्यौरे)	
2.5	एस.ई.ज़ैड अनुमोदन के ब्यौरे	
2.6	आई.एफ.एस.सी. में सहयुक्त इकाइयों के कारबार संबंधी क्रियाकलापों के ब्यौरे	
2.7	आई.एफ.एस.सी. में, एफ.एम.ई. के रूप में क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए अवसंरचना के ब्यौरे	
3. वित्तीय जानकारी (अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार)		
3.1	वित्तीय वर्ष की अवधि	
	क) हाल ही के वित्तीय वर्ष को यथा-विद्यमान शुद्ध संपत्ति	
	ख) कुल राजस्व	
	ग) प्रचालनों से लाभ	
3.2	शेयरधारिता और पूंजीगत ढांचे के ब्यौरे	
	क) प्राधिकृत पूंजी	
	ख) समादत्त पूंजी/भागीदारों का पूंजी अंशदान	
	ग) शेयरधारिता या भागीदारी ढांचे के ब्यौरे	
	घ) 5 प्रतिशत और उससे अधिक शेयर धारण करने वाले अद्यतन शेयरधारक(शेयरधारकों)/भागीदार/भागीदारों की पूंजी/नियंत्री व्यक्ति के ब्यौरे 1. नाम 2. पैन 3. शेयरों की संख्या 4. पता 5. शेयरधृति की प्रतिशतता	
3.3	वह मुद्रा जिसमें आवेदक द्वारा लेखा रखा जाना है	
4. कारबार संबंधी योजना		
4.1	एफ.एम.ई. के अधीन, आई.एफ.एस.सी. में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए विस्तृत कारबार संबंधी योजना: क) समग्र कारबार संबंधी योजना ख) अधिक लघु, मध्यम और दीर्घकालीन क्रियाकलापों के ब्यौरे ग) लक्षित निवेशक	

	घ) शाखा की दशा में, निर्बंधन संबंधी प्रचालनों के लिए ब्यौरे		
5. नियंत्री शेयरधारकों/अभिहित भागीदारों/भागीदारों/निदेशकों और प्रमुख कार्यपालकों के ब्यौरे			
5.1	नियंत्री शेयरधारकों/निदेशकों/सी.ई.ओ./भागीदारों और अभिहित भागीदारों* के ब्यौरे		
	विशिष्टियां	1	2
	क) नाम		
	ख) पदनाम/कंपनी/एल.एल.पी. की दशा में विधिक रूप		
	ग) डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन./रजिस्ट्रीकरण सं.		
	घ) पैन		
	ड) पत्र-व्यवहार का पता		
	च) ईमेल		
	छ) आवेदक में शेयरधारिता का प्रतिशत		
	ज) शेयरधारिता का पैटर्न और शेयरधारकों के ब्यौरे (ऊपर वाले 5)		
	झ) क्या व्यक्ति एफ.ए.टी.एफ. सम्मत अधिकारिता से है?		
	ञ) संक्षिप्त प्रोफाइल		
5.2	आई.एफ.एस.सी. कार्यालय के लिए प्रमुख कार्यपालकों के ब्यौरे	1	2
	क) नाम		
	ख) पदनाम		
	ग) डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन.		
	घ) पैन		
	ड) नियुक्ति की तारीख		
	च) पत्र-व्यवहार का पता		
	छ) ईमेल		
	ज) मोबाइल और लैंडलाइन नंबर		
	झ) विस्तृत शैक्षिक अर्हता और प्रमाणपत्र		
ञ) विस्तृत अनुभव			
6. विनियमनकारी कार्रवाइयां			
6.1	विनियमनकारी कार्रवाइयों के ब्यौरे (आवेदक, निदेशक बोर्ड, सी.ई.ओ., प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या नियंत्री शेयरधारकों के विरुद्ध तात्विक कार्रवाई)		
6.2	क्या आवेदक या उसके निदेशकों या भागीदारों/नियंत्री शेयरधारकों को आई.एफ.एस.सी.ए. या किसी अन्य विनियमनकारी प्राधिकरण द्वारा किसी प्रमाणपत्र से इनकार किया गया है या उसके/उनके प्रमाणपत्र को इस आवेदन के पूर्व किसी समय निलंबित किया गया है। (यदि हां, तो ब्यौरे दें। यदि नहीं, इस आशय की घोषणा संलग्न करें)		
6.3	पिछले तीन वर्षों में ऐसे न्यायालय मामले या मुकदमेबाजी, जिसमें आवेदक या उसका नियंत्री व्यक्ति अंतर्बलित रहा है		
7. पुष्टि और घोषणाएं			
आवेदक के लैटरहेड पर निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाली घोषणा-सह-वचनबंध, जिसमें यह कथन किया गया है कि:			
क) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदन में, जिसके अंतर्गत संलग्न शीट भी हैं, दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।			
ख) आई.एफ.एस.सी. में प्रस्तावित क्रियाकलाप, उद्देश्य खंड के अनुरूप हैं।			
ग) आवेदक और उसके प्रधान अधिकारी, निदेशक/भागीदार/अभिहित भागीदार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्री शेयरधारक उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं।			
घ) हम शाखा के प्रचालनों को आवेदक के अन्य प्रचालनों से निर्बंधित करेंगे (शाखा की दशा में लागू होता है)			
ड) हम आवेदन में दी गई जानकारी में किसी तात्विक परिवर्तन के बारे में तुरंत आई.एफ.एस.सी.ए. को अधिसूचित करेंगे।			

च) हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेश संबंधी विनिश्चय, पोर्टफोलियो प्रबंधन और शिकायत निवारण के प्रमुख क्रियाकलाप, आई.एफ.एस.सी. से किए जाएंगे।

छ) हम इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 और आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा उसके अधीन समय-समय पर जारी किए गए विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन करने और उनसे आबद्ध रहने का वचनबंध करते हैं।

ज) हम इसके अतिरिक्त यह करार करते हैं कि हम रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में हर समय ऐसे प्रचालन संबंधी अनुदेशों/निर्देशों का, जो आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, पालन करेंगे।

झ) हम, आई.एफ.एस.सी.ए. के समाधानप्रद रूप में ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जिसकी आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा ईप्सा की जाए।

(कृपया आवेदक का नाम अंतःस्थापित करें) की ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम) (हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. आवेदक के निगमन प्रमाणपत्र/रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज की प्रति।
2. आवेदक का अद्यतन ज्ञापन और संगम अनुच्छेद/सीमित दायित्व भागीदारी करार, जो भी लागू हो।
3. आवेदक की पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित समेकित/स्वाश्रयी (स्टैंड एलोन) वित्तीय विवरणियां।
4. किसी लेखापरीक्षक द्वारा शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र।
5. प्रधान अधिकारी का विस्तृत कार्यवृत्त।
6. किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन के लिए प्राधिकार-पत्र की प्रति।
7. के.वाई.सी. ब्यौरे - आई.एफ.एस.सी. में निदेशकों/नियंत्री व्यक्ति(व्यक्तियों)/के.एम.पी. और कर्मचारियों के पैर और पते का सबूत।
8. आवेदक के कर पहचान दस्तावेज
9. एस.ई.ज़ैड अनुमोदन की प्रति
10. संदत्त आवेदन फीस के लिए संदाय के सबूत की प्रति
11. कंपनी के लैटर हैड पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित घोषणा।

तारीख

हस्ताक्षर

स्थान

(नाम और पदनाम)

दूसरी अनुसूची

शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाएं

क्रम सं.	प्रवर्ग	शुद्ध संपत्ति
1	प्राधिकृत एफ.एम.ई.	75,000 अमरीकी डॉलर
2	रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(गैर-खुदरा)	5,00,000 अमरीकी डॉलर
3	रजिस्ट्रीकृत एफ.एम.ई.(खुदरा)	1,000,000 अमरीकी डॉलर

तीसरी अनुसूची

आचार संहिता और बाध्यताएं

भाग क: निधि प्रबंधन ईकाई की आचार संहिता और बाध्यताएं

(क) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त युक्तियुक्त कदम उठाएगी और सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगी कि किसी स्कीम से संबंधित निधियों का निवेश इन विनियमों के उपबंधों के प्रतिकूल न हो।

(ख) एफ.एम.ई. अपने ऐसे कर्मचारियों या व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य और लोप के लिए उत्तरदायी होगी, जिनकी सेवाएं एफ.एम.ई. द्वारा उपास की गई हैं।

(ग) किसी संविदा या करार या समाप्ति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एफ.एम.ई. और उसके निदेशकों या भागीदारों या अन्य अधिकारियों को, ऐसी स्थिति या पद धारण करते समय उनके कार्यों या लोपों के लिए स्कीम या उसके निवेशकों के दायित्व से विमुक्त नहीं किया जाएगा।

(घ) एफ.एम.ई. का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो) यह सुनिश्चित करेगा कि एफ.एम.ई. इन विनियमों के समस्त उपबंधों और उसके संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों या परिपत्रों का अनुपालन करेगी और यह कि एफ.एम.ई. द्वारा किए गए निवेश यूनिटधारकों के हित में हैं और वह एफ.एम.ई. के समग्र जोखिम प्रबंधन कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(ङ) एफ.एम.ई. किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमुख कार्मिक के रूप में नियुक्त नहीं करेगी जिसे किसी आर्थिक अपराध का दोषी पाया गया है या जो प्रतिभूतियों विधियों का अतिक्रमण करने में अंतर्वलित रहा है।

(च) एफ.एम.ई. उसकी स्कीम(स्कीमों) द्वारा किए गए निवेशों के मूल्यांकन की संगणना, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार करेगी और उसे प्रकाशित करेगी।

(छ) एफ.एम.ई. और उसके नियंत्री शेयरधारक, अनुपयुक्त मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी निवेशक के साथ हुए अनुचित व्यवहार के लिए प्रभावित निवेशकों और/या स्कीम की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होंगे।

(ज) एफ.एम.ई. को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी निवेशकों को निवेश नीतियों, निवेश के उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और स्कीम के साधारण कामकाज के बारे में किसी साधारण भाषा में उचित रूप से प्रस्तुत की गई पर्याप्त, सही, स्पष्ट और समयबद्ध जानकारी प्रदान की जाए।

(झ) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक स्कीम की आस्तियों और दायित्वों को एफ.एम.ई. की अन्य स्कीमों से पृथक् रखा जाए और निर्बंधित किया जाए; और प्रत्येक स्कीम के बैंक खातों और प्रतिभूति खातों को पृथक् रखा जाए और उन्हें निर्बंधित किया जाए।

(ञ) एफ.एम.ई. को अपनी स्कीमों का विक्रय, विपणन करने या किसी निवेशक को प्रलोभित करने के लिए किन्हीं अनैतिक माध्यमों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(ट) एफ.एम.ई. अपने कारबार के संचालन में अपने समस्त व्यवहारों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता का उच्च स्तर बनाए रखेगी।

(ठ) एफ.एम.ई. हमेशा उच्च स्तर की सेवा प्रदान करेगी, सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगी, समुचित सावधानी सुनिश्चित करेगी और स्वतंत्र व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करेगी।

(ड) एफ.एम.ई. निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने संबंधी अपनी अर्हताओं या सक्षमता या अपनी उपलब्धियों के बारे में, मौखिक या लिखित कोई भी अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं करेगी।

(ढ) एफ.एम.ई. धनशोधन-रोधी/आतंकवाद का वित्तपोषण करने से रोकने (ए.एम.एल./ सी.एफ.टी.) वाले मानदंडों का, जो भी लागू हों, अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

भाग ख: वैधानिकों (निधि के निदेशक/अभिहित भागीदार/न्यासी) के लिए आचार संहिता और उनकी बाध्यताएं

(क) निधि/स्कीम की विधिक संरचना के आधार पर, कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड, एल.एल.पी. की दशा में अभिहित भागीदार और न्यास की दशा में न्यासी (जिसके अंतर्गत न्यासी कंपनी की दशा में बोर्ड भी है) -

(i) यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम की निधियों का निवेश स्कीम के उद्देश्यों को पूरा करने और निवेशकों के हित में किया जाए।

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्कीम की आस्तियों और दायित्वों को एफ.एम.ई. की अन्य स्कीमों से पृथक् रखा जाएगा और निर्बंधित किया जाए; और प्रत्येक स्कीम के बैंक खातों और प्रतिभूति खातों को पृथक् और निर्बंधित किया जाए।

(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि एफ.एम.ई. के विभिन्न क्रियाकलाप पृथक् रूप से चलाए जाएं और एक क्रियाकलाप के अधीन निवेशक के हित का किसी अन्य स्कीम के क्रियाकलापों या एफ.एम.ई. के अन्य क्रियाकलापों के साथ समझौता न किया जाए।

(iv) एफ.एम.ई. से ऐसी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो आवश्यक समझी जाए।

(v) हमेशा उच्च स्तर की सेवा प्रदान करेगा, सम्यक् तत्परता बरतेगा, समुचित सावधानी सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करेगा।

(vi) स्वतंत्र लेखापरीक्षकों से, जब भी उचित समझा जाए, आंतरिक लेखापरीक्षक रिपोर्टें प्राप्त करेगा।

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए बारंबार बैठकें आयोजित करेगा कि वह इन विनियमों के अधीन विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है।

(viii) एफ.एम.ई. को लिखित में कमियां संसूचित करेगा और कमियों में सुधार के संबंध में जांच-पड़ताल करेगा।

(ix) किसी स्कीम को प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि, -

- (क) उसके पास अपने बैंक आफिस, व्यवहार-कक्ष और लेखांकन के लिए समुचित व्यवस्था है;
- (ख) उसने सभी प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति की है;
- (ग) उसने अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त किए हैं;
- (घ) उसने एक अनुपालन अधिकारी अभिहित किया है, जो अधिनियम, नियमों और प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि के अनुपालन की मानिट्रिंग करने के लिए और निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ङ) उसने प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत निधि प्रशासकों की नियुक्ति की है या उसके पास एफ.एम.ई. द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को आंतरिक रूप से करने का सामर्थ्य है;
- (च) उसने, जहां कहीं भी इन विनियमों के अधीन अपेक्षित है, उन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से, जहां यूनिट सूचीबद्ध किए जाने प्रस्तावित हैं, सैद्धांतिक पूर्व-अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।
- (x) यह सुनिश्चित करेगा कि एफ.एम.ई. ने किसी सहयुक्त को कोई अनुचित या अत्रुजु फायदा नहीं दिया है या एफ.एम.ई. के किसी भी सहयुक्त के साथ ऐसी रीति में व्यवहार नहीं किया है जो निवेशकों के हितों के लिए हानिकारक है।
- (xi) स्कीमों, एफ.एम.ई. और उसके सहयुक्तों के बीच किए गए समस्त संव्यवहारों का तिमाही पुनर्विलोकन करेगा।
- (xii) दूसरी अनुसूची में उपबंधित अधिकतम सीमा का सतत आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफ.एम.ई. की शुद्ध संपत्ति का वार्षिक आधार पर पुनर्विलोकन करेगा।
- (xiii) यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम/निधि समुचित रूप से संरक्षित, धारित और उचित व्यक्तियों द्वारा और उचित संख्या में ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशासित है।

भाग ग: प्रधान अधिकारी, निधि प्रबंधक और अनुपालन अधिकारी के लिए आचार संहिता और उनकी बाध्यताएं

- (क) प्रधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि एफ.एम.ई. के समस्त क्रियाकलाप इन विनियमों के उपबंधों और उनके अधीन जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
- (ख) प्रधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम की निधियों का निवेश स्कीम के उद्देश्यों को पूरा करने और निवेशकों के हित में किया जाता है।
- (ग) जहां प्रधान अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि एफ.एम.ई. का कारबार संचालन इन विनियमों के अनुसार नहीं है वहां वह ऐसे उपचारात्मक कदम उठाएगा जो उसके लिए आवश्यक हैं और प्राधिकरण को अतिक्रमण और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में तुरंत सूचित करेगा।
- (घ) प्रधान अधिकारी, प्राप्त की गई निवेशकों की शिकायतों का कालिकत: पुनर्विलोकन करेगा और एफ.एम.ई. द्वारा उनका तुरंत निवारण सुनिश्चित करेगा।
- (ङ) प्रधान अधिकारी और निधि प्रबंधक:
- (i) अधिनियम, प्रतिभूति बाजार को शासित करने वाले नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों का पालन करेगा;
 - (ii) बाजारों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए उच्चतम नैतिक और व्यावसायिक मानकों के लिए प्रयत्न करेंगे;
 - (iii) बाजार के अन्य सहभागियों के साथ व्यवहार करने में ईमानदारी से कार्य करेंगे;
 - (iv) ऋजुपूर्वक कार्य करेंगे और बाजार के सहभागियों से संगत और पारदर्शी रीति में व्यवहार करेंगे;
 - (v) सत्यानिष्ठा से कार्य करें, विशेष रूप से शंकास्पद प्रक्रियाओं और व्यवहार से बचने में;
 - (vi) कारबार संबंधी किसी ऐसे अनैतिक क्रियाकलापों या व्यावसायिक अवचार में लिप्त नहीं होंगे, जिनमें बेइमानी, कपट या धोखा अंतर्वलित हो या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे संगठन या निधि प्रबंधन उद्योग की ख्याति को हानि हो सकती है;
 - (vii) अपनी संस्थागत नीतियों के अनुसार विद्यमान या संभावित हित-संघर्ष का पता लगाएंगे और उसे दूर करेंगे;
 - (viii) किसी स्कीम की ओर से ऐसे किसी प्रतिपक्षी से, जो एफ.एम.ई./नियंत्री शेयरधारकों का कोई सहयुक्त है, तब तक कोई संव्यवहार नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा संव्यवहार -

क. निवेशकों के हित को ध्यान में रखने के पश्चात् पृथक् रूप से नहीं किया जाता है और;

ख. इन विनियमों के उपबंधों और उनके अधीन जारी किए गए परिपत्रों के निबंधनानुसार नहीं किया जाता है।

(ix) निवेशकों की निधियों का प्रबंधन करने के कामकाज या कारबार के संबंध में ऐसे किसी प्रलोभन की प्रस्थापना नहीं करेंगे या उसे स्वीकार नहीं करेंगे जिससे निवेशकों के प्रति उनके कर्तव्यों में संघर्ष पैदा होना संभावित हो;

(x) ऐसा कोई उपहार या सत्कार प्राप्त नहीं करेंगे जो इस संबंध में विरचित एफ.एम.ई. की उपहार और सत्कार नीति के अनुपालन में नहीं है।

(च) अनुपालन अधिकारी के रूप में अभिहित के.एम.पी. -

(i) अधिनियम, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि के अनुपालन की मानिट्रिंग के लिए और निवेशकों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) किसी ऐसे अननुपालन के बारे में, जो उसके द्वारा पाया जाए, निष्पक्ष रूप से प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

भाग घ: हित-संघर्ष

(क) एफ.एम.ई. अपने निवेशकों के साथ वैश्वासिक हैसियत में कार्य करेगी और अपने निवेशकों को सभी हित प्रकट करेगी, जैसे ही वे उद्भूत होते हैं या उनके उद्भूत होने की संभावना प्रतीत होती है।

(ख) एफ.एम.ई., कारबार की संपूर्ण परिधि में हित-संघर्ष की पहचान करने, उसे मानीटर करने और उचित रूप से उसका शमन करने के लिए लिखित नीतियां और प्रक्रियाएं स्थापित और कार्यान्वित करेगी।

(ग) एफ.एम.ई., सहयुक्त व्यक्तियों के साथ हित-संघर्ष के परिहार के संबंध में ऐसे उच्च स्तरीय सिद्धांतों का पालन करेगी, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(घ) एफ.एम.ई. यह सुनिश्चित करेगी कि एफ.एम.ई. के विभिन्न क्रियाकलाप पृथक्-पृथक् चलाए जाएं और एक क्रियाकलाप के अधीन निवेशक के हित का, किसी अन्य स्कीम के क्रियाकलापों या एफ.एम.ई. के अन्य क्रियाकलापों के हितों से समझौता नहीं किया जा रहा है।

भाग ङ: पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली निधि प्रबंधन इकाई के लिए आचार संहिता और उसकी बाध्यताएं

(क) पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली कोई एफ.एम.ई. -

(i) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक से किसी निवेश प्रयोजन के लिए प्राप्त धन यथासंभव शीघ्र उस प्रयोजन के लिए लगाया जाए और किसी ग्राहक को देय और संदेय धन का भुगतान तुरंत किया जाए;

(ii) किसी व्यापार का निष्पादन, ग्राहकों के हित के विरुद्ध उसके स्वत्वधारी खाते में नहीं करेगी;

(iii) विभिन्न कारपोरेट निकायों में ग्राहक के हित को लिखित में अभिप्राप्त करेगी जिससे ऐसा ग्राहक ऐसे कारपोरेट निकायों की अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी अभिप्राप्त करने में समर्थ होता है;

(iv) जहां आवश्यक हो और ग्राहक के हित में, ग्राहक की प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए और ग्राहक को प्रोद्भूत होने वाले लाभांश, ब्याज संदाय और अन्य अधिकारों का दावा करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी;

(v) ग्राहक के अनुदेश के अनुसार अधिकारों के त्याग के लिए प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन और अभिदान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी;

(vi) पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते समय, ग्राहकों के निवेश संबंधी विनिश्चय पर असम्यक् रूप से प्रभाव डालने के लिए किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती के रूप में अपनी प्रास्थिति का उपयोग नहीं करेगी;

(vii) ऐसा कोई कथन नहीं करेगी या ऐसे किसी कार्य, प्रक्रिया या अनुचित प्रतिस्पर्धा में लिप्त नहीं होगी जिसके अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधकों के हितों के लिए हानिकर होने की संभावना है या जिससे ऐसे अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधकों को, किसी असाइनमेंट(नियतकार्य) के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसका निष्पादन करते समय स्वयं पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अलाभकर स्थिति में डालने की संभावना है;

(viii) यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को कोई भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण दावे के बिना सही और पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए और उनके द्वारा निवेश संबंधी कोई विनिश्चय किए जाने से पूर्व उन्हें इससे जुड़े जोखिमों से अवगत कराया जाए;

(ix) ग्राहक की आवश्यकताओं और परिवेश और उसके अपने व्यावसायिक कौशल को ध्यान में रखते हुए, ग्राहक को सर्वोत्तम संभावित सलाह देगी; और

(x) यह सुनिश्चित करेगी कि समस्त व्यावसायिक व्यवहार त्वरित, दक्ष और किफायती रीति में पूरे किए जाएं।

चौथी अनुसूची

किसी निवेश न्यास के पक्षों के लिए भूमिका और उत्तरदायित्व

भाग क: न्यासी की भूमिका और उत्तरदायित्व

(क) न्यासी, न्यास में कारबार संबंधी आस्तियों को न्यास विलेख और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार यूनितधारकों के फायदे के लिए धारित करेगा।

(ख) न्यासी, निवेश प्रबंधक के साथ निवेश न्यास की ओर से निवेश प्रबंधन करार करेगा।

(ग) न्यासी, यूनितधारकों के हित में निवेश प्रबंधक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक उत्तरदायित्वों का अनुपालन करता है और निवेश प्रबंधक से तिमाही आधार पर अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(घ) न्यासी, इन विनियमों और परियोजना कार्यान्वयन करार/परियोजना प्रबंधन करार के अनुपालन की बाबत परियोजना प्रबंधक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा, जहां लागू हो, और परियोजना प्रबंधक से तिमाही आधार पर अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(ङ) न्यासी वितरण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक यूनितधारकों को वितरण की समयबद्ध घोषणा करे।

(च) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि अभिदान की रकम आई.एफ.एस.सी. बैंकिंग यूनित के पास एक पृथक् बैंक खाते में रखी जाए और ऐसे यूनितों के सूचीबद्ध किए जाने के समय तक उसका उपयोग केवल यूनितों के आबंटन या आवेदकों को धनराशि का प्रतिदाय करने में किया जाए।

(छ) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकक के पारिश्रमिक को उस आस्ति के मूल्य से, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, न जोड़ा जाए या उस पर आधारित न किया जाए।

(ज) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक यूनितधारकों की बैठकों का आयोजन करता है और यूनितधारकों द्वारा किए गए मतदान का पर्यवेक्षण करता है और मतदान के परिणाम की घोषणा करता है।

(झ) यदि निवेश प्रबंधक में, हटाए जाने के कारण या अन्यथा कोई परिवर्तन होता है तो,-

(i) ऐसे परिवर्तन से पूर्व, न्यासी यूनितधारकों से अनुमोदन और प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करेगा;

परन्तु किसी ऐसे निवेश न्यास की बाबत, जो कि प्राइवेट रूप से स्थापित है और जिसके यूनित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, प्राधिकरण से अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

(ii) न्यासी, पूर्ववर्ती निवेश प्रबंधन करार के पर्यवसान की तारीख से तीन मास के भीतर नए निवेश प्रबंधक की नियुक्ति करेगा;

(iii) पूर्ववर्ती निवेश प्रबंधक, न्यासी के विवेकानुसार उस समय तक जब तक नया निवेश प्रबंधक नियुक्त नहीं किया जाता, उस रूप में कार्य करता रहेगा;

(iv) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी दस्तावेजों में, जिनमें पूर्ववर्ती निवेश प्रबंधक पक्षकार था, नए निवेश प्रबंधक को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्ववर्ती निवेश प्रबंधक, ऐसे पर्यवसान के होते हुए भी, अपने सभी कार्यों या लोपों के लिए दायी बना रहता है।

(ञ) परियोजना प्रबंधक में, हटाए जाने के कारण या अन्यथा किसी परिवर्तन की दशा में,-

(i) न्यासी, पूर्ववर्ती परियोजना कार्यान्वयन करार/परियोजना प्रबंधन करार के पर्यवसान की तारीख से तीन मास के भीतर नया परियोजना प्रबंधक नियुक्त करेगा;

(ii) न्यासी, स्वप्रेरण से या रियायत प्राधिकरण की सलाह के आधार पर, किसी अवसंरचना परियोजना(परियोजनाओं) के संबंध में एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा;

(iii) पूर्ववर्ती परियोजना प्रबंधक, न्यासी के विवेकानुसार उस समय तक जब तक नया परियोजना प्रबंधक नियुक्त नहीं किया जाता, उस रूप में कार्य करता रहेगा;

(iv) इस संबंध में सभी खर्चों और व्ययों का वहन नए परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जाएगा;

(v) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी दस्तावेजों में, जिनमें पूर्ववर्ती परियोजना प्रबंधक पक्षकार था, नए परियोजना प्रबंधक को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्ववर्ती परियोजना प्रबंधक, ऐसे पर्यवसान के होते हुए भी, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान उसने परियोजना प्रबंधक के रूप में सेवा की है, अपने सभी कार्यों या लोपों के लिए दायी बना रहता है।

(ट) किसी पी.पी.पी. परियोजना में, परियोजना प्रबंधक के नियंत्रण में परिवर्तन की दशा में, न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे परिवर्तन से पूर्व, जहां लागू हो, रियायत प्राधिकरण से रियायत करार के निबंधनानुसार लिखित सम्मति प्राप्त की जाए।

(ठ) किसी निवेश न्यास का न्यासी, ऐसे निवेश न्यास के यूनितों में निवेश नहीं करेगा जिसमें उसे न्यासी के रूप में अभिहित किया गया है।

भाग ख: निवेश प्रबंधक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व

(क) निवेश प्रबंधक, निवेश न्यास की अंतर्निहित आस्तियों या परियोजनाओं की बाबत निवेश संबंधी विनिश्चय करेगा जिसके अंतर्गत आस्तियों में अतिरिक्त निवेश या विनिवेश भी है।

(ख) निवेश प्रबंधक, इन विनियमों और परियोजना कार्यान्वयन करार/परियोजना प्रबंधन करार के अनुपालन की बाबत परियोजना प्रबंधक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और परियोजना प्रबंधक से तिमाही आधार पर अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(ग) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश न्यास या होल्डको या एस.पी.वी. की आस्तियों का, उस सीमा तक जहां तक लागू हो, समुचित विधिक और विपणन-योग्य हक है और यह कि निवेश न्यास या एस.पी.वी. की ओर से की गई सभी तात्विक संविदाएं विधिक, विधिमान्य, बाध्यकारी और निवेश न्यास या एस.पी.वी. द्वारा और उनकी ओर से प्रवर्तनीय हैं।

(घ) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश न्यास द्वारा किए गए निवेश, निवेश की शर्तों के अनुसार हैं और निवेश न्यास की निवेश रणनीति के अनुसार हैं।

(ङ) निवेश प्रबंधक, न्यासी के परामर्श से, पांच से अनधिक निरन्तर वर्षों के लिए एक लेखापरीक्षक नियुक्त करेगा।

परन्तु लेखापरीक्षक, जो एक व्यक्ति नहीं है, वार्षिक बैठक में यूनितधारकों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए पांच निरन्तर वर्षों की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा।

(च) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश न्यास की आस्तियां पर्याप्त रूप से बीमाकृत हैं।

(छ) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास निवेश न्यास का प्रबंधन करने के लिए हर समय पर्याप्त अवसंरचना और पर्याप्त अनुभव और अर्हता वाले पर्याप्त प्रमुख कार्मिक हैं।

(ज) निवेश प्रबंधक और निवेश बैंकर, निवेश न्यास के निर्गम और यूनितों के सूचीबद्ध किए जाने से संबंधित समस्त क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होंगे।

(झ) निवेश प्रबंधक, प्राइवेट रूप से स्थापित ऐसे निवेश न्यास की बाबत, जिसके यूनित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, निवेश न्यास के यूनितों के निर्गम से संबंधित समस्त क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा।

(ञ) निवेश प्रबंधक और निवेश बैंकर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्थापना दस्तावेज़ या प्लेसमेंट ज्ञापन में किए गए प्रकटनों में तात्विक, सत्य, सही और पर्याप्त प्रकटन अंतर्विष्ट हैं और वे प्राधिकरण या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निवेश न्यास की बाबत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार हैं।

(ट) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि प्लेसमेंट ज्ञापन में किए गए प्रकटनों में तात्विक, सत्य, सही और पर्याप्त प्रकटन अंतर्विष्ट हैं और वे प्राइवेट रूप से स्थापित ऐसे निवेश न्यास की बाबत, जिसके यूनित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार हैं।

(ठ) निवेश प्रबंधक यूनितधारकों को इन विनियमों में यथा-उपबंधित वितरण नीति के अनुसार वितरणों की घोषणा करेगा।

(ड) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश न्यास के प्रबंधक के रूप में उसके क्रियाकलापों का उसके अन्य क्रियाकलापों से पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण विद्यमान हैं।

(ढ) निवेश प्रबंधक, न्यासी को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा,-

(i) निवेश न्यास के क्रियाकलापों के संबंध में तिमाही रिपोर्टें;

(ii) मूल्यांकक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर मूल्यांकन रिपोर्टें;

(ण) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि लेखापरीक्षक द्वारा निवेश न्यास के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम से कम एक वर्ष में एक बार की जाए और ऐसी रिपोर्ट:

(i) ऐसे निवेश न्यास की बाबत जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, 31 मार्च को समाप्त होने वाले ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साठ(60) दिनों के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(एक्सचेंजों) को प्रस्तुत की जाए; या

(ii) प्राइवेट रूप से स्थापित ऐसे निवेश न्यास की बाबत, जिसके यूनित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, न्यासी और यूनितधारकों को या तो इलैक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक प्रतियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।

(त) निवेश प्रबंधक, ऐसी अभिरक्षणीय सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से, जो न्यासी द्वारा प्राधिकृत की जाएं, एक अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(थ) निवेश प्रबंधक, निवेश न्यास के क्रियाकलापों और कार्य-प्रदर्शन के संबंध में रिपोर्ट, प्रत्येक तीन मास में, किसी कंपनी की दशा में निदेशक-बोर्ड के समक्ष या किसी एल.एल.पी. की दशा में शासी बोर्ड के समक्ष रखेगा।

भाग ग: परियोजना प्रबंधक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व

(क) परियोजना प्रबंधक, अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों का प्रचालन और प्रबंधन, जिसके अंतर्गत समुचित अनुरक्षण के लिए व्यवस्था करना भी है, जो भी लागू हो, या तो सीधे या समुचित अभिकर्ताओं की नियुक्ति और पर्यवेक्षण के माध्यम से और जैसा किसी परियोजना करार के अधीन अपेक्षित हो, जिसके अंतर्गत किसी पी.पी.पी. परियोजना की दशा में रियायत करार भी है, करेगा।

(ख) यदि अवसंरचना निवेश न्यास, निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश करता है तो परियोजना प्रबंधक, -

(i) परियोजनाओं का प्रचालन और प्रबंधन या तो सीधे या समुचित अभिकर्ताओं के माध्यम से करेगा;

(ii) निष्पादन के प्रयोजनार्थ अभिकर्ताओं की नियुक्ति की दशा में, परियोजना के पूरा होने तक परियोजना के विकास की प्रगति, अनुमोदन प्रास्थिति और अन्य पहलुओं का पर्यवेक्षण करेगा।

(ग) परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन करार/अवसंरचना परियोजना, जहां कहीं भी लागू हो, ऐसी अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन को परियोजना प्रबंधन करार के निबंधनानुसार समयबद्ध रूप से पूरा करने की बाबत समस्त बाध्यताओं का निर्वहन करेगा।

भाग घ: प्रायोजक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व

(क) प्रायोजक और प्रायोजक समूह निवेश न्यास की स्थापना करेंगे और निवेश न्यास के न्यासी(न्यासियों) की नियुक्ति करेंगे।

(ख) प्रायोजक और प्रायोजक समूह, निवेश न्यास के यूनियों के आबंटन से पूर्व, प्रस्थापना दस्तावेज या प्लेसमेंट ज्ञापन में किसी बाध्यकारी करार और पर्याप्त प्रकटनों के अधीन रहते हुए, होल्डको और/या एस.पी.वी. में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता या हित और अधिकार या यथास्थिति, भू-संपदा या असंरचना परियोजनाओं का स्वामित्व, निवेश न्यास में अंतरित करेगा या अंतरित करने का वचनबंध करेगा:

परन्तु सरकार या किसी विनियामक प्राधिकारी के किसी अधिनियम या विनियमों या परिपत्रों या दिशानिर्देशों या रियायत करार के अनुसार प्रायोजक(प्रायोजकों) और प्रायोजक समूह(समूहों) द्वारा होल्डको और/या एस.पी.वी. में शेयरों या हित और अधिकारों की किसी आज्ञापक धृति की सीमा तक यह लागू नहीं होगा।

(ग) निवेश न्यास में यूनियों की धृति की बाबत,

(i) प्रायोजक और प्रायोजक समूह मिलकर, यूनियों की आरंभिक प्रस्थापना के पश्चात्, ऐसे यूनियों के सूचीबद्ध किए जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्गम-पश्चात् आधार पर, निवेश न्यास के कुल यूनियों का कम से कम बीस प्रतिशत धारण करेंगे।

(ii) प्रायोजक द्वारा, निर्गम-पश्चात् आधार पर बीस प्रतिशत से अधिक कोई धृति, ऐसे यूनियों के सूचीबद्ध किए जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए धारण की जाएगी।

(घ) प्रायोजक, निवेश न्यास के गठन, होल्डको/एस.पी.वी. की आस्तियों के निवेश न्यास को विक्रय/अंतरण से संबंधित निवेश न्यास के समस्त कार्यों, लोपों और व्यपदेशनों/प्रसंविदाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ङ) ऐसी पी.पी.पी. परियोजनाओं की दशा में, जहां अवसंरचना निवेश न्यास एस.पी.वी. के माध्यम से अवसंरचना आस्तियों में निवेश कर रहा है, यदि ऐसे अर्जन या धृति को सरकार द्वारा या रियायत करार के किसी उपबंध के अधीन या ऐसे किसी अन्य करार के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है,-

(i) प्रायोजक ऐसी धृति को एस.पी.वी. के स्तर पर बनाए रखे सकेगा;

(ii) एस.पी.वी. स्तर पर ऐसी समस्त धृति का समेकित मूल्य और प्रायोजक द्वारा धारित अवसंरचना निवेश न्यास के यूनियों का मूल्य, यूनियों के आरंभिक निर्गम के पश्चात्, निर्गम-पश्चात् आधार पर अवसंरचना निवेश न्यास के कुल यूनियों के पन्द्रह प्रतिशत मूल्य से कम नहीं होगा;

(iii) अवसंरचना निवेश न्यास के ऐसे यूनियट और एस.पी.वी. में शेयर या हित, अवसंरचना निवेश न्यास के यूनियों के सूचीबद्ध किए जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण किए जाएंगे;

(iv) यदि एस.पी.वी. में प्रायोजक की ऐसी धृति के परिणामस्वरूप अवसंरचना निवेश न्यास का एस.पी.वी. में नियंत्री हित नहीं होता है और उसमें इकावन प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता या हित नहीं रहता है तो प्रायोजक अवसंरचना निवेश न्यास के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए एक बाध्यकारी करार करेगा कि प्रायोजक द्वारा किए गए निर्णय, जिसके अंतर्गत एस.पी.वी. की बाबत मतदान भी है, इस परिपत्र में दी गई अपेक्षाओं के अनुपालन में हैं और अवसंरचना निवेश न्यास या यूनियटधारकों के हित के प्रतिकूल नहीं हैं और वे ऐसे अतिरिक्त दिशानिर्देशों के अध्वधीन होगा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

भाग ड: मूल्यांकक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व

(क) मूल्यांकक यह सुनिश्चित करेगा कि कारवार संबंधी आस्तियों की मूल्यांकन निष्पक्ष, सही और ऋजु है तथा वह इन विनियमों के अनुसार है।

(ख) मूल्यांकक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास मूल्यांकन करने में उसे समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त और काफी वित्तीय मानव और अन्य स्रोत हैं।

(ग) मूल्यांकक और निवेश न्यास की आस्तियों का मूल्यांकन करने में अंतर्वलित उसका कोई भी कर्मचारी,-

(i) निवेश न्यास के यूनियों में या मूल्यांकित की जा रही आस्तियों में निवेश नहीं करेगा; और

(ii) मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व धारित निवेश न्यास की आस्तियों या उसके यूनियों का, उस समय तक जब ऐसे व्यक्ति को ऐसे निवेश न्यास के मूल्यांकक के रूप में अभिहित किया जाता है और निवेश न्यास का मूल्यांकक न रहने के कम से कम छह मास पश्चात् तक, विक्रय नहीं करेगा।

(घ) मूल्यांकक, निवेश न्यास की आस्तियों का मूल्यांकन पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करेगा और हर समय उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करेगा, सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगा, उचित देखरेख सुनिश्चित करेगा तथा स्वतंत्र व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करेगा।

(ङ) मूल्यांकक, मूल्यांकन करते समय स्वतंत्रता, वस्तुपरकता और निष्पक्षता से कार्य करेगा।

(च) मूल्यांकक, निवेश न्यास की आस्तियों का मूल्यांकन करने के लिए, निवेश न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करेगा।

(छ) मूल्यांकक, निवेश न्यास के किसी संबद्ध पक्षकार से कोई असाइनमेंट(नियतकार्य) स्वीकार करने से पूर्व, निवेश न्यास को कोई ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिफल, जो मूल्यांकक ऐसे असाइनमेंट की बाबत प्राप्त कर सकेगा, प्रकट करेगा।

भाग च: लेखापरीक्षक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व

(क) लेखापरीक्षक, निवेश न्यास के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा और उसके द्वारा परीक्षित लेखाओं के आधार पर और सुसंगत लेखांकन और लेखापरीक्षण मानदंडों को ध्यान में रखने के पश्चात् लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ख) लेखापरीक्षक, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि उस अवधि के लिए लेखा और वित्तीय विवरणियां, जिसके अंतर्गत लाभ या हानि और नकदी प्रवाह भी है और ऐसे अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, कामकाज का सही और उचित दृष्टिकोण प्रकट करते हैं।

(ग) लेखापरीक्षक को, निवेश न्यास के क्रियाकलापों से संबंधित लेखा-बहियों और वाउचरों तक हमेशा पहुंच रखने का अधिकार होगा।

(घ) लेखापरीक्षक को निवेश न्यास के क्रियाकलापों से संबंधित ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण की, निवेश न्यास के कर्मचारियों या निवेश न्यास या होल्डको या एस.पी.वी. के पक्षकारों या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिसके कब्जे में ऐसी जानकारी है, अपेक्षा करने का अधिकार होगा, जो वह लेखापरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

पांचवी अनुसूची**विज्ञापन कोड**

(क) विज्ञापन, सही, सत्य, निष्पक्ष, स्पष्ट, असंदिग्ध और संक्षिप्त होंगे।

(ख) विज्ञापनों में ऐसे कथन नहीं होंगे, जो मिथ्या, भ्रामक, पक्षपातपूर्ण या भ्रान्तिकर, उपधारणाओं/अनुमानों पर आधारित हैं और उनमें कोई प्रशंसा-पत्र या किसी मानदंड पर आधारित कोई रैंकिंग अंतर्विष्ट नहीं होगी।

(ग) विज्ञापन इस प्रकार तैयार नहीं किए जाएंगे, जिससे उन्हें गलत समझने की संभावना हो या जिससे किसी कथन की महत्ता को छिपाने की संभावना हो। विज्ञापनों में ऐसे कथन नहीं होंगे जो निवेशक को प्रत्यक्षतः या विवक्षा द्वारा या लोप द्वारा भ्रमित कर सकेंगे।

(घ) विज्ञापनों में ऐसा कोई स्लोगन(नारा) नहीं होगा जो अतिशयोक्तिपूर्ण या अवांछित हो या ऐसा स्लोगन जो उत्पाद की प्रकृति और जोखिम और वापसी प्रोफाइल से असंगत या असंबद्ध हो।

(ङ) विज्ञापनों की विरचना इस प्रकार नहीं की जाएगी जिससे निवेशकों के अनुभव या ज्ञान की कमी का अनुचित लाभ उठाया जा सके। तकनीकी या विधिक शब्दावली या जटिल भाषा का विस्तृत प्रयोग करने और ऐसे अत्यधिक व्यौरों का समावेश करने से, जो निवेशकों में कमी ला सकेंगे, बचना चाहिए।

(च) विज्ञापनों में ऐसी जानकारी होगी, जो समयबद्ध है और स्कीम के दस्तावेजों में किए गए प्रकटनों से संगत है।

छठी अनुसूची

निवेश के मूल्यांकन संबंधी मानदंड – ऋजु मूल्यांकन के सिद्धांत

एफ.एम.ई. अपने निवेशों का मूल्यांकन निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों के अनुसार करेगी जिससे कि समस्त निवेशकों के साथ, जिसके अंतर्गत विद्यमान निवेशक तथा निवेश करने की ईप्सा करने वाले निवेशक भी हैं, उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके:

(क) निवेशों का मूल्यांकन, ऋजु मूल्यांकन के सिद्धांतों पर आधारित होगा, अर्थात् मूल्यांकन, प्रतिभूतियों/वित्तीय उत्पादों/आस्तियों के वसूली-योग्य मूल्य का परावर्तक होगा। मूल्यांकन सद्भावपूर्वक और सही और उचित रीति में, समुचित मूल्यांकन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) नीतियां और प्रक्रियाएं उन पद्धतियों की पहचान करेंगी जिनका प्रयोग स्कीमों द्वारा धारित प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूतियों/वित्तीय उत्पादों/आस्तियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा। स्कीम द्वारा नई प्रकार की प्रतिभूतियों/वित्तीय उत्पादों/आस्तियों में निवेश, ऐसी प्रतिभूतियों/वित्तीय उत्पादों/आस्तियों के लिए मूल्यांकन पद्धतियों की स्थापना करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

(ग) एफ.एम.ई. द्वारा धारित आस्तियों का, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार निरन्तर मूल्यांकन किया जाएगा। नीतियों और प्रक्रियाओं में ऐसी घटनाओं के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया वर्णित की जाएगी, जहां बाजार के कोटेशन, किसी विशिष्ट आस्ति के लिए अब विश्वसनीय नहीं हैं।

(घ) एफ.एम.ई., प्रतिभूतियों/वित्तीय उत्पादों/आस्तियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त पद्धतियों की उपयुक्तता और शुद्धता तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मूल्यांकन नीतियों और प्रक्रियाओं का कालिकतः पुनर्विलोकन करने का उपबंध करेगी।

(ङ) एफ.एम.ई. द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीतियों और प्रक्रियाओं को संघर्ष-हित को दूर करने की ईप्सा करनी चाहिए।

(च) एफ.एम.ई. द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले मूल्यांकन मानदंडों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रस्थापना दस्तावेज में और एफ.एम.ई. की वेबसाइट पर, मूल्यांकन नीति और प्रक्रियाओं का प्रकटन (ऐसे प्रत्येक प्रवर्ग की प्रतिभूतियों/वित्तीय उत्पादों/आस्तियों के, जहां स्कीम निवेश करेगी, वह स्थिति जहां इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा, मूल्यांकन, प्रक्रिया और पद्धतियों और इन पद्धतियों के कार्यान्वयन के प्रभाव, यदि कोई है, के संबंध में) किया जाएगा। यह खंड केवल खुदरा स्कीमों की बाबत ही लागू होगा।

(छ) अनुमोदित मूल्यांकन नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रकटन के होते हुए भी, मूल्यांकन के सही और ऋजु होने और सही एन.ए.वी. होने का उत्तरदायित्व एफ.एम.ई. पर होगा, अर्थात्, यदि मूल्यांकन की स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ऋजु/उपयुक्त मूल्यांकन नहीं होता है तो एफ.एम.ई., आस्तियों/वित्तीय उत्पादों/प्रतिभूतियों का ऋजु मूल्य पर मूल्यांकन करने की दृष्टि से स्थापित नीतियों और प्रक्रिया से विचलन करेगी:

परन्तु यह कि प्रकटित मूल्यांकन नीति और प्रक्रियाओं से कोई विचलन, निवेशकों को उपयुक्त प्रकटन किए जाने पर ही अनुज्ञात किया जा सकेगा।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./32/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 19th April, 2022

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (FUND MANAGEMENT)
REGULATIONS, 2022**

IFSCA/2021-22/GN/REG024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019; Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I**PRELIMINARY****Short title and commencement**

1. (1) These regulations shall be called the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022.
- (2) These regulations shall come into force on the thirtieth day from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) “accreditation agency” means an entity permitted by the Authority to undertake the activity of accrediting accredited investors.

Explanation.- For the purpose of accreditation, the Authority may specify the eligibility criteria for an accreditation agency and also the process for accreditation by such agency;

- (c) “accredited investor” means any person who fulfils the eligibility criteria as specified by the Authority and in the manner specified;
- (d) “advertisement” shall include all forms of communication issued by or on behalf of the fund management entity that may influence investment decisions of any investor/prospective investors;
- (e) “associate” means-
 - (a) a company or a limited liability partnership (LLP) or a body corporate in which a director or trustee or partner of the FME or the FME or any fiduciaries as defined in regulation 17 of these regulations, either individually or collectively, hold twenty percent or more of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be;
 - (b) a company or a limited liability partnership or a body corporate, either individually or collectively, hold twenty percent or more of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be in the FME;
 - (c) Any other company or a limited liability partnership or a body corporate, in which the entity referred in clause (b) above holds twenty percent or more of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be;
- (f) “body corporate” shall have the meaning assigned to it under clause (11) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as amended from time to time;
- (g) “certificate of registration” means a certificate of registration granted by the Authority under Regulation 12 of these Regulations;
- (h) “control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or partnership agreement or in any other manner, including by holding interest, whether direct or indirect, to the extent of more than fifty percent of voting rights or interest:

Provided that a director or officer of an entity shall not be considered to be in control over such entity, merely by virtue of holding such position;

- (i) “close ended scheme” means any scheme in which the period of maturity of the scheme is specified;
- (j) “compliance officer” means any senior officer, designated so and reporting to the board of directors or head of the organization in case board is not there, who is financially literate and is capable of appreciating requirements for legal and regulatory compliance under these regulations and who shall be responsible for compliance of policies, procedures, maintenance of records, monitoring adherence to the rules for the preservation of unpublished price sensitive information, monitoring of trades and the implementation of the codes specified in these regulations under the overall supervision of the board of directors of the FME or the head of an organization, as the case may be.
- Explanation.*— For the purpose of this regulation, “financially literate” shall mean a person who has the ability to read and understand basic financial statements i.e. balance sheet, profit and loss account, and statement of cash flows;
- (k) “corpus” means the total amount of funds committed by investors to the fund management entity under a scheme by way of a written contract or any such document as on a particular date;
- (l) “discretionary portfolio manager” means a portfolio manager who under a contract relating to portfolio management, exercises or may exercise, any degree of discretion as to the investment of funds or management of the portfolio of securities of the client, as the case may be;
- (m) “effective date” shall mean the thirtieth day from the date of publication of these Regulations in the official gazette;
- (n) “family investment fund” means a self-managed fund pooling money only from a single family and has been set up in terms of these regulations;
- (o) “foreign jurisdiction” means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission’s Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A signatories) or a signatory to a bilateral Memorandum of Understanding with the Authority, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
- (i) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
- (ii) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (p) “fund management entity” or “FME” means an entity registered with the Authority as a Fund Management Entity under any of the categories specified in these regulations;
- (q) “fund manager” means any individual who is appointed by the FME to manage its investments by whatever name called;
- (r) “fund of funds scheme” means a scheme that invests primarily in other schemes whether in IFSC or India or foreign jurisdictions;
- (s) “IFSC” or “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (t) “IFSCA” or “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
- (u) “inspecting authority” means one or more persons authorised by the Authority to undertake inspection of the books, accounts, records and documents of a fund management entity or related entities in terms of these regulations;
- (v) “index scheme” means a scheme that invests in securities in the same proportion as an index of securities;
- (w) “investee company” means any company, special purpose vehicle or limited liability partnership or body corporate or real estate investment trust or infrastructure investment trust or a fund in which an investment is made;
- (x) “key managerial personnel” or “KMP” means the officers or personnel of the FME who are members of its core management team and includes members of the management one level below the executive directors of the FME, functional heads and includes ‘key managerial personnel’ as defined under the Companies Act, 2013 or any other person whom the FME may declare as a key managerial personnel;

- (y) "net worth" means the aggregate value of the paid-up share capital (or capital contribution) and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit or credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation;
- (z) "offer document" means any document by which a Registered FME (Retail) invites public for subscription in a retail scheme or public offer by an Investment Trust;
- (aa) "open ended scheme" means a scheme which is not a close ended scheme i.e. it does not have specified maturity period;
- (bb) "placement memorandum" means any document by which a FME invites accredited investors or investors investing above a specified threshold to invest in a venture capital scheme or a restricted scheme or a private placement by an Investment Trust;
- (cc) "portfolio" means the total holdings of securities and financial assets belonging to any person;
- (dd) "principal officer" means a designated employee of the fund management entity responsible for overall activities of the fund management entity;
- (ee) "recognised stock exchange" means a recognised stock exchange in IFSC;
- (ff) "Registered Fund Management Entity" or "Registered FME" shall mean Registered FME (Non-Retail) and Registered FME (Retail);
- (gg) "restricted scheme" means a scheme under a private placement offer to only "accredited investors" or investors investing above USD 1,50,000 and it shall not have more than 1000 investors or such other number as may be specified by the Authority;
- (hh) "Retail scheme" means a scheme offered to all investors or a section of the investors for subscription with no ceiling as to number of investors in the scheme;
- (ii) "Scheme" or "fund" means a scheme of a fund management entity launched under these Regulations;
- (jj) "single family" means a group of individuals who are the lineal descendants of a common ancestor and includes their spouses (including widows and widowers, whether remarried or not) and children (including stepchildren, adopted children, ex nuptial children);
- (kk) "trust" means a trust established under the Indian Trusts Act, 1882 or under an Act of Parliament or State Legislation;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION OF FUND MANAGEMENT ENTITY (FME)

Obligation to seek registration

3. (1) Any entity, intending to undertake the business of fund management under these regulations shall not commence operations in an IFSC unless it has obtained a certificate of registration from the Authority as a FME under any of the categories mentioned in sub-regulation (4).
- (2) An entity desirous of obtaining a certificate of registration as a FME in IFSC shall submit an application form in the format and manner as specified in First Schedule along with documents and application fees as may be specified by the Authority.
- (3) An application, which is not complete in all respects shall be liable to be rejected as specified under these regulations.
- (4) The FME shall seek registration under any of the following three categories:
 - (a) **Authorised FME:**
The FMEs that pool money from accredited investors or investors investing above the specified threshold by way of private placement and invest in start-ups or early-stage ventures through Venture Capital Scheme. Family Investment Fund investing in securities, financial products and such other permitted asset classes shall also seek registration as an Authorised FME.

(b) Registered FME (Non-Retail):

The FMEs that pool money from accredited investors or investors investing above a specified threshold by way of private placement for investing in securities, financial products and such other permitted asset classes through one or more restricted schemes. Such FMEs shall also be able to undertake Portfolio Management Services (including for multi-family office) and act as investment manager for private placement of Investment Trust (REITs and InvITs). Such FMEs shall also be able to undertake all activities as permitted to Authorised FMEs.

(c) Registered FME (Retail):

The FMEs that pool money from all investors or a section of the investors under one or more schemes for investing in securities, financial products and such other permitted asset classes through retail or restricted schemes. Registered FME (Retail) may act as investment manager for public offer of Investment Trusts (REITs and InvITs). Such FMEs shall also be able to launch Exchange Traded Funds (ETFs). Further, such FMEs shall also be able to undertake all activities as permitted to Authorised FMEs and Registered FMEs (Non-retail).

Explanation.- Details of activities, investment conditions, responsibilities and obligations for each of the aforesaid category of FME have been specified in distinct Chapters under these regulations. The reference to the term “FME” under the respective Chapters shall be construed according to the permitted activities for the categories specified above. Additional conditions, responsibilities and disclosure obligations may also be specified by the Authority from time to time.

Eligibility Conditions

4. For the purpose of grant of a certificate of registration, the applicant has to fulfill the conditions as specified in this Chapter.

Legal form of the applicant

5. (1) The applicant shall be present in an IFSC by forming a company or LLP or branch thereof or any other form as may be permitted by the Authority:

Provided that a Registered FME (Retail) shall not be permitted through LLP mode or its branch:

Provided further that the branch structure is permitted only for a FME which is already registered and/or regulated by a financial sector regulator in India or a foreign jurisdiction for conducting similar activities.

- (2) A FME operating as branch structure in an IFSC shall comply with the following conditions:-

- (a) the entity shall adequately ring fence the operations of the branch in IFSC;
- (b) the entity shall comply with the minimum net worth requirements specified in these regulations for its activities in IFSC which may be maintained at the parent level;
- (c) the entity shall maintain such minimum capital as may be specified by the Authority, which shall at all times be earmarked for IFSC and may be held in the jurisdiction of its incorporation; and
- (d) any other requirements as may be specified by the Authority from time to time.

- (3) The memorandum of association in case of a company or the LLP agreement in case of a LLP shall permit it to carry on the activity of Fund Management.

- (4) A Registered FME (Retail) shall have at least four (4) directors with at least fifty percent (50%) of the directors to be independent directors and not associated with the FME.

Track Record and Reputation of Fairness

6. The applicant shall have a sound track record and general reputation of fairness and integrity in all its business transactions.

Explanation.- For the purposes of this clause “sound track record” shall mean:

- (a) In case of Registered FME (Retail), FME or its holding company shall not have less than five (5) years of experience in managing Assets under Management (AUM) of at least USD 200 million with more than twenty-five thousand (25,000) investors or at least one (1) person in control of the FME holding more than twenty-five percent (25%) shareholding in the FME be carrying on business in financial services for a period of not less than five (5) years:

Provided that any other criteria for sound track record may be considered by the Authority to facilitate new generation fintech companies with innovative ideas that may lead to further market development;

- (b) In case of Registered FME (non-retail) and Authorised FME, it shall employ such employees who shall have relevant experience as specified in these regulations.

Appointment of Principal Officers and Key managerial personnel(s) (KMP)

7. (1) The applicant shall designate a principal officer who shall be responsible for overall activities of the FME including but not limited to fund management, risk management and compliance.
- (2) In case of Registered FME, in addition to the above, one (1) additional KMP shall be designated as Compliance and Risk Manager and shall be responsible for compliance with these regulations and ensure suitable risk management policies and practices at the FME.
- (3) In case of Registered FME (Retail), in addition to sub-regulations (1) and (2) above, the FME shall appoint an additional KMP who shall be designated with the responsibility of fund management.
- (4) The applicant shall ensure that the aforementioned principal officer and other KMPs provided under sub-regulations (2) and (3) shall be based out of IFSC and meet the following experience:
- (a) A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma (minimum two years in duration) in finance, law, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association; or a certification from any organization or institution or association or stock exchange which is recognised/ accredited by Authority or a regulator in India or Foreign Jurisdiction; and
- (b) An experience of at least five (5) years in related activities in the securities market or financial products including in a portfolio manager, broker dealer, investment advisor, wealth manager, research analyst or fund management.
- (5) The proposal on the portfolio composition shall be initiated by a person who is based in office of the FME in the IFSC.
- (6) The FME shall appoint other personnel commensurate to the size of its operations and activities.
- (7) Any appointment and changes to the KMPs appointed under sub-regulation (1), (2) and (3) of this regulation shall take place only with the prior approval of the Authority.

Net worth requirements

8. (1) An entity seeking registration as a FME shall at all times comply with the net worth requirements as specified in Second Schedule of these regulations or such other amount as may be specified by the Authority.
- (2) An entity operating as a branch shall at all times comply with the minimum net worth requirements specified in these regulations for its activities in IFSC which may be maintained at the parent level. However, the parent entity shall ensure that adequate funds are available for branch for its day to day operations.
- (3) The minimum net worth requirements as stated above shall be separate in addition to the minimum net worth requirements applicable for other activities within or outside IFSC.

Fit and proper requirements

9. (1) The applicant and its principal officer, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders shall be fit and proper persons, at all times.
- (2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if :-
- (a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-
- (i) financial integrity;
- (ii) good reputation and character; and
- (iii) honesty.
- (b) such person has not incurred any of the following disqualifications –
- (i) the person has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws;
- (ii) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
- (iii) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance;
- (iv) the person has been declared insolvent and not discharged;

- (v) an order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority, and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;
- (vi) any other order against the person, which has a bearing on the securities market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
- (vii) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (viii) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
- (ix) the person has been declared a fugitive economic offender; or
- (x) any other disqualification as may be specified by the Authority.

Infrastructure Requirements

10. (1) The entity has the necessary infrastructure like adequate office space, equipment, communication facilities and manpower to effectively discharge its activities under these regulations and circulars issued thereunder. The infrastructure requirements should be commensurate to the size of its operations in IFSC.
- (2) The office should be dedicated, secured and accessible only by authorised person(s) of the FME.

Furnishing of Information

11. (1) The Authority may require the applicant to furnish any such further information or clarification regarding itself or nature of the fund or fund management activities or any such matter connected thereto to consider the application for grant of a certificate.
- (2) If required by the Authority, the applicant shall appear before the Authority for personal representation.
- (3) If required, the Authority may undertake an inspection of the office of the applicant before the grant of a certificate of registration.

Consideration of application and Grant of Certificate of Registration

12. The Authority, may on receipt of all information and on being satisfied may grant Certificate of Registration as FME to the applicant under the appropriate category, subject to the applicant paying applicable registration fee.

Terms and conditions of registration

13. (1) The registration granted to a FME, shall be subject to the following terms and conditions:-
- (a) the FME, its CEO / Directors / Designated Partners / Partners, Principal officer / KMPs shall comply with the provisions of these regulations and circulars issued thereunder;
 - (b) the FME shall forthwith inform the Authority, if any information or particulars previously submitted to the Authority was misleading or false in any material respect; and
 - (c) the FME shall forthwith inform the Authority, of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the registration granted by the Authority.
- (2) The FME which has been granted certificate of registration under a particular category cannot change its category, except with the prior approval of the Authority.

Rejection of application

14. (1) If the Authority is of the opinion that the registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the Applicant giving it thirty (30) days' time to rectify them.
- (2) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may refuse to grant registration and shall communicate the same to the Applicant, giving reasons for such refusal.

Period of validity

15. The certificate of registration of a FME shall be valid for such period as may be specified by the Authority, unless it is suspended or cancelled by the Authority or surrendered by the FME and taken on record by the Authority.

Surrender of registration

16. A FME may file an application with the Authority for surrender of its certificate of registration.

Constitution of the Fund / Scheme

17. (1) A FME may launch various schemes as provided under these regulations.
- (2) A FME prior to the filing of a scheme document shall appoint the Board of Directors in case of Company, Designated Partners in case of LLP and Trustees (including the Board in case of a Trustee company) in case of a Trust and shall hereinafter be collectively referred to as “fiduciaries”.
- (3) A FME shall ensure that all the fiduciaries meet with the fit and proper requirements as specified in this Chapter.
- (4) A FME intending to launch retail schemes shall take prior approval of the Authority for appointing any person as a fiduciary.
- (5) The fiduciaries shall comply with the Code of Conduct and obligations as detailed in Part B of Third Schedule.

CHAPTER III**SCHEMES FOR FUND MANAGEMENT****PART A: VENTURE CAPITAL SCHEMES****Venture Capital Schemes**

18. (1) Venture Capital Schemes are schemes that can be launched by the FMEs that invests primarily in unlisted securities of start-ups, emerging or early-stage venture capital undertakings mainly involved in new products, new services, technology or intellectual property right based activities or a new business model or other schemes which invest in such entities and shall also include an angel fund.
- (2) Venture Capital Schemes under this Part shall be filed before the Authority as “venture capital fund” under Category I Alternative Investment Fund.

Explanation.- The Scheme may be construed as “venture capital fund” under Category I Alternative Investment Fund as referred under the Income Tax Act, 1961, the Foreign Exchange Management Act, 1999 or rules, regulations, circulars, notifications, guidelines etc. under the respective Acts or any other relevant statute.

Filing of Placement Memorandum

19. (1) A FME may launch Venture Capital schemes through a private placement by filing a placement memorandum with the Authority along with the application fees as specified by the Authority.
- (2) The filing of scheme documents for such venture capital schemes shall be under a green channel i.e. the schemes filed can be open for subscription by investors immediately upon filing with the Authority.
- (3) The validity of the placement memorandum for launch of the venture capital scheme shall be six (6) months from the date of filing with the Authority.
- (4) The FME shall ensure that any material changes from the information provided in the placement memorandum, shall be immediately informed to the Authority.

Eligible Investors

20. (1) Venture Capital schemes shall have less than fifty (50) investors.
- (2) Accredited Investors or investors investing above USD 250,000 shall be permitted to invest in such schemes:

Provided that in case of investors who are employees or directors or designated partners/ partners of the FME, the minimum value of investment shall be USD 60,000:

Provided further that the minimum investment threshold shall not apply to an accredited investor and employees or directors or designated partners or partners of the FME.

Explanation.- A Registered FME intending to launch venture capital schemes to target more than fifty (50) investors or pool money from investors investing with lower application size of USD 150,000 shall be able to do so under restricted schemes as provided under Part B of this Chapter.

Nature and structure of Scheme

21. (1) Venture Capital schemes shall only be close ended schemes and the maximum tenure and the amount to be raised shall be decided upfront and disclosed in the placement memorandum. The minimum tenure of a close ended scheme shall be three (3) years.

(2) Extension of the tenure of the close ended schemes may be permitted up to two (2) years subject to approval of two-thirds ($2/3^{\text{rd}}$) of the investors by value of their investment in the venture capital scheme:

Provided that any further extension beyond two (2) years may be considered subject to express consent of the investors and exit opportunity shall be provided to remaining investors.

(3) Venture capital schemes shall be constituted in IFSC as Company or LLP or Trust under the applicable laws of India.

Permissible investments

22. (1) Subject to other provisions of these regulations, a venture capital scheme may invest moneys collected under any of its schemes only in:-
- Securities issued by unlisted entities;
 - Securities listed or to be listed or traded on stock exchanges in IFSC, India or foreign jurisdiction;
 - Money market instruments;
 - Debt securities;
 - Securitized debt instruments, which are either asset backed or mortgage-backed securities;
 - Other venture capital schemes set up in the IFSC, India and foreign jurisdiction subject to appropriate disclosure in the placement memorandum;
 - Units of mutual funds and alternative investment funds in India, IFSC or foreign jurisdiction;
 - Investment in limited liability partnerships; or
 - Such other securities or financial products/ assets or instruments as specified by the Authority:

Provided that pending deployment of money, FME may invest money in certificate of deposits, units of investment schemes such as liquid or money market schemes, money market instruments or any other securities or financial assets or instruments as may be specified by the Authority.

(2) Any investment made under sub-regulation (1) shall be in accordance with the investment objective of the relevant venture capital scheme and disclosures in the placement memorandum.

Investment Restrictions and Scheme Corpus

23. (1) The minimum size of the corpus in case of venture capital schemes shall be USD 5 Million. The total corpus of venture capital schemes shall not exceed USD 200 Million.
- (2) Venture capital scheme may invest in its associate subject to the prior approval of seventy-five percent (75%) investors in the scheme by value.
- (3) Venture capital schemes shall invest at least 80 percent of the AUM in investee companies incorporated for less than ten (10) years or other venture capital schemes.

Disclosures to investors

24. (1) The placement memorandum for venture capital schemes shall clearly include disclosures regarding the investment objective, the targeted investors, proposed corpus, investment style or strategy, investment methodology, proposed tenure of the scheme, proposed fees and expenses, risk management practices, KMPs of the FME and other relevant details of the FME and the scheme. The FME and the fiduciaries shall comply with the disclosure requirements as may be specified by the Authority.
- (2) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme and Net Asset Value (NAV) is disclosed to the investors at least on a yearly basis.
- (3) The aforesaid disclosures shall be made within one (1) month of the end of each financial year.
- (4) Any other material disclosure, as considered suitable by the FME or the fiduciaries, shall be informed to the investors immediately.

Borrowing

25. A venture capital scheme may borrow funds or engage in leveraging activities, subject to the following conditions:-
- The maximum leverage by the scheme, along with the methodology for calculation of leverage, shall be disclosed in the placement memorandum;
 - The leverage shall be exercised in accordance with the disclosures in the placement memorandum and any deviation shall be subject to consent of two-thirds ($2/3^{\text{rd}}$) of the investors by value; and
 - The FME employing leverage shall have a comprehensive risk management framework appropriate to the size, complexity and risk profile of the scheme.

Valuation

26. (1) The FME and fiduciaries shall ensure compliance of investment valuation norms as specified in the Sixth Schedule.

(2) In line with the investment valuation norms, the assets of the scheme may be valued by an independent third-party service provider, such as a fund administrator or custodian, registered with the Authority, a valuer registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India or such other person as may be specified by the Authority.

Computation of NAV

27. (1) The FME shall compute the NAV of each venture capital scheme at least on an annual basis.

(2) The procedure and methodology for calculating the NAV should be fully documented, and such documentation should be regularly verified and amended if required.

Contribution by the FME in the scheme

28. (1) The FME shall ensure that under a venture capital scheme, the FME or its associate shall invest:-

- (a) at least 2.5% of the targeted corpus and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus of less than USD 30 Million;
- (b) at least USD 750,000 and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus of more than USD 30 Million:

Provided that the contribution by the FME shall not be mandatory in case of relocation of schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC.

(2) The said contribution in proportion to investor's investment in the scheme shall be made by the FME or its associate entity within forty-five (45) days and maintained on ongoing basis:

Provided that the period of forty-five (45) days may be extended subject to the satisfaction of the Authority.

(3) The said contribution if brought in by FME shall be included for the purpose of net-worth requirements as detailed under Chapter II.

(4) The said contribution shall be exempted if:

- (a) at least two-thirds (2/3rd) of the investors in the scheme by value permits waiver of such contribution;
- (b) at least two-thirds (2/3rd) of the investors in the scheme are accredited investors; or
- (c) the scheme is a fund of fund scheme investing in a scheme which has similar such requirements.

Co-investment and Leverage

29. (1) A venture capital scheme may co-invest in permissible investment under these regulations through a special purpose vehicle (SPV) under a framework specified by the Authority or through a segregated portfolio by issuing a separate class of units.

(2) The FME shall ensure that:-

- (a) The investments by such segregated portfolios shall, in no circumstance, be on terms more favourable than those offered to the common portfolio of the venture capital scheme; and
- (b) Appropriate disclosures have been made in the placement memorandum regarding creation of segregated portfolio.

(3) A SPV mentioned in sub-regulation (1) may undertake leverage as disclosed in the placement memorandum.

PART B: RESTRICTED SCHEMES (NON-RETAIL SCHEMES)**Restricted Schemes (Non-Retail Schemes)**

30. (1) Restricted Schemes are schemes that may be launched by Registered FMEs for various investment strategies for:-

(a) investing in start-up or early stage ventures or social ventures or SMEs or infrastructure or other sectors or areas which the government or regulators consider as socially or economically desirable and shall include venture capital funds, SME Funds, social venture funds, infrastructure funds, ESG Funds, Special Situation funds (as detailed in Part D of this Chapter) and such other Schemes/Funds as may be specified by the Authority. Schemes falling under this clause shall be a close ended scheme and filed before the Authority as Category I Alternative Investment Fund.

Explanation I.- The Scheme may be construed as Category I Alternative Investment Fund as referred under the Income Tax Act, 1961, the Foreign Exchange Management Act, 1999 or rules, regulations, circulars, notifications, guidelines etc. under the respective Acts or any other relevant statute.

Explanation II.- Venture capital funds under this Part shall not be required to comply with conditions specified for venture capital schemes as provided under Part A of Chapter III of these regulations.

(b) investment for undertaking diverse or complex trading strategies including investment in listed or unlisted derivatives and for permitted investments under longevity finance. The Schemes under this clause shall be filed before the Authority as Category III Alternative Investment Fund. Such schemes may be launched as open ended or close ended as provided under this Chapter.

Explanation.- The Scheme may be construed as Category III Alternative Investment Fund as referred under the Income Tax Act, 1961, the Foreign Exchange Management Act, 1999 or rules, regulations, circulars, notifications, guidelines etc. under the respective Acts or any other relevant statute. Such schemes shall be launched as open ended or close ended as provided under this Chapter.

(c) investment which does not fall under the clause (a) and (b) above. The Schemes under this clause shall be filed before the Authority as Category II Alternative Investment Fund. Such scheme shall be launched as close ended as provided under this Chapter.

Explanation.- The Scheme may be construed as Category II Alternative Investment Fund as referred under the Income Tax Act, 1961, the Foreign Exchange Management Act, 1999 or rules, regulations, circulars, notifications, guidelines etc. under the respective Acts or any other relevant statute.

Eligible FMEs and Filing of Placement Memorandum

31. (1) A Registered FMEs may launch restricted schemes through a private placement by filing the placement memorandum with the Authority along with the application fees as specified by the Authority before twenty-one (21) working days of launch of the scheme.

(2) The Authority may endeavor to communicate its comments, if any, to the FME within twenty-one (21) working days of receipt of satisfactory response and the FME shall ensure that the comments are duly incorporated in the placement memorandum prior to launch of the scheme.

Provided that the validity of the placement memorandum for launch of the scheme shall be six (6) months from the date of filing with the Authority or the date of observation letter of Authority, whichever is later.

(3) The requirement under sub-regulation (2) shall not be applicable for restricted schemes soliciting money only from accredited investors i.e. such restricted schemes shall be under a green channel and can open for subscription from investors immediately upon filing with the Authority.

(4) The FME shall ensure that any material changes from the information provided in the placement memorandum, shall be immediately informed to the Authority.

Eligible Investors

32. (1) Restricted schemes shall have less than one thousand (1000) investors or such number as may be specified by the Authority.

(2) Accredited Investors or investors investing above USD 150,000 may invest in such schemes:

Provided that in case of investors who are employees or directors or designated partners or partners of the FME, the minimum value of investment shall be USD 40,000:

Provided further that the minimum investment threshold shall not apply to an accredited investor and employees or directors or designated partners or partners of the FME.

Nature and Structure of Scheme

33. (1) Restricted schemes may be launched as open ended or close ended schemes. In case of a close ended scheme, the maximum tenure and amount to be raised should be decided upfront and disclosed in the placement memorandum. The minimum tenure of a close ended scheme shall be one year.

(2) Extension of the tenure of the close ended restricted schemes may be permitted up to two (2) years subject to approval of two-thirds (2/3rd) of the investors by value of their investment in the restricted scheme:

Provided that any further extension beyond two (2) years may be considered subject to express consent of the investors and exit opportunity shall be provided to other investors.

(3) Restricted schemes shall be constituted in IFSC as Company or LLP or Trust under the applicable laws of India.

Permissible investments

34. (1) Subject to other provisions of these regulations, a restricted scheme may invest moneys collected under any of its schemes only in:-
- Securities issued by unlisted entities;
 - Securities listed or to be listed or traded on stock exchanges in IFSC, India or foreign jurisdiction;
 - Money market instruments;
 - Debt securities;
 - Securitized debt instruments, which are either asset backed or mortgage-backed securities;
 - Other investment schemes set up in the IFSC, India and foreign jurisdiction subject to appropriate disclosure in the placement memorandum;
 - Derivatives including commodity derivatives subject to suitable disclosures in the placement memorandum;
 - Units of mutual funds and alternative investment funds in India and foreign jurisdiction;
 - Investment in limited liability partnerships; or
 - Such other securities or financial products/assets or instruments as specified by the Authority:

Provided that pending deployment of money, FME may invest money in certificate of deposits, units of investment schemes such as liquid or money market schemes, money market instruments or any other securities or financial assets or instruments as may be specified by the Authority.

(2) Any investment made under sub-regulation (1) shall be in accordance with the investment objective of the relevant scheme and disclosures in the placement memorandum.

(3) In addition to the above, a close ended scheme may invest up to twenty percent (20%) of the corpus in other physical assets such as real estate, bullion, art or any other physical asset as may be specified by the Authority from time to time.

Investment Restrictions and Scheme Corpus

35. (1) In case of an open ended scheme, the maximum investment in securities of unlisted companies should not exceed twenty- five percent (25%) of the corpus of the schemes.
- (2) The minimum size of the restricted schemes shall be USD 5 Million.
- (3) Restricted schemes may invest in its associate subject to the prior approval of seventy -five percent (75%) investors in the scheme by value.

Disclosures to investors

36. (1) The placement memorandum for restricted schemes shall clearly include disclosures regarding the investment objective, the targeted investors, proposed corpus, investment style or strategy, investment methodology, proposed tenure of the scheme, proposed fees and expenses, risk management practices, KMPs of the FME and other relevant details of the FME and the scheme. The FME and the fiduciaries shall comply with the disclosure requirements as may be specified by the Authority.
- (2) Any material deviation or alteration to the fund strategy should be made with the consent of at least two-thirds ($2/3^{\text{rd}}$) of investors by value.
- (3) The FME shall ensure that the NAV is disclosed to the investors at least on a monthly basis in case of an open ended scheme and half-yearly in case of a close ended scheme.
- (4) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme is disclosed to the investors at least on a quarterly basis within one month from the end of the quarter.
- (5) Any other material disclosure as considered suitable by the FME or the fiduciaries shall be informed to the investors immediately.

Borrowing

37. A restricted scheme may borrow funds or engage in leveraging activities, subject to the following conditions:-
- The maximum leverage by the scheme, along with the methodology for calculation of leverage, shall be disclosed in the placement memorandum;
 - The leverage shall be exercised in accordance with the disclosures in the placement memorandum and any deviation shall be subject to consent of $2/3^{\text{rd}}$ of the investors by value; and

- (c) The FME employing leverage shall have a comprehensive risk management framework appropriate to the size, complexity and risk profile of the fund.

Valuation

38. (1) The FME and fiduciaries shall ensure compliance of investment valuation norms specified in the Sixth Schedule.
- (2) In line with the investment valuation norms, the assets of the scheme may be valued by an independent third-party service provider such as a fund administrator or custodian registered with the Authority, a valuer registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India or such other person as may be specified by the Authority.

Computation of NAV

39. (1) FME shall compute the NAV of each restricted scheme at least on a monthly basis:
Provided that in case of a close ended restricted scheme the computation of NAV shall take place at least half-yearly.
- (2) The procedure and methodology for calculating the NAV should be fully documented, and such documentation should be regularly verified and amended, if required.

Contribution by the FME in the scheme

40. (1) The FME shall ensure that under a restricted scheme, the FME or its associate shall invest :-
- (a) In case of a close ended scheme,
- (i) at least 2.5% of the targeted corpus and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus of less than USD 30 Million;
- (ii) at least USD 750,000 and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus of more than USD 30 Million:
- (b) In case of open-ended scheme,
- (i) at least 5% of the targeted corpus and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus of less than USD 30 Million;
- (ii) at least USD 1,500,000 and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus of more than USD 30 Million:
- Provided* that the contribution by the FME shall not be mandatory in case of relocation of funds /schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC.
- (2) The said contribution in proportion to investor's investment in the scheme shall be made by the FME or its associate entity within forty-five (45) days and maintained on ongoing basis:
Provided that the period of forty-five (45) days may be extended subject to the satisfaction of the Authority.
- (3) The said contribution if brought in by FME shall be included for the purpose of net-worth requirements as detailed under Chapter II.
- (4) The said contribution shall be exempted if :-
- (a) at least two-thirds ($2/3^{\text{rd}}$) of the investors in the scheme by value permits waiver of such contribution;
- (b) at least two-thirds ($2/3^{\text{rd}}$) of the investors in the scheme are accredited investors; or
- (c) The scheme is a fund of fund scheme investing in a scheme which has similar such requirements.

Co-investment and Leverage

41. (1) A restricted scheme may co-invest in permissible investments under these regulations through a SPV under a framework specified by the Authority or through a segregated portfolio by issuing a separate class of units.
- (2) The FME shall ensure that:-
- (a) The investments by such segregated portfolios shall, in no circumstance, be on terms more favourable than those offered to the common portfolio of the restricted scheme; and
- (b) Appropriate disclosures have been made in the placement memorandum regarding creation of segregated portfolio.
- (3) A SPV mentioned in sub-regulation (1) may undertake leverage as disclosed in the placement memorandum.

PART C: RETAIL SCHEMES**Retail Schemes**

42. Retail Schemes are schemes that shall be launched by Registered FMEs (Retail) for pooling money from all investors or a section of investors through an offer document for investment as per its stated investment objective in various permissible investments.

Eligible FMEs and Filing of Offer Document

43. (1) No scheme shall be launched unless a draft offer document is filed with the Authority along with the applicable application fees at least twenty-one (21) working days before the launch of the scheme.
- (2) The validity of the offer document for launch of the scheme shall be twelve (12) months from the date of observation letter of Authority.
- (3) The FME shall ensure that the comments of the Authority are incorporated in the offer document prior to launch of the scheme.
- (4) The FME shall ensure that any material changes from the information provided in the draft offer document are informed to the Authority immediately.
- (5) No retail scheme shall be filed with the Authority unless it has been approved by the fiduciaries.

Minimum number of Investors

44. Retail schemes shall have at least twenty (20) investors with no single investor investing more than twenty five percent (25%) in a scheme:

Provided that the condition shall be complied within a maximum period of six (6) months from the closure of the offer.

Nature and Structure of Scheme

45. (1) Retail schemes could be open ended or close ended. In case of a close ended schemes, the maximum tenure shall be decided upfront and disclosed in the offer document. The minimum tenure of a close ended scheme shall be three (3) years.
- (2) Extension of the tenure of the close ended schemes may be permitted up to two (2) years subject to approval of two-thirds ($2/3^{\text{rd}}$) of the investors by value of their investment in the scheme and the approval of the Authority.
- (3) Retail schemes shall be constituted in IFSC as Company or Trust under the applicable laws of India.
- (4) Retail schemes may be launched for various investment strategies including for investment in Social Ventures, Infrastructure, ESG sectors (ESG schemes), specific sectors (sectoral schemes), certain themes such as infrastructure (thematic schemes), certain asset class (equity schemes, debt schemes, etc.) or a combination thereof or towards certain solution (retirement schemes, schemes for children education, etc.) subject to such terms and conditions as may be specified by the Authority.

Permissible investments

46. (1) Subject to other provisions of these regulations, a retail scheme may invest moneys collected under any of its schemes only in:-
- Securities listed or to be listed or traded on stock exchanges in IFSC, India or foreign jurisdictions;
 - Securities issued by unlisted entities;
 - Money market instruments;
 - Debt securities;
 - Securitized debt instruments, which are either asset backed or mortgage-backed securities;
 - Other investment schemes set up in the IFSC, India and foreign jurisdiction subject to appropriate disclosure in the offer documents;
 - Derivatives including commodity derivatives only for the purpose of hedging subject to suitable disclosures in the offer document;
 - Units of mutual funds and alternative investment funds in India and foreign jurisdiction; or
 - Such other securities or financial products/ assets or instruments as specified by the Authority:

Provided that pending deployment of money, FME may invest money in certificate of deposits, units of investment schemes such as liquid or money market schemes, money market instruments or any other securities or financial assets or instruments as may be specified by the Authority.

(2) Any investment made under sub-regulation (1) shall be in accordance with the investment objective of the relevant retail scheme and disclosures in the offer document.

Investment Restrictions and Scheme Corpus

47. (1) In case of an open-ended schemes, the maximum investment in unlisted securities should not exceed fifteen percent (15%) of the total AUM of the schemes.

(2) The minimum amount of investment by an investor in case of close ended schemes investing more than fifteen percent (15%) in unlisted securities, shall be USD 10,000:

Provided that a close ended scheme shall not invest more than fifty percent (50%) in unlisted securities.

Explanation.- For retail schemes investing less than fifteen percent (15%) in unlisted securities, the minimum amount of investment of USD 10,000 shall not be applicable.

(3) Retail schemes shall not invest more than ten percent (10%) of its AUM in securities of a single company:

Provided that the retail scheme may invest up to fifteen percent (15%) in a single company with the prior approval of the fiduciaries:

Provided further that the limit on single company shall not be applicable in case of Index schemes.

(4) Retail schemes shall not invest more than twenty five percent (25%) of its AUM in a single sector:

Provided that in case of a financial services sector the amount shall not exceed fifty percent (50%) of the AUM of the scheme:

Provided further that the limits on sectoral caps shall not apply in case of a sectoral or thematic or an Index Scheme.

(5) Retail schemes shall not invest more than twenty-five percent (25%) of the AUM in its associate.

(6) The minimum size of the retail schemes shall be USD 5 Million.

Disclosures

48. (1) The offer document for retail schemes shall clearly include all disclosures which are material for investors to make a decision regarding investing in such schemes.

(2) The disclosures in the offer document shall *inter-alia* include disclosures regarding the investment objective, the targeted investors, proposed corpus, investment style or strategy, investment methodology, proposed tenure of the scheme, proposed fees and expenses, risk management practices, KMPs of the FME and other relevant details of the FME and the scheme. The FME and the fiduciaries shall comply with the disclosure requirements in the offer document as may be specified by the Authority.

(3) Any material deviation or alteration to the fund strategy should be made with the consent of at least two-thirds (2/3rd) of investors by value.

(4) The FME shall ensure that the NAV is disclosed to the investors on a daily basis in case of an open-ended scheme and weekly basis in case of a close ended scheme.

(5) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme is disclosed to the investors at least on a quarterly basis within one (1) month from the end of the quarter.

(6) Any other material disclosure as considered suitable by the FME or the fiduciaries shall be informed to the investors immediately.

Borrowing

49. A retail scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs for the purpose of redemption :

Provided that the retail scheme shall not borrow more than twenty percent (20%) of the AUM of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six (6) months.

Valuation

50. (1) The FME and fiduciaries shall ensure compliance with the investment valuation norms as specified in the Sixth Schedule.

(2) In line with the investment valuation norms, the assets of the scheme may be valued by an independent third-party service provider such as a fund administrator or a custodian, registered with the Authority, a valuer registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India or such other person as may be specified by the Authority.

Computation of NAV

51. (1) The FME shall compute the NAV of each retail scheme on a daily basis:

Provided that in case of a close ended retail scheme the computation of NAV shall take place at least on a weekly basis.

(2) The procedure and methodology for calculating the NAV should be fully documented, and such documentation should be regularly verified and amended.

Contribution by the FME in the scheme

52. (1) The FME shall ensure that under a retail scheme, the FME or its associate shall invest at least, lower of one percent (1%) of the AUM of the scheme or USD 200,000:

Provided that the contribution by the FME shall not be mandatory in case of relocation of funds /schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC.

(2) The said contribution shall be made by the FME or its associate within forty-five (45) days and maintained on ongoing basis:

Provided that the period of forty-five (45) days may be extended subject to the satisfaction of the Authority.

(3) The said contribution if brought in by FME shall be included for the purpose of net-worth requirements as detailed under Chapter II.

(4) The said contribution shall be exempted if the scheme is a fund of fund scheme investing in a scheme which has similar such requirements.

PART D: SPECIAL SITUATION FUNDS

53. A Registered FME may launch a special situation fund in accordance with the provisions of this Chapter.

Definitions

54. For the purpose of this part of Chapter III,

(1) “special situation asset” includes:-

(a) stressed loan available for acquisition in terms of Clause 58 of Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021 as amended from time to time or as part of a resolution plan approved under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 or in terms of any other policy of the Reserve Bank of India or IFSCA or Government of India issued in this regard from time to time;

(b) security receipts issued by an Asset Reconstruction Company registered with the Reserve Bank of India;

(c) securities of investee companies:

(i) whose stressed loans are available for acquisition in terms of Clause 58 of the Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021 as amended from time to time, a resolution plan approved under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, or any other policy of the Reserve Bank of India or IFSCA or Government of India issued in this regard from time to time;

(ii) against whose borrowings, security receipts have been issued by an Asset Reconstruction Company registered with the Reserve Bank of India;

(iii) whose borrowings are subject to corporate insolvency resolution process under Chapter II of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

(iv) who have disclosed all the defaults relating to the payment of interest or repayment of principal amount on loans from banks / financial institutions/ Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Financial Companies/ Deposit taking Non-Banking Financial Companies and /or listed or unlisted debt securities and such payment default is continuing for a period of at least ninety (90) calendar days after the occurrence of such default:

Provided that in case of sub-clauses (iii) and (iv), the credit rating of the financial instruments or credit instruments or borrowings of the company has been downgraded to “D” or equivalent;

(d) Any other asset as may be specified by the Authority from time to time.

(2) “special situation fund” means a scheme that invests in special situation assets in accordance with its investment objectives and may act as a resolution applicant under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Filing of Placement Memorandum

55. (1) A Registered FME may launch a special situation fund through a private placement memorandum by filing the memorandum with the Authority along with the application fees at least 21 working days before launch of the scheme.
- (2) The Authority may endeavor to communicate its comments, if any, to the FME within twenty-one (21) working days of receipt of satisfactory response and the FME shall ensure that the comments are duly incorporated in the placement memorandum prior to launch of the scheme.
- Provided* that the validity of the placement memorandum for launch of the scheme shall be six (6) months from the date of filing with the Authority or the date of observation letter of Authority, whichever is later.
- (4) The FME shall ensure that any material changes in the placement memorandum are informed to the Authority immediately.

Nature and Structure of Scheme

56. (1) A special situation fund shall be close ended and the minimum tenure of a special situation fund shall be three (3) years.
- (2) The maximum tenure of a special situation fund shall be disclosed upfront in the placement memorandum.
- (3) Extension of the tenure of the close ended special situation fund may be permitted up to two (2) years subject to approval of two-thirds (2/3rd) of the investors by value:
- Provided* that any further extension beyond two (2) years may be considered subject to express consent of the investors and exit opportunity shall be provided to other investors.
- (4) A special situation fund shall be constituted in IFSC as a company or LLP or Trust under the applicable laws of India.

Permissible Investments

57. A special situation fund shall invest only in special situation assets.

Scheme corpus, eligible investors, investment conditions

58. (1) A special situation fund shall have the minimum corpus as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) A special situation fund shall accept such eligible investors as may be specified by the Authority from time to time.
- (3) A special situation fund shall comply with such additional investment conditions as may be specified by the Authority from time to time.

Borrowing

59. A special situation fund shall not borrow or engage in any leveraging activities other than to meet day-to-day operational requirements.

Other requirements

60. (1) The norms regarding disclosures, valuation, computation of NAV, contribution by the FME in the scheme as applicable to a close ended restricted scheme under Chapter III of these regulations shall apply to a special situation fund.
- (2) A special situation fund shall be considered as a category under restricted schemes and accordingly a special situation fund shall additionally comply with such requirements as may be specified by the Authority for close ended restricted schemes from time to time.

CHAPTER IV**EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFs)****Exchange Traded Funds**

61. (1) Only Registered FMEs (Retail) shall launch Exchange Traded Funds (ETFs) by filing the draft offer document with the Authority along with the application fees at least twenty-one (21) working days before launch of the ETF.
- (2) The validity of the offer document for the launch of the ETF shall be twelve (12) months from the date of observation letter of Authority.
- (3) The FME shall ensure that the comments of the Authority are duly incorporated in the offer document prior to launch of the ETF.

(4) The FME shall ensure that any material changes from the information provided in the draft offer document are informed to the Authority immediately.

(5) ETF shall be mandatorily listed and traded on a recognised stock exchange and shall include:

- (a) Equity Index based ETFs
- (b) Debt Index based ETFs
- (c) Commodity based ETFs
- (d) Hybrid ETFs (investing in 2 or more asset class)
- (e) Actively Managed ETF
- (f) Any other ETFs subject to approval of the concerned recognised stock exchange and the authority

(6) No scheme for ETF shall be filed with the Authority unless it has been approved by the fiduciaries:

Provided that in case of ETFs falling under clause (e) and (f) of sub-regulation (5) above prior approval of recognised stock exchange(s) where such ETF is intended to be listed shall be obtained.

(7) An ETF in IFSC shall use the identifier 'IFSC ETF' which identifies it as an ETF listed and traded on recognised stock exchanges. The identifier shall be used at all places including its name, offer document, and all advertising material.

Equity Index based ETF

62. (1) A FME may launch an ETF replicating an Equity Index of IFSC or Indian or foreign jurisdiction.
- (2) An Equity Index based ETF that seeks to replicate a particular index shall ensure that such index complies with the following norms:-
- (a) The index shall have a minimum of ten (10) stocks as its constituents;
 - (b) For a sectoral/ thematic index, no single stock shall have more than thirty five percent (35%) weight in the index; and
 - (c) For other than sectoral/ thematic indices, no single stock shall have more than twenty-five percent (25%) weight in the index.
- (3) Equity Index based ETF shall replicate the underlying index to the extent of at least ninety-five percent (95%) of total assets.

Debt Index based ETF

63. (1) The FME may launch an ETF replicating a Debt Index of IFSC or Indian or foreign jurisdiction.
- (2) A debt index based fund that seeks to replicate a particular index shall ensure that such index complies with the following norms:-
- (a) The index shall have a minimum five (5) issuers as its constituents;
 - (b) No single issuer shall have more than twenty-five percent (25%) weight in the index; and
 - (c) The rating of the constituents of the index shall be investment grade:
- Provided* that clauses (a) and (b) shall not apply to index based funds investing in Government securities.
- (3) Debt index based ETF shall replicate the underlying index to the extent of at least ninety percent (90 %) of total assets:

Provided that if the ETF is not able to replicate the index due to non-availability of issuances of the issuer forming part of the index, the FME may consider such deviations that would lead to least possible tracking error and shall be in line with the disclosures in the offer document.

Commodity oriented ETFs

64. (1) Commodity based ETFs shall invest at least ninety percent (90%) in the specified commodity or commodity related security / instrument as specified by the Authority.
- (2) For participation in commodity based ETF, FME shall ensure that a KMP with five (5) years of experience in dealing with commodities, is designated as a Fund Manager.

Gold ETF

65. (1) In case of a Gold ETF, at least ninety percent of the AUM should be invested in Gold or bullion instruments such as Bullion Depository Receipts with underlying Gold and Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCD) with gold as the underlying:

Provided that the exposure to ETCDs having gold as the underlying shall not exceed ten percent (10%) of AUM of the scheme:

Provided further the limit of ten percent (10%) shall not be applicable to Gold ETFs where the intention is to take delivery of the physical Gold and not to rollover its position to next contract cycle.

(2) Gold ETFs shall be benchmarked against the price of spot Gold at the recognised stock exchange or any other benchmark price as may be specified by the Authority and FMEs shall endeavour to have tracking error as low as possible.

(3) The FMEs shall ensure that for investment in physical Gold, the Gold should be supplied by a refiner certified for complying with OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

(4) Physical Gold shall be stored with a vault registered with the Authority.

(5) Physical verification of gold underlying the Gold ETF units shall be carried out by an independent agency capable of undertaking such activities and reported to the Board of FME and fiduciaries on half yearly basis.

Silver ETF

66. (1) In case of a Silver ETF, at least ninety percent (90%) of the AUM should be invested in Silver or bullion instruments such as Bullion Depository Receipts with underlying Silver and Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCD) with silver as the underlying.

Provided that the exposure to ETCDs having silver as the underlying shall not exceed ten percent (10%) of AUM of the scheme.

Provided further the limit of ten percent (10%) shall not be applicable to Silver ETFs where the intention is to take delivery of the physical silver and not to rollover its position to next contract cycle.

(2) Silver ETFs shall be benchmarked against the price of spot Silver at a recognised stock exchange or any other benchmark price as may be specified by the Authority and the FMEs shall endeavour to have tracking error as low as possible.

(3) The FMEs shall ensure that for investment in physical Silver, the silver should have supplied by a refiner certified for complying with OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

(4) Physical Silver shall be stored with a vault registered with the Authority.

(5) Physical verification of silver underlying the Silver ETF units shall be carried out by an independent agency capable of undertaking such activities and reported to the Board of FME and fiduciaries on half yearly basis.

Actively Managed ETFs

67. (1) Actively managed ETFs are ETFs for which the FME has discretion over the composition of its portfolio, subject to the stated investment objectives and policies.

(2) An actively managed ETF shall disclose in its offer document, and all advertising material that it is an actively managed ETF and shall disclose how it will meet the stated investment policy including, where applicable, its intention to outperform an index.

(3) Draft offer document for Actively Managed ETFs shall be filed with the recognised stock exchange(s) where such ETF is intended to be listed and also with the Authority.

Market Makers

68. (1) A FME shall appoint a market maker who shall be responsible for liquidity in the trading of ETF by way of providing two way quotes.

(2) Market Makers shall be permitted to create units and seek redemptions directly from the FME.

(3) Recognised Stock Exchange(s) may provide a simplified framework for authorisation of intermediaries registered with the Authority as market makers.

(4) Recognised Stock Exchange(s) shall also provide detailed rules for market makers viz. maximum spread, minimum quantity, if any, incentives, margining, net-settlement etc.

Computation of NAV

69. (1) A FME shall compute the NAV of each ETF on a daily basis and publish the same on its website and the inform the same to the recognised stock exchange, where it is listed for disclosure on the website of such recognised stock exchange.

(2) The procedure and methodology for calculating the NAV should be fully documented, and such documentation should be regularly verified and amended, if required.

Redemption of ETFs to Investors

70. Investors other than market makers may also directly approach the FME for redemption of ETFs, and no exit load shall be charged if :
- (a) Traded price (based on closing price) of the ETF units is at discount of more than five percent (5%) of NAV for continuous thirty (30) trading days; or
 - (b) No quotes are available on the recognised stock exchange for five (5) consecutive trading days; or
 - (c) Total bid size on the recognised stock exchange is less than higher of one percent (1%) of the total units valued at NAV in ETF or USD 2,500 in value, averaged over a period of seven (7) consecutive trading days.

Disclosures

71. (1) The offer document for ETFs shall clearly include all disclosures which are material for investors to make a decision regarding investing in such ETFs.
- (2) The disclosures in the offer document shall *inter-alia* include disclosures regarding the investment objective, the targeted investors, investment style or strategy, investment methodology, proposed fees and expenses, risk management practices, KMPs of the FME and other relevant details of the FME and the ETF. The FME and the fiduciaries shall comply with the disclosure requirements in the offer document as may be specified by the Authority.
- (3) Any material deviation or alteration to the fund strategy should be made with the consent of at least two-thirds (2/3rd) of investors by value.
- (4) The FME shall ensure that the NAV is disclosed to the investors on a daily basis and the manner of such disclosure shall be detailed in the offer document.
- (5) The FME shall ensure that the portfolio under the ETF is disclosed to the investors and the manner of such disclosure shall be detailed in the offer document.
- (6) Any other material disclosure as considered suitable by the FME or the fiduciaries shall be informed to the investors immediately.

CHAPTER V

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

72. (1) A FME managing AUM above USD 3 Billion as at the close of a financial year or any other threshold of AUM as may be specified by the Authority, shall:
- (a) establish policy on governance around material sustainability-related risks and opportunities;
 - (b) disclose in its annual report how the FME identifies, assesses and manages material sustainability-related risks;
 - (c) establish and disclose in its annual report the process of factoring sustainability-related risks and opportunities into fund manager's investment strategies and processes, including, where relevant, data and methodologies used; and
 - (d) comply with any other sustainability related requirements as may be specified by the Authority.
- (2) A FME that launches a scheme related to ESG, shall make full disclosure regarding investment objective, investment policy, strategy, material risk, benchmark, etc., in the manner as may be specified by the Authority.
- (3) All scheme documents filed by FME with the Authority under Chapter III shall disclose whether sustainability related risks are incorporated in the decision making. The FME shall provide details when sustainability related risks are incorporated in the decision making. A negative statement shall be included when sustainability related risks are not incorporated in the decision making.

CHAPTER VI
OTHER FUND MANAGEMENT ACTIVITIES
PART A: PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES

Eligible FME and Clients

73. (1) A Registered FME may offer Portfolio Management Services to its clients in terms of these regulations.
 (2) A FME in its capacity as a portfolio manager may have the following categories as clients:
 (a) a person resident outside India;
 (b) a non-resident Indian;
 (c) a non-individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent of outward investment permitted; and
 (d) an individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent allowed under the liberalised remittance scheme (LRS) of Reserve Bank of India.
 (3) A FME operating as a portfolio manager in an IFSC shall be permitted to invest in securities and financial products in an IFSC, India or Foreign Jurisdiction:

Provided that in case of a discretionary portfolio management service, it shall invest in the securities listed or to be listed or traded on the stock exchanges, money market instruments, units of investment scheme and other financial products as specified by the Authority from time to time.

Disclosures

74. (1) The FME shall provide a disclosure document to the client, prior to entering into a portfolio management agreement with the client.
 (2) The FME shall ensure that a copy of disclosure document is available on its website.
 (3) The disclosure document referred to in sub-regulation (1) shall *inter-alia* contain details pertaining to the services offered, risk factors, client representation, financial performance, performance of portfolio manager, auditor observations, nature of expenses, taxation, investor grievance redressal mechanism and litigations by the regulatory authorities against the portfolio manager and its principal officers, directors/ partners/ designated partners and key managerial personnel.

Portfolio Management Agreement.

75. (1) A FME shall enter into a written agreement with the portfolio management client that clearly defines the *inter se* relationship and sets out their mutual rights, liabilities and obligations relating to management of portfolio including details pertaining to investment objectives, risk factors, terms of fees, period of the contract, etc.
 (2) Notwithstanding anything contained in the agreement between the FME and the client, the funds or securities can be withdrawn by the client before the maturity of the contract under the following circumstances, namely-
 (a) voluntary or compulsory termination of portfolio management services by the FME or the client;
 (b) suspension or cancellation of the certificate of registration of the FME by the Authority; or
 (c) bankruptcy or liquidation of the FME.

Report to the Client

76. (1) The FME shall periodically furnish a report to the portfolio management client in terms of the agreement between it and the client which shall *inter-alia* contain details relating to composition and value of the portfolio, transactions undertaken during the period of the report, beneficial interest received during the period of the report, expenses incurred in managing the portfolio and details of risk relating to the securities recommended by the portfolio manager for investment or disinvestment.
 (2) The report referred to in sub-regulation (1) may be made available online with restricted access to each client.

Dealing with Client Funds

77. (1) A FME shall not accept from the client, funds or securities worth less than USD 150,000 in case of a portfolio management agreement:

Provided that the minimum investment threshold shall not apply to an accredited investor.

Provided further that the existing portfolio managers registered with the Authority and having clients with funds or securities worth less than USD 150,000 shall be grandfathered in the manner as may be specified by the Authority.

(2) A portfolio manager shall keep the funds of all clients in a separate account to be maintained by it in a Banking Unit.

(3) A FME shall segregate each portfolio management client's holding in securities in separate accounts:

Provided that this sub-regulation shall not apply if the investments of the clients are in jurisdictions permitting omnibus account structure. In such cases, FME shall ensure that the investment using omnibus structure is pursuant to prior consent of the clients; and adequate checks are in place to ensure that the clients' securities are earmarked separately.

(4) The funds received from the clients, investments or disinvestments, all the credits to the account of the client like interest, dividend, bonus or any other beneficial interest received on the investment and debit for expenses, if any, shall be properly reflected in the client's accounts.

(5) The FME shall act in a fiduciary capacity in respect of the client's funds and shall not derive any direct or indirect benefit out of the client's funds or securities.

(6) The FME shall not borrow funds or securities on behalf of the client.

Investment Restrictions

78. (1) The money or securities accepted by the FME shall be invested or managed in terms of the portfolio management agreement between the FME and the client.

(2) The FME shall not use the portfolio of its clients for investment in derivatives, unless express consent has been obtained from its clients.

(3) The FME shall not while dealing with clients' funds indulge in speculative transactions i.e., it shall not enter into any transaction for purchase or sale of any security which is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of security except the transactions in derivatives.

(4) A FME shall, ordinarily purchase or sell securities separately for each portfolio management client. However, in the event of aggregation of purchases or sales for economy of scale, *inter se* allocation shall be done on a *pro rata* basis and at weighted average price of the day's transactions. The FME shall not keep any open position in respect of allocation of sales or purchases effected in a day.

(5) The FME shall segregate each clients' funds and portfolio of securities and keep them separately from its own funds and securities and be responsible for safekeeping of clients' funds and securities.

(6) The FME shall not hold the securities belonging to the portfolio account, in its own name on behalf of its clients either by virtue of contract with clients or otherwise:

Provided that this sub-regulation shall not apply if the investments of the clients are in jurisdictions permitting omnibus account structure. In such cases, FME shall ensure that the investment using omnibus structure is pursuant to prior consent of the clients; and adequate checks are in place to ensure that the clients' securities are earmarked separately.

(7) The FME operating as a portfolio manager (except those providing only advisory services) shall appoint a custodian in respect of securities managed or administered by it.

General Obligations

79. (1) The FME shall charge an agreed fee from the clients for rendering portfolio management services without guaranteeing or assuring, either directly or indirectly, any return and the fee so charged may be a fixed fee or a return based fee or a combination of both.

(2) The FME in its capacity as a discretionary portfolio manager shall individually and independently manage the funds of the client in accordance with the needs of the client, in a manner which does not partake the character of a retail fund, whereas a non-discretionary portfolio manager shall manage the funds of the client in accordance with the directions of the client.

(3) The FME shall ensure that any person or entity involved in the distribution of its services is carrying out the distribution activities in compliance with these regulations and the circulars and directions issued thereunder by the Authority from time to time.

(4) The FME shall report its performance uniformly in the disclosures to the Authority, advertising material and reports to the clients and on its website.

(5) The portfolio accounts managed and administered by the FME in its capacity as a portfolio manager shall be audited annually and a copy of the certificate shall be given to the client.

Advisory Services

80. A FME as part of its portfolio management services shall enter into an agreement with prospective clients for providing advisory services, provided:
- it complies with the Regulation 43 to 50 of the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021.
 - It complies with the code of conduct under the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021; and
 - Advisory services are for a portfolio not less than USD 150,000.

Multi-Family Office

81. (1) A FME may also provide services to multi-family office under a portfolio management agreement as detailed in this Chapter.
- (2) The Authority may prescribe additional conditions, additional permissible investment, etc., for FMEs providing services to multi-family office under a portfolio management agreement.

PART B: INVESTMENT TRUST**Investment Trust in IFSCs**

82. (1) Any person from IFSC or India or a foreign jurisdiction desirous to operate an Investment Trust in the IFSCs shall obtain registration with the Authority.
- (2) An Investment Trust is permitted to raise funds through:
- Public issue with units listed on a recognised stock exchange in IFSC;
 - Private placement with units listed on a recognised stock exchange in IFSC; or
 - Private placement whose units are not proposed to be listed on any recognised stock exchange.
- (3) The recognised stock exchange(s) in IFSC shall specify the detailed framework including on initial disclosure requirements in the offer document, continuous obligations and disclosure requirements, trading, clearing and settlement etc. for Investment Trust whose units are listed or proposed to be listed on a recognised stock exchange(s). The Investment Trust shall comply with the requirements specified by the recognised stock exchange(s).

Definitions

83. (1) For the purpose of this Part of Chapter VI:-
- "eligible infrastructure project" means an infrastructure project which, prior to the date of its acquisition by, or transfer to, the InvIT, satisfies the following conditions,—
 - For PPP projects,—
 - the Infrastructure Project is a completed and revenue generating project;
 - the Infrastructure Project, which has achieved commercial operations date (COD) and does not have the track record of revenue from operations for a period of not less than one year; or
 - the Infrastructure Project is a pre-COD project;
 - In non-PPP projects, the infrastructure project has received all the requisite approvals and certifications for commencing construction of the project;
 - "governing board" shall mean a group of members appointed or nominated by the LLP to act in a manner similar to the board of directors in case of a company;
 - "holdco" or "holding company" means a company or LLP or any other structure as approved by the Authority:-
 - in which Investment Trusts holds or proposes to hold controlling interest and not less than fifty one per cent of the equity share capital or interest and which in turn has made investments in other SPV(s), which ultimately hold the infrastructure assets or property(ies), as the case may be;
 - which is not engaged in any other activity other than holding of the underlying SPV(s), real estate/properties or infrastructure projects, as the case may be, and any other activities pertaining to and incidental to such holdings;
 - "Investment Trust" shall mean a REIT or an InvIT, as the case may be;

- (e) “investment management agreement” means an agreement between the trustee and the investment manager which lays down the roles and responsibilities of the investment manager towards the Investment Trust;
- (f) “investment manager” means a Fund Management Entity registered under these regulations which manages assets and investments of the Investment Trust and undertakes activities of the Investment Trust;
- (g) “InvIT” or 'Infrastructure Investment Trust' shall mean the trust registered as such under these regulations;
- (h) "InvIT assets” means assets owned by the InvIT, whether directly or through a holdco and/ or SPV, and includes all rights, interests and benefits arising from and incidental to ownership of such assets;
- (i) “parties to the Investment Trust” shall include the sponsor(s), fund management entity, trustee and project manager(s), if applicable;
- (j) “PPP project” means an infrastructure project undertaken on a Public- Private Partnership basis;
- (k) “pre-COD project” means an infrastructure project which:
- i. has not achieved commercial operation date as defined under the relevant project agreements including the concession agreement, power purchase agreement or any other agreement of a similar nature entered into in relation to the operation of a project or any agreement entered into with the lenders; and
 - ii. has,—
 - a. achieved completion of at least fifty percent of the construction of the infrastructure project as certified by an independent engineer of such project; or
 - b. expended not less than fifty percent of the total capital cost set forth in the financial package of the relevant project agreement;
- (l) “project implementation agreement” or “project management agreement” means an agreement between the project manager, the concessionaire SPV and the trustee which sets out obligations of the project manager with respect to execution of the project and/or management:
- Provided that in case of PPP projects, such obligations shall be in addition to the responsibilities as under the concession agreement or any such agreement entered into with the concessioning authority;
- (m) “project manager” means a company or LLP or a body corporate designated as the project manager by the InvIT, responsible for achieving execution /management of the project and in case of PPP projects, shall mean the entity responsible for such execution and achievement of project milestones in accordance with the concession agreement or any other relevant project document;
- (n) “real estate related assets” shall mean listed or unlisted debt securities and listed shares of or issued by property corporations, mortgage-backed securities, other property funds, and assets incidental to the ownership of real estate;
- (o) “REIT” or “Real Estate Investment Trust” means a trust registered as such under these regulations;
- (p) “REIT assets” means real estate assets and any other assets held by the REIT, on a freehold or leasehold basis, whether directly or through a holdco and/or a special purpose vehicle;
- (q) “special purpose vehicle ” or “SPV ” means any company or LLP or any other structure as approved by the Authority, -
- (i) in which either the Investment Trust or the holdco holds or proposes to hold controlling interest and not less than fifty one percent of the equity share capital or interest:
Provided that in case of PPP projects where such acquiring or holding is disallowed by government or regulatory provisions under the concession agreement or such other agreement, this clause shall not apply and shall be subject to provisions under proviso to clause 12(3);
 - (ii) which holds not less than eighty percent of its assets directly in infrastructure projects or properties and does not invest in other SPVs; and
 - (iv) which is not engaged in any other activity other than activities pertaining to and incidental to the underlying infrastructure projects or holding or development of the property, as the case may be;

- (r) “sponsor” means any company or LLP or body corporate which sets up the Investment Trust and is designated as such at the time of application made;
- (s) “sponsor group” includes:
- (i) the sponsor(s);
- (ii) in case the sponsor is a body corporate:
- (a) entities or person(s) which are controlled by such body corporate;
- (b) entities or person(s) who control such body corporate;
- (c) entities or person(s) which are controlled by person(s) as referred at clause b.
- (iii) in case sponsor is an individual:
- (a) an immediate relative of such individual (i.e., any spouse of that person, or any parent, brother, sister or child of the person or of the spouse); and
- (b) entities or person(s) which are controlled by such individual;
- (t) “trustee” means a person who holds the assets of Investment Trust in trust for the benefit of the investors;
- (u) “valuer” means a person who is authorised to practise as a valuer under the law of the state or country where the valuation takes place;

Registration

84. (1) An application for grant of certificate of registration as Investment Trust shall be made, by the sponsor on behalf of the trust in the format specified by the recognised stock exchange(s) to the Authority, and shall be accompanied by a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- (2) The Authority may, in order to protect the interests of investors, appoint any person to take charge of records, documents of the Investment Trust and for this purpose, also determine the terms and conditions of such an appointment.

Trust

85. The following are the eligibility conditions for the Investment trust:
- (a) The trust should be created under the laws of India (IFSC or outside IFSC) or foreign jurisdiction;
- (b) The trust deed has its main objective as undertaking activity of Investment Trust (REIT or InvIT, as the case may be) and includes responsibilities of the Trustee in accordance with the requirements specified in these regulations;
- (c) persons have been designated as sponsor(s), investment manager and trustee and all such persons are separate entities.

Sponsor

86. The following are the eligibility conditions for a sponsor of an Investment Trust:
- (a) Each sponsor shall hold or propose to hold not less than five percent of the number of units of the Investment Trust on post-initial offer basis:
- Provided* that in case the holding goes below five percent, the sponsor shall comply with the requirement within a time period of one year;
- (b) Each sponsor has a net worth of not less than USD 15 million if it is a body corporate or a company or net tangible assets of value not less than USD 15 million in case it is a limited liability partnership:
- Provided* that in case of REIT each sponsor has a net worth of not less than USD 3 million and the sponsor(s), on a collective basis, have a net worth of not less than USD 15 million;
- (c) The sponsor or its associate shall have a sound track record in development of real estate or infrastructure or fund management in the infrastructure / real estate sector.
- Explanation.*- For the purpose of this sub-regulation, ‘sound track record’ means relevant experience of at least five (5) years and where the sponsor is a developer, at least two projects of the sponsor have been completed.

Investment Manager

87. (1) In case of private placement, any Registered FME shall be eligible to be appointed as Investment Manager.

(2) In case of a public issues, a Registered FME (Retail) shall only be eligible to be appointed as an Investment Manager.

Trustee

88. The following are the eligibility conditions for a trustee of an Investment Trust:

- (a) The entity shall be authorised / registered as a trustee with the Authority or any other securities regulator and shall not be an associate of the sponsor(s) or investment manager;
- (b) The trustee has such wherewithal with respect to infrastructure, personnel, etc. to the satisfaction of the Authority and the recognised stock exchange(s).

Fit and Proper

89. The registration shall be granted only if the Investment Trust and parties to the Investment Trust are fit and proper persons as specified under these regulations.

Currency

90. The units of the Investment Trust shall be in a freely convertible foreign currency other than Indian Rupee.

Offer of units of Investment Trust

91. (1) No initial offer of units by an Investment Trust shall be made unless,—

- (a) the Investment Trust is registered with the Authority;
- (b) the value of assets of Investment Trust is not less than USD 75 million; and
- (c) the offer size is not less than USD 35 million.

(2) The minimum offer and allotment to public through an offer document / placement memorandum in respect of Investment Trust listed on a recognised stock exchange shall be as per the below table:

<i>Post Issue Capital</i>	<i>Minimum no./ value of units to be offered</i>
Less than USD 240 million	At least 25% of the total outstanding units of the Investment Trust
USD 240 million or more but less than USD 600 million	At least USD 60 million
Equal to or more than USD 600 million	At least 10% of the total outstanding units of the Investment Trust

Provided that any units offered to sponsor or the investment manager or the project manager or their related parties or their associates shall not be counted towards units offered to the public.

Private Placement with listing

92. (1) The fund raising by an Investment Trust by way of private placement whose units are proposed to be listed on the recognised stock exchange(s) shall be subject to compliance with the following:

- (a) The Investment Trust is required to obtain in-principle approval from the recognised stock exchange(s):
Provided that the validity of the in-principle approval shall not be greater than six (6) months from the date of in-principle approval from the recognised stock exchange.
- (b) The Investment Trust, through the Investment Manager or Investment Banker, shall file a placement memorandum with the Authority along-with the applicable fee at least five (5) working days prior to opening of the issue:
Provided that such opening of the issue shall not be at a date later than three (3) months from the receipt of in-principle approval for listing, from exchange(s).
- (c) The Investment Trust shall raise funds from accredited investor or from investors investing not less than USD 150,000.

Notwithstanding the above, if a privately placed Investment Trust invests or proposes to invest less than eighty per cent of the value of the assets of Investment Trust in completed and revenue generating assets, the minimum investment from an investor shall be USD 1 million.

- (d) The Investment Trust shall raise funds from not less than two (2) and not more than one thousand (1000) investors.

- (e) The Investment Trust, through the Investment Manager shall file the final placement memorandum with the Authority within a period of ten (10) working days from the date of listing of the units issued therein.

Private Placement without listing

93. (1) The fund raising by an Investment Trust by way of private placement whose units are not proposed to be listed on the recognised stock exchange(s) shall be subject to compliance with the following:
- (a) The Investment Trust shall file a draft placement memorandum with the Authority along with the applicable fee at least five (5) working days prior to opening of the issue:
Provided that such opening of the issue shall not be at a date later than three (3) months from the receipt of in-principle approval.
- (b) The Investment Trust shall raise funds from accredited investor or from investors investing not less than USD 250,000.
- (c) The Investment Trust shall raise funds from not more than fifty (50) investors.
- (d) The Investment Trust shall file the final placement memorandum with the Authority within a period of ten (10) working days from the date of allotment of the units to the investors.

Public Issues

94. The fund raising by an Investment Trust by way of public issue shall be subject to compliance with the following:
- (a) The Investment Trust shall raise funds by way of initial public offer and any subsequent issue of units after initial public offer may be by way of follow-on offer, preferential allotment, qualified institutional placement, rights issue, bonus issue, offer for sale or any other mechanism and in the manner as may be specified by the Authority.
- (b) The Investment Trust, through the Investment Manager or a Registered investment banker appointed by it, shall file a draft offer document along with the fee, with the recognised stock exchange(s) and the Authority, not less than thirty working days before filing the offer document with the recognised stock exchange and the Authority.
- (c) The draft offer document filed with the Authority shall be made public, for comments, if any, by hosting it on the websites of the Authority, recognised stock exchange(s) and Investment Manager, investment bankers associated with the issue, for a period of not less than fourteen (14) days.
- (d) The draft offer document and/ or offer document shall be accompanied by a due diligence certificate signed by the lead investment manager or investment banker as the case may be.
- (e) The Authority may communicate its comments to the investment manager or investment banker within twenty one (21) working days from the date of receipt of satisfactory reply from the investment manager or investment banker.
- (f) The investment manager or investment banker shall ensure that all comments received from the Authority on the draft offer document are suitably taken into account prior to the filing of the offer document with the recognised stock exchanges.
- (g) The offer document shall be filed with the recognised stock exchange(s) and the Authority not less than five (5) working days before opening of the offer.
- (h) The initial offer or follow-on offer or rights issue shall be made by the Investment Trust within a period of not more than one (1) year from the date of issuance of observations by the Authority:
Provided that if the initial offer or follow-on offer or rights issue is not made within the specified time period, a fresh draft offer document shall be filed.
- (i) The Investment Trust may invite for subscriptions and allot units to an investor, subject to the applicable investment guidelines and permissions issued by regulators at home jurisdiction, if any.
- (j) The initial offer and follow-on offer shall not be open for subscription for a period of more than thirty (30) days.
- (k) In case of over-subscriptions, the Investment Trust shall allot units to the applicants on a proportionate basis rounded off to the nearest integer subject to minimum subscription amount per subscriber.
- (l) The Investment Trust shall allot units or refund application money, as the case may be, within twelve (12) working days from the date of closing of the issue.
- (m) The Investment Trust shall issue units only in dematerialized form to all the applicants.

- (n) The price of Investment Trust units issued by way of public issue shall be determined through the book building process or any other process in accordance with the circulars or guidelines issued by the Authority or the recognised stock exchange(s).
- (o) The Investment Trust shall refund money, -
- i. to all applicants in case it fails to collect subscription amount of exceeding ninety percent (90%) of the fresh issue size as specified in the offer document;
 - ii. to applicants to the extent of oversubscription in case the money received is in excess of the extent of over-subscription as specified in the offer document:
Provided that right to retain such over subscription cannot exceed twenty five percent (25%) of the issue size:
Provided further that the offer document shall contain adequate disclosures towards the utilisation of such oversubscription proceeds, if any, and such proceeds retained on account of oversubscription shall not be utilised towards general purposes.
- (p) Units may be offered for sale to public if such units have been held by the existing unitholders for a period of at least one (1) year prior to the filing of draft offer document with the Authority:
Provided that the holding period for the equity shares, compulsorily convertible securities (from the date such securities are fully paid-up) or partnership interest in the holdco and/or SPV against which such units have been received shall be considered for the purpose of calculation of one (1) year period referred in this regulation:
Provided further that the compulsorily convertible securities, whose holding period has been included for the purpose of calculation for offer for sale, shall be converted to equity shares of the holdco or SPV, prior to filing of offer document.
- (q) The amount for general purposes, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document filed with the Authority, shall not exceed ten percent (10%) of the amount raised by the Investment Trust by issuance of units.

Offer Document or Placement Memorandum

95. (1) The offer document or the placement memorandum of an Investment Trust shall contain material, true, correct and adequate disclosures to enable the investors to make an informed decision.
- (2) The offer document or placement memorandum shall include all information as required by the recognised stock exchange(s) and in the format provided by the recognised stock exchange(s), including:
- (a) Introduction;
 - (b) Details of sponsor(s), Investment Manager, Project Manager, Trustee and other relevant parties;
 - (c) Brief background of the Investment Trust;
 - (d) Description of the assets under the Investment Trust;
 - (e) Business Details and Strategy;
 - (f) Leverage;
 - (g) Conflict of Interest and Related party transactions;
 - (h) Valuation;
 - (i) Financials;
 - (j) Rights of Unit Holders;
 - (k) Title disclosures, litigations and regulatory actions;
 - (l) Risk Factors;
 - (m) Taxation.
- (3) The following documents shall be submitted to the Authority:
- (a) Full valuation report along with the offer document/ placement memorandum;
 - (b) Project implementation/management agreement, along-with draft offer document or the placement memorandum;
 - (c) Due diligence certificate along with the draft offer document and offer document/ placement memorandum; and
 - (d) In principle approval from the recognised stock exchange(s).

- (4) The placement memorandum of an Investment Trust whose units are not proposed to be listed on a recognised stock exchange shall contain all information, to the extent applicable, as specified for an Investment Trust whose units are proposed to be listed on a recognised stock exchange.

Continuous obligations and Disclosure Requirements

96. (1) The Investment Trust listed on a recognised stock exchange shall comply with the continuous obligations and disclosure requirements specified by the recognised stock exchange(s).
- (2) The following disclosure requirements shall be applicable on an Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange:
- (a) The investment manager of the Investment Trust shall submit annual report, half-yearly report and valuation report to the trustee and unit holders of the Investment Trust, either electronically or through physical copies;
 - (b) The annual and half yearly reports shall contain disclosures as specified for a privately placed Investment Trusts listed on a recognised stock exchange;
 - (c) The investment manager shall disclose to the trustee and unit holders any information having bearing on the operation or performance of the Investment Trust which includes but is not restricted to the following:—
 - i. acquisition or disposal of any infrastructure projects or property, directly or through holdco or SPV, value of which exceeds five percent (5%) of value of the assets of Investment Trust;
 - ii. additional issue of units by the Investment Trust;
 - iii. details of any credit rating obtained by the Investment Trust and any change in such rating;
 - iv. any issue which requires approval of the unit holders;
 - v. any legal proceedings which may have significant bearing on the functioning of the Investment Trust;
 - vi. notices and results of meetings of unit holders,
 - vii. any instance of non-compliance with these regulations and the circulars or guidelines issued thereunder including any breach of limits; and
 - viii. any material issue that in the opinion of the investment manager or trustee needs to be disclosed to the unit holders.

Investment Conditions

97. (1) The Investment Trust may invest in infrastructure projects or properties, as the case may be through SPVs subject to the following:-
- (a) no other shareholder or partner of the SPV shall exercise any rights that prevents the Investment Trust from complying with the regulatory requirements specified by Authority and recognised stock exchange(s) and an agreement has been entered into with such shareholders or partners to that effect prior to investment in the SPV:
Provided that the shareholders' agreement or partnership agreement shall provide for an appropriate mechanism for resolution of disputes between the Investment Trust and the other shareholders or partners in the SPV:
Provided further that the provisions specified by Authority and recognised stock exchange(s) shall prevail in case of inconsistencies between such agreement(s) and the obligations cast upon an Investment Trust by Authority and recognised stock exchange(s).
 - (b) in case the SPV is a company/LLP, the investment manager, in consultation with the trustee, shall appoint majority of the board of directors or governing board of such SPVs as applicable:
Provided that in case of REIT the investment manager, in consultation with the trustee, shall appoint at least such number of nominees on the board of directors or the governing board of such SPVs, as applicable, which are in proportion to the shareholding or holding interest of the REIT in the SPV;
 - (c) the investment manager shall ensure that in every meeting including annual general meeting of the SPV, the voting of the Investment Trust is exercised.
- (2) The Investment Trust may invest in infrastructure projects or properties, as the case may be through holdco subject to the following:

- (a) the ultimate holding interest of the Investment Trust in the underlying SPV(s) is not less than twenty-six per cent (26%);
- (b) no other shareholder or partner of the holdco or the SPV(s) shall exercise any rights that prevent the Investment Trust, the holdco or the SPV(s) from complying with the regulatory requirements specified by Authority and recognised stock exchange(s) and an agreement has been entered into with such shareholders or partners to that effect prior to investment in the holdco and/or SPVs:

Provided that the shareholders' agreement or partnership agreement shall provide for an appropriate mechanism for resolution of disputes between the Investment Trust and the other shareholders or partners in the holdco and/or SPV;

Provided further that the provisions specified by Authority and recognised stock exchange(s) shall prevail in case of inconsistencies between such agreement(s) and the obligations cast upon an Investment Trust by Authority and recognised stock exchange.

- (c) the investment manager, in consultation with the Trustee, shall appoint the majority of the Board of directors or governing board of the holdco and SPV(s):

Provided that in case of REIT the investment manager, in consultation with the trustee, shall appoint at least such number of nominees on the board of directors or the governing board of the holdco and/or the SPV, which are in proportion to the shareholding or holding interest of the REIT in the SPV: and

- (d) the investment manager shall ensure that in every meeting including annual general meeting of the Holdco and SPV(s), the voting of the Investment Trust is exercised.

- (3) The investment can be in IFSC or India or in foreign jurisdiction:

Provided that where an investment is made in a foreign infrastructure project or real estate asset, as the case may be, the investment manager should ensure that the investment complies with all the applicable laws and requirements in that foreign country.

- (4) An Investment Trust shall hold completed and rent generating property or an infrastructure asset, as the case may be, for a period of not less than three years from the date of purchase of such asset by the Investment Trust directly or through holdco and/or SPV:

Provided that this shall not apply to investment in securities of companies in infrastructure sector other than SPVs.

- (5) For any sale of property, whether by the Investment Trust or holdco or the SPV or for sale of shares or interest in the SPV by the holdco or Investment Trust exceeding ten percent of the value of Investment Trust assets in a financial year, the Investment manager shall obtain prior approval from the unit holders.

- (6) An Investment Trust shall not invest in units of other Investment Trust(s).

- (7) An Investment Trust shall not undertake lending to any person other than the holdco/special purpose vehicle(s) in which the Investment Trust has invested in:

Provided that investment in debt securities shall not be considered as lending.

Additional conditions in case of InvIT

98. (1) The investment by an InvIT shall only be in holdco and/ or SPVs or infrastructure projects or securities in accordance with the requirements specified in these regulations and the investment strategy as detailed in the offer document:

Provided that in case of PPP projects, the InvIT shall mandatorily invest in the infrastructure projects through holdco and/ or SPV.

- (2) In case of Public Issues of InvIT:-

- (a) At least eighty percent (80%) of the value of the InvIT assets shall be invested, proportionate to the holding of the InvITs, in completed and revenue generating infrastructure projects.

Explanation.- If the investment has been made through a holdco and/ or SPV(s), only the portion of direct investments in completed and revenue generating projects by such holdco and/ or SPV(s) shall be considered under this clause and the remaining portion shall be included in clause (b) of this sub-regulation. If any project is implemented in stages, the part of the project which can be categorised as completed and revenue generating project shall be considered under this clause and the remaining portion shall be included under clause (b) of this sub-regulation;

- (b) Not more than Twenty percent (20%) of value of the InvIT assets shall be invested in:

- (i) under-construction infrastructure projects, whether directly or through holdco and/ or SPVs:

Provided that the investment in such assets shall not exceed ten percent (10%) of the value of the InvIT assets;

- (ii) listed or unlisted debt of companies or body corporate in infrastructure sector;
Provided that the investment shall not include any investment made in debt of the holdco and/ or SPV(s);
 - (iii) equity shares of listed companies which derive not less than eighty percent (80%) of their operating income from infrastructure sector;
 - (iv) government securities;
 - (v) securities issued by a supranational agency; and
 - (vi) money market instruments, liquid mutual funds or cash equivalents.
- (3) In respect of InvITs having raised funding through public issue, if the investment conditions are breached on account of market movements of the price of the underlying assets or securities, the investment manager shall inform the same to the trustee and ensure that the investment conditions as specified in these regulations are satisfied within six (6) months of such breach:
Provided that the period may be extended to one year subject to approval from investors.
- (4) In case of private placement of InvIT:-
- (a) At least eighty percent (80%) of the value of the InvIT assets in eligible infrastructure projects either directly or through holdcos or through SPVs;
 - (b) Un-invested funds may be invested in:
 - (i) listed or unlisted debt of companies or body corporate in infrastructure sector;
 - (ii) *Provided* that this shall not include any investment made in debt of the holdco and/ or SPV(s);
 - (iii) equity shares of listed companies which derive not less than eighty percent of their operating income from infrastructure sector;
 - (iv) government securities;
 - (v) securities issued by a supranational agency; and
 - (vi) money market instruments, liquid mutual funds or cash equivalents.

Additional conditions in case of REIT

99. (1) The investment by a REIT shall be either directly or through an SPV or through holdco.
- (2) A REIT shall invest only in the following:-
- (a) real estate, whether freehold or leasehold, in or outside IFSC;
 - (b) real estate related assets;
 - (c) listed or unlisted debt securities or listed shares of local or foreign non-property corporations;
 - (d) government securities;
 - (e) securities issued by a supranational agency; and
 - (f) cash and cash-equivalent items.
- (3) The investments in case of public offer should be in compliance with the following requirements:
- (a) at least seventy five percent (75%) of the REIT assets should be invested in income-producing real estate;
 - (b) should not undertake property development activities, unless it intends to hold the developed property upon completion;
 - (c) should not invest in vacant land and mortgages except for mortgage-backed securities:
Provided that these requirement shall not apply to any land which is contiguous and extension of an existing project being implemented in stages;
 - (d) the total contract value of property development activities undertaken and investments in uncompleted property developments should not exceed ten percent (10%) of the REIT assets:

Provided that the total contract value of property development activities may exceed ten percent (10%) subject to a maximum of twenty five percent (25%) of the REIT assets only if:

- (i) the additional allowance of up to fifteen percent (15%) of the REIT assets is utilised solely for the redevelopment of an existing property that has been held by it for at least three (3) years and which the REIT will continue to hold for at least three (3) years after the completion of the redevelopment; and
 - (ii) it has obtained specific approval of the unit holders.
- (e) for investments in debt securities or listed shares of local or foreign non-property corporations, or government securities or securities issued by a supranational agency, or cash or cash-equivalent items, not more than five percent (5%) of the REIT assets can be invested in any one issuer's securities or any one manager's funds; and
- (f) should not derive more than ten percent (10%) of its revenue from sources other than:
- i. rental payments from the tenants of the real estate held by it, or

Explanation.- rental payments include income that is ancillary or incidental to the leasing of real estate such as income from use of signage space and advertising contributions by tenants;

- ii. interest, dividends and other similar payments from permissible investments.

(4) The investment restrictions and requirements under clause (d) and (e) of sub-regulation (3) above are applicable at the time the transactions are entered into.

(5) If the investment conditions as specified under clause (a) and (f) above are breached on account of market movements of the price of the underlying assets or securities or change in tenants or expiry of lease or sale of properties, the investment manager shall inform the same to the trustee and ensure that the conditions as specified in these regulations are satisfied within six (6) months of such breach:

Provided that the period may be extended by another six (6) months subject to approval from unit holders.

(6) The investments in case of private placement should be in compliance with the following requirements:-

- (a) At least eighty percent (80%) of the value of the REIT assets should be invested in eligible real estate properties either directly or through holdcos or through SPVs;
- (b) Un-invested funds may be invested in:
 - (i) listed or unlisted debt of companies or body corporate in real estate sector
Provided that this shall not include any investment made in debt of the holdco and/ or SPV(s);
 - (ii) equity shares of listed companies which derive not less than eighty percent of their operating income from real estate sector;
 - (iii) government securities;
 - (iv) securities issued by a supranational agency; and
 - (v) money market instruments, liquid mutual funds or cash equivalents.

Distribution policy

100. (1) With respect to distributions made by the Investment Trust and the holdco and/or SPV,-

- (a) not less than ninety percent (90%) of net distributable cash flows of the SPV shall be distributed to the Investment Trust /holdco in proportion of its holding in the SPV;
- (b) not less than ninety percent of net distributable cash flows of the Investment Trust shall be distributed to the unit holders;
- (c) with regard to distribution of net distributable cash flows by the holdco to the Investment Trust, the following shall be complied:
 - (i) with respect to the cash flows received by the holdco from underlying SPVs, hundred percent (100%) of such cash flows received by the holdco shall be distributed to the Investment Trust; and
 - (ii) with respect to the cash flows generated by the holdco on its own, not less than ninety percent (90%) of such net distributable cash flows shall be distributed by the holdco to the Investment Trust.

- (d) such distributions shall be declared and made not less than once every six (6) months in every financial year in case of publicly offered InvITs and shall be made not later than fifteen (15) days from the date of such declaration.
- (2) If any infrastructure asset or property, as the case may be, is sold by the Investment Trust or holdco or SPV or if the equity shares or interest in the holdco/ SPV are sold by the Investment Trust:
- (a) If the Investment Trust proposes to re-invest the sale proceeds into infrastructure asset or another property, as the case may be, it shall not be required to distribute any sales proceeds to the investors;
- (b) If the Investment Trust proposes not to invest the sales proceeds into any other infrastructure asset or property, as the case may be, within a period of one (1) year, it shall be required to distribute the same in accordance with sub-regulation (1) above.

Borrowings and deferred payments

101. (1) The following provisions shall apply to an Investment Trust listed on a recognised stock exchange:

- (a) An Investment Trust whose units are listed on a recognised stock exchange may issue debt securities in the manner specified by the Authority:
- Provided* that such debt securities shall be listed on recognised stock exchange(s).
- (b) The aggregate consolidated borrowings and deferred payments of the Investment Trust, holdco and the SPV(s), net of cash and cash equivalents shall not exceed:
- (i) seventy percent (70%) of the value of the InvIT assets; or
- (ii) forty nine percent (49%) of the value of the REIT assets.
- (c) If the aggregate consolidated borrowings and deferred payments of the Investment Trust, holdco and the SPV(s), net of cash and cash equivalents exceed twenty five percent of the value of the assets of Investment Trust, for any further borrowing,—
- (i) upto forty nine percent (49%), the Investment Trust shall -
- (a) obtain credit rating from a credit rating agency; and
- (b) seek approval of unitholders.
- (ii) above forty nine percent (49%), an InvIT shall -
- (a) obtain a credit rating of “AAA” or equivalent for its consolidated borrowing and the proposed borrowing, from a credit rating agency.
- (b) utilize the funds only for acquisition or development of infrastructure projects;
- (c) have a track record of at least six distributions, on a continuous basis, post listing, in the years preceding the financial year in which the enhanced borrowings are proposed to be made; and
- (d) obtain prior approval of unitholders.
- (d) If the conditions specified in the above sub-clauses are breached on account of market movements of the price of the underlying assets or securities, the investment manager shall inform the same to the trustee and ensure that the conditions are satisfied within six months of such breach.

(2) An Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange may undertake borrowing to the extent permitted under the trust deed, after seeking approval from such number of investors as specified in the trust deed.

Valuation of assets

102. (1) A full valuation shall be conducted by the valuer at least once in every financial year:

Provided that such full valuation shall be conducted at the end of the financial year ending March 31st within two (2) months from the end of such year.

(2) A half yearly valuation of the assets of Investment Trust shall be conducted by the valuer for the half-year ending on September 30 for incorporating any key changes in the previous six (6) months and such half yearly valuation report shall be prepared within one (1) month from the date of end of such half year:

Provided that in case the consolidated borrowings and deferred payments of an InvIT is above forty-nine percent (49%), the valuation of the assets of such InvIT shall be conducted by the valuer for quarter ending June, September and December, for incorporating any key changes in the previous quarter and such quarterly report shall be prepared within one month from the date of the end of such quarter.

(3) Valuation reports received by the investment manager shall be submitted to the recognised stock exchange(s) within fifteen (15) days from the receipt of such valuation reports, in respect of an InvIT whose units are listed on a recognised stock exchange.

(4) Prior to any issue of units by publicly offered Investment Trust other than bonus issue, the valuer shall undertake full valuation of all the assets and include the same in the Offer Document:

Provided that such valuation report shall not be more than six months old at the time of such offer:

Provided further that this shall not apply in cases where full valuation has been undertaken not more than six (6) months prior to such issue and no material changes have occurred thereafter.

(5) For any transaction of purchase or sale of infrastructure projects or properties, whether directly or through holdco and/or SPVs, for publicly offered Investment Trusts,—

(a) a full valuation of the specific project shall be undertaken by the valuer; if,—

(i) in case of a purchase transaction, the asset is proposed to be purchased at a value greater than hundred ten percent (10%) of the value of the asset as assessed by the valuer;

(ii) in case of a sale transaction, the asset is proposed to be sold at a value less than ninety percent (90%) of the value of the asset as assessed by the valuer, approval of the unit holders shall be obtained.

(6) In case of any material development that may have an impact on the valuation of the assets under Investment Trust, then investment manager shall require the valuer to undertake full valuation of the infrastructure project or property under consideration within not more than two (2) months from the date of such event and disclose the same to the trustee and the recognised stock exchange(s) within fifteen (15) days of such valuation.

(7) The valuer shall not value any assets in which it has either been involved with the acquisition or disposal within the last twelve (12) months other than such cases where valuer was engaged by the Investment Trust for such acquisition or disposal.

Surrender of certificate by an Investment Trust whose units are not listed

103. (1) An Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange may choose to surrender its certificate of registration to the Authority and on acceptance of surrender of certificate of registration, it shall no longer undertake the activity of an Investment Trust.

(2) The Investment Trust and parties to the Investment Trust shall continue to be liable for all their acts of omissions and commissions with respect to activities of the Investment Trust notwithstanding surrender of registration to the Authority.

PART C: FAMILY INVESTMENT FUND

Eligibility Conditions

104. (1) Family Investment Fund could be set up in the IFSC as a Company, Trust (Contributory Trust only) or Limited Liability Partnership or any other form as may be permitted by the Authority from time to time.

Provided where the contributory vehicle is in the form of a Trust (i.e. a contributory Trust) it shall ensure that, -

(a) the beneficiaries are identifiable based on the provisions of the Trust deed, though not specifically named in the trust deed;

(b) the share of each beneficiary should be capable of being determined based on the provision/ formula mentioned in the trust deed and shall not be at the discretion of the trustee; and

(c) any addition of further contributors to the Trust in addition to the initial contributors, shall not make the existing beneficiaries unknown or their shares indeterminate.

(2) The requirements under Regulation 5 and 8 on Legal form and Net-worth of an FME shall not be applicable to a Family Investment Fund.

(3) A Family Investment Fund in IFSC should have and maintain a minimum corpus of USD 10 million within a period of three (3) years from the date of obtaining certificate of registration.

(4) The Family Investment Fund could be open ended or close ended, depending upon the requirements of the family.

Permissible Activities

105. A Family Investment Fund may undertake all activities related to managing family investment fund and as may be specified by the Authority.

Permissible investments

106. Subject to other provisions of these regulations, a family investment fund may invest money only in:-
- Securities issued by the unlisted entities;
 - Securities listed or to be listed or traded on stock exchanges in IFSC, India or foreign jurisdictions;
 - Money market instruments;
 - Debt securities;
 - Securitized debt instruments, which are either asset backed or mortgage-backed securities;
 - Other investment schemes set up in the IFSC, India and foreign jurisdiction;
 - Derivatives including commodity derivatives;
 - Units of mutual funds and alternative investment funds in India and foreign jurisdiction;
 - Investment in Limited Liability Partnerships;
 - Physical assets such as real estate, bullion, art, etc.; or
 - Such other securities or financial product /assets or instruments as specified by the Authority.

Borrowing

107. A Family Investment Fund may borrow funds or engage in leveraging activities as per their risk management policy.

CHAPTER VII**LISTING****Listing of open ended schemes**

108. The FMEs may at its discretion list open ended schemes, as specified under Chapter III on the recognised stock exchanges.

Listing of close ended scheme

109. The FMEs may at its discretion list close ended schemes, as specified under Chapter III, on the recognised stock exchanges:

Provided that a close ended retail scheme shall be mandatorily listed on at least one of the recognised stock exchanges.

Listing of ETFs

110. Units of ETFs shall be mandatorily listed on at least one of the recognised stock exchanges.

Listing of Investment Trust

111. (1) The units of Investment Trust (except for private placement of Investment Trust whose units are neither listed nor proposed to be listed on a recognised stock exchange) as provided under Part B of Chapter VI shall be listed on a recognised stock exchange
- in case of initial public offer, within 12 working days from the date of closure of the initial public offer;
 - in case of private placement, within 30 working days from the date of allotment:
- Provided* that this sub-regulation shall not apply if the initial offer does not satisfy the minimum subscription amount specified in these regulations.
- The listing of the units of the Investment Trust shall be in accordance with the listing agreement entered into between the Investment Trust and the recognised stock exchange.
 - The units of the Investment Trust listed in the recognised stock exchange(s) shall be traded, cleared and settled in accordance with the requirements specified by the recognised stock exchange(s) and such conditions as may be specified by the Authority.
 - Any person other than the sponsor(s) holding units of the Investment Trust prior to initial offer shall hold the units for a period of not less than six (6) months from the date of listing of the units.
 - An Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange may list such units on a recognised stock exchange, subject to it complying with the requirements specified for privately placed and listed Investment Trust under these regulations and in the manner specified by the Authority from time to time.

Approval by Recognised Stock Exchange for Listing

112. (1) The FME which intends to list units of its scheme or ETFs or Investment Trust on the recognised stock exchange(s), shall obtain 'in-principle' approval from recognised stock exchange(s) in accordance with the requirements of the recognised stock exchange(s) from time to time.
- (2) The delisting of schemes or ETFs or Investment Trust shall be permitted subject to the terms and conditions as may be specified by the recognised stock exchanges.

Disclosures

113. Schemes or ETFs or Investment Trust listed on the recognized stock exchanges shall make such disclosures as may be specified by the Authority or the recognized stock exchanges.

Secondary Listing of an ETF or Investment Trust listed in India or Foreign Jurisdiction

114. (1) An ETF or Investment Trust (by whatever name it may be called outside IFSC) may be allowed to list and trade on a recognised stock exchange provided:
- (a) The ETF or Investment Trust, as the case may be is listed in India (outside IFSC) or in a foreign jurisdiction; and
 - (b) The ETF or Investment Trust is in compliance with the law of its home jurisdiction.
- (2) The application for listing of such ETF or Investment Trust shall be filed with the recognised stock exchange(s) in the format and manner provided by the recognised stock exchange(s).
- (3) The recognised stock exchange(s) may exempt the continuous obligations and disclosure requirements for ETFs or Investment Trust listed on the recognised stock exchange(s), provided that the FME releases all information and documents in English to the recognised stock exchange(s) at the same time as they are released to the home exchange where it has a primary listing.

Suspension of Listing and Trading

115. (1) The Authority or the recognised stock exchange may suspend the listing and trading of units of an Investment Trust or schemes or ETF if:
- (a) the Investment Trust or parties to the Investment Trust or the FME are in non-compliance with the regulatory provisions specified by Authority or the recognised stock exchange(s);
 - (b) the Investment Trust or schemes or ETF is suspended in any other stock exchange; or
 - (c) the suspension is required for ensuring orderly operation of market.
- (2) The recognised stock exchange may restore the listing and trading of Investment Trust or schemes or ETF that have been suspended if it considers that the suspension is no longer required.

Delisting by Recognised Stock Exchange

116. The recognised stock exchange may delist Investment Trust or schemes or ETF if it is satisfied that -
- (a) the Investment Trust / Scheme / ETF is suspended for trading for more than six months or parties to Investment Trust or FME are not taking adequate action to obtain restoration of listing and trading;
 - (b) the Investment Trust or parties to Investment Trust or FME is no longer eligible for listing or trading;
 - (c) the Investment Trust or schemes or ETF have been compulsorily delisted from another exchange;
 - (d) if the exchange is satisfied that there are special circumstances that require delisting of the Investment Trust or schemes or ETF; or
 - (e) it is directed to do so by the Authority or any other relevant authority or any court order of applicable jurisdiction.

Voluntary Delisting

117. The recognised stock exchange may delist Investment Trust or scheme or ETF, based on request received from the Investment Trust or FME, in the manner provided by the recognised stock exchange(s) or the Authority.

CHAPTER VIII
GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

Code of Conduct

118. Every FME, its fiduciaries, KMPs (including Principal officer, Fund Managers and Designated Compliance Officer) shall abide by the Code of Conduct as specified in Third Schedule.

Maintenance of books of account, records and other documents

119. (1) Every FME shall keep and maintain proper books of account, records and documents, for each scheme so as to explain its transactions and to disclose at any point of time the financial position of each scheme and in particular give a true and fair view of the state of affairs of the scheme and intimate to the Authority the place where such books of account, records and documents are maintained.
- (2) Every FME shall maintain and preserve at least the following books of accounts, records and documents, in electronic retrieval form for a minimum of ten years, namely: (a) a copy of the balance sheet at the end of each accounting period;
- (b) a copy of profit and loss account for each accounting period;
- (c) a copy of the auditor's report on the accounts for each accounting period;
- (d) a statement of net worth for each quarter;
- (e) documents relating to compliance with AML and CFT guidelines;
- (f) documents relating to account opening of each client and any power of attorney or signature authority forms of the clients;
- (g) relevant records and documents relating to its activities under these regulations; and
- (h) such other books of accounts, records and documents as may be specified by the Authority from time to time.
- (3) The FME shall be required to maintain following records describing:
- (a) the assets under each scheme;
- (b) valuation policies and practices;
- (c) investment strategies;
- (d) particulars of investors and their contribution;
- (e) rationale for investments made.
- (4) The records under sub-regulation (3) shall be preserved in the retrievable form for a period of five years after the winding up of the scheme.

Information to the Authority

120. (1) FME, Fiduciaries or any person involved in the activities as detailed in these regulations shall furnish such reports, returns, statements and particulars, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) The Authority may call for any information, documents or records from FME and entities engaged by FME for any related functions on activities detailed under these regulations.
- (3) Where any information is called for under sub-regulation (2) it shall be furnished within the time specified by the Authority.

Business Continuity Plan

121. (1) A registered FME shall maintain a business continuity plan identifying procedures relating to an emergency or significant business disruption.
- (2) A registered FME shall update its business continuity plan in the event of any material change to operations, structure, business, or location.
- (3) A registered FME shall conduct an annual review of its business continuity plan.

Cyber Security and Cyber Resilience

122. A registered FME shall have robust cyber security and cyber resilience framework in accordance with the requirements as may be specified by the Authority from time to time.

Risk Management and Internal Controls

123. (1) A FME shall have a sound risk management system for comprehensively managing all risks.
- (2) A FME shall have adequate internal procedures and controls, given the types of business in which it engages (including any activities which have been outsourced) with the aim of protecting the interests of clients/investors and their assets and ensuring proper management of risk.

Guaranteed returns

124. No guaranteed return shall be provided in a scheme or under an agreement for PMS,
- (a) unless such returns are fully guaranteed by the FME;
- (b) unless a statement indicating the guarantee including details thereof is made in the offer document / agreement;
- (c) the manner in which the guarantee is to be met has been stated in the offer document / agreement.

Change in control

125. (1) A FME in IFSC shall seek prior approval of the Authority in case of any direct or indirect change in control of the FME:
- Provided that a FME operating in the form of branch in an IFSC shall inform the Authority within fifteen (15) days, only if such approval is required to be obtained from the sectoral regulator in its principal place of operations.
- (2) The Authority may consider such request for change in control subject to certain conditions including offering exit opportunity to investors.

Payment of Fees

126. A FME shall pay the fees pertaining to annual fees, scheme filing fee or any other fees as may be specified by the Authority from time to time.

Advertisements

127. Advertisements shall be in conformity with the Advertisement Code as specified in the Fifth Schedule of these Regulations.

Fees and Expenses of the Schemes.

128. (1) All fees and expenses should be clearly identified and appropriated separately for each schemes.
- (2) The FME shall ensure suitable disclosure in the offer document / placement memorandum regarding the maximum fees and expenses that it may charge. Each expense item shall be disclosed separately as a specific line item in the offer document / placement memorandum.

Appointment of Investment Committee

129. (1) The FME may, at its discretion, constitute an Investment Committee to make investment decisions for the schemes.
- (2) All responsibilities casted upon the FME and Fund Managers under these regulations to the extent applicable shall also be complied with by the members of such Investment Committee.

Merger/ demerger/ restructuring of schemes

130. Merger/ demerger/ restructuring of schemes shall be permissible, subject to the approval by the Authority / guidelines as may be issued by the Authority.

Winding up of the Scheme

131. (1) A scheme of the FME may be wound up:-
- (a) When the tenure of the scheme as mentioned in the placement memorandum / offer document is over;
- (b) If seventy five percent (75%) of the investors, by value of their investment in the scheme, pass a resolution at a meeting of investors that the scheme be wound up.
- (2) The Authority in the interest of investors and for orderly development of the financial market may direct a FME to:-
- (a) wind up a scheme subject to such conditions as considered appropriate;
- (b) merge certain schemes; or
- (c) manage schemes of other FMEs.

Appointment of Custodian

132. The FME shall appoint an independent custodian to carry out the custodial services at least for the following schemes:-

- (1) Retail schemes;
- (2) Open ended restricted schemes; and
- (3) All other schemes managing AUM above USD 70 Million.

Redemption of Close ended scheme

133. A close ended scheme shall be fully redeemed at the end of maturity period:

Provided that the scheme is not rolled over as specified under these regulations.

Scheme Annual Report

134. (1) FME shall prepare in respect of each financial year an annual report of accounts of the schemes and abridged summary thereof and shall be submitted to the Authority not later than four months from the end of financial year.

(2) The Annual Report and abridged summary shall contain details that are necessary for the purpose of providing a true and fair view of the operations of the scheme.

(3) An abridged summary of the same shall be shared with investors within four months from the end of the financial year.

Provided that if an investor seeks the full Annual report, FME shall provide the same within fifteen (15) days from the date of the receipt of the request.

Auditor's report

135.(1) Every scheme launched by FME shall have the annual statement of accounts audited by an auditor who is not in any way associated with the FME.

(2) An auditor shall be appointed by the fiduciaries.

(3) The auditor shall forward his report to the fiduciaries and such report shall form part of the Annual Report of the schemes.

Other disclosures to the investors

136. (1) The FME shall ensure that investors are provided information about their holding in the schemes of FME at the end of every month and within ten working days in case of receipt of such request from an investor.

(2) The fiduciaries shall be bound to make such disclosures to the investors as are essential in order to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.

Restrictions on business activities of the FME

137. The FME shall not undertake any business activities other than as specified under these regulations without prior approval of the Authority:

Provided that a FME operating in the form of branch in an IFSC shall inform the Authority within fifteen (15) days for its activities outside IFSC only if such an approval is required to be obtained from the sectoral regulator in its principal place of operations.

CHAPTER IX**INSPECTION AND AUDIT****Inspection**

138. (1) The Authority may *suo motu* or upon receipt of information or complaint at any time appoint one or more persons as inspecting authority to undertake the inspection of the books, accounts, records, documents, infrastructure, procedures, systems of an FME or any other entity associated with the activities under these regulations for any purpose or to investigate the affairs of schemes and activities as detailed under these regulations including the purposes as specified under sub-regulation (2).

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include, -

(a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained in the manner as required under these regulations;

- (b) to ensure that the provisions of the Act, the regulations and circulars made thereunder, are complied with;
 - (c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established or are being followed by the FME or other entities to fulfil its obligations under these regulations;
 - (d) to ascertain whether any circumstances exist which would render the FME or other entities unfit or ineligible;
 - (e) to inquire into the complaints received from the investors, clients, other market participants, or any other person on any matter having a bearing on the activities of the FME; and
 - (f) to inquire *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of investors or the financial market in IFSC.
- (3) Before undertaking an inspection under sub-regulation (1), the inspecting authority shall give a notice to the FME or such other entities referred to in sub-regulations (1):

Provided that where the inspecting authority is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with such notice.

Obligations of FME on inspection

139. (1) Where an inspection of an FME is undertaken by the Authority, such FME and every principal officer, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, CEO, KMPs, officer, employee and any agent, etc., of the FME shall provide all assistance and cooperate with the inspection authority and shall furnish books of accounts, records and documents to the inspection authority with such statements and information relating to its activities within such time as decided by the inspection authority.
- (2) The FME shall give all assistance as may be required in connection with the inspection and allow the inspecting authority to have reasonable access to its premises and extend reasonable facility for examining any books of accounts, records and documents in its possession, and also provide copies of records or documents or other material which in the opinion of the inspecting authority are relevant for the purposes of the inspection.
- (3) The inspecting officer, in the course of inspection or investigation, shall be entitled to examine or record the statements of any principal officer, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, officer, employee and any agent of the FME
- (4) It shall be the duty of every principal officer, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, CEO, KMPs, officer, employee and any agent of the FME to give to the inspecting officer all assistance in connection with the inspection or investigation, which the inspecting officer may require.

Appointment of auditor or valuer

140. (1) The Authority may appoint an auditor to inspect the books of account, records, documents infrastructures, systems and procedures or affairs of a FME:
- Provided* that the auditor so appointed shall have the same powers of an inspecting authority:
- Provided further* that a FME and its employees shall have the obligations as specified in regulation 139.
- (2) The Authority may appoint a valuer to value the scheme assets if considered necessary.
- (3) The Authority shall be entitled to recover expenses including fees paid to the auditors / valuer as may be incurred by it.

Submission of report

141. The inspecting authority shall submit an inspection report to the Authority, and the Authority may take such action as it may deem fit and appropriate.
- Provided* that if directed to do so by the Authority, the inspecting Authority may submit an interim report.

Action by the Authority upon inspection.

142. (1) The Authority may after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of hearing to the FME or its directors or employees or principal officer issue such direction as it deems fit in the interest of financial market or the investors including directions in the nature of :-
- (a) requiring FME not to launch new schemes or raise money from investors for a particular period;
 - (b) prohibiting the person concerned from disposing of any of the properties of the fund or scheme acquired in violation of these regulations;
 - (c) requiring the person connected to dispose of the assets of the fund or scheme in a manner as may be specified in the directions;

- (d) requiring the person concerned to refund any money or the assets to the concerned investors along with the requisite interest or otherwise, collected under the scheme;
- (e) prohibiting the person concerned from operating in the financial market or from accessing the financial market for a specified period.

CHAPTER X

LIABILITY FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

Suspension, cancellation of registration or any other actions

143. The Authority may take such action as deemed fit, including suspension or cancellation of registration, against a FME if it:-
- (a) fails to exercise due diligence or comply with any conditions subject to which a certificate of registration has been granted;
 - (b) contravenes any of the provisions of the Act or rules or regulations or circulars or guidelines or directions or instructions issued thereunder;
 - (c) fails to furnish any information relating to its activity as an FME as required by the Authority;
 - (d) furnishes to the Authority information which is false or misleading in any material particular;
 - (e) does not submit periodic returns or reports as required by the Authority;
 - (f) does not co-operate in any enquiry, inspection or investigation conducted by the Authority;
 - (g) fails to resolve the complaints of investors or fails to give a satisfactory reply to the Authority; or
 - (h) commits any other act/omission which in the opinion of the Authority warrants such action or which is against the interest of the investors.

CHAPTER XI

POWER TO RELAX, ISSUE CLARIFICATIONS AND SPECIFY ADDITIONAL REQUIREMENTS

Power to relax strict enforcement of the regulations

144. (1) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of development of financial market in IFSC, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- (3) The Authority shall process such application within sixty (60) days of the date of receipt of the application complete in all respects including responses to clarifications sought and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant.

Regulatory or Innovation Sandbox and Fund Lab

145. (1) The Authority may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the requirements of these regulations for a period as may be specified but not exceeding eighteen months, for furthering innovation in aspects relating to testing new products, strategies, processes, services, business models, use of technology, etc. in live environment of regulatory or innovation sandbox in the financial markets:

Provided that any experiment in a scheme towards a new strategy shall not solicit money from public and shall be governed by a framework specified by the Authority.

- (2) Any exemption granted by the Authority under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Authority including conditions to be complied with on a continuous basis.

Power to specify norms, procedures, issue clarifications and remove difficulties

146. (1) For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, additional requirements, etc. by way of circulars or guidelines or directions to FME or fiduciaries or entities related to activities as detailed under these regulations.
- (2) In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority shall have the power to issue directions through guidance notes or circulars.

CHAPTER XII
MISCELLANEOUS

Delegation of powers

147. The powers exercisable by the Authority under these regulations shall also be exercisable by any officer of the Authority to whom such powers are delegated by the Authority.

Repeal and Savings

148. (1) On and from the effective date, Chapter VI on Funds of the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 shall not apply in an IFSC.
- (2) On and from the effective date, Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, and Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, shall not apply in an IFSC.
- (3) On and from the effective date, the following circulars issued by SEBI or IFSCA shall stand superseded:
- (i) Securities and Exchange Board of India circulars on Alternative Investment Funds / Portfolio Management Services / Mutual Funds in IFSC viz. Circular No. SEBI/HO/MRD/ DSA/CIR/P/2017/45 dated May 23, 2017, Circular No. SEBI/HO/IMD/DF1/CIR/P/143/2018 dated November 26, 2018 and SEBI/HO/IFSC/CIR/P/2019/91 dated August 9, 2019;
- (ii) IFSCA Circulars on Alternative Investment Funds viz. Circular No. 81/IFSCA/AIFs/2020-21 dated December 9, 2020, Circular No. 81/IFSCA/AIFs/2020-21/02 dated June 2, 2021 and Circular No. 81/IFSCA/AIFs/2020-21/03 dated June 25, 2021: and
- (iii) IFSCA Circulars on REIT and InvIT Circular no. 41/IFSCA/SEBI/REITs-InvITs/2020-21 dated October 21, 2020.
- (4) On and from the effective date, Regulation 30 to 42 of the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 shall stand omitted. Further, any other reference under the said regulation to Portfolio Manager shall also stand omitted.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2) (3) and (4) above
- (a) any action taken or purported to have been taken under the regulations, guidelines and circulars mentioned in sub-regulations (1), (2), (3) and (4), before the effective date shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations.
- (b) any private placement memorandum, whether draft or otherwise, filed or application made to the Authority before the effective date shall be deemed to have been filed or made under the corresponding provisions of these regulations. Further, all existing Fund Managers of Alternative Investment Funds (AIFs) registered by the Authority shall seek fresh registration from the Authority under these regulations within six months from the effective date.
- (c) any portfolio manager application made to the Authority before the effective date shall be deemed to have been filed or made under the corresponding provisions of these regulations. All existing Portfolio Managers registered by the Authority shall seek fresh registration from the Authority under these regulations within six months from the effective date.

FIRST SCHEDULE
(Regulation 3)
APPLICATION FORM

S. No.	Particulars	Details
1. Category of Application		
	a) Application for Authorised Entity	
	b) Application for Registered Entity (Non-Retail)	
	c) Application for Registered Entity (Retail)	
2. Details of the Applicant:		
2.1 Initial Details of the applicant		
	a) Name of the applicant	
	b) Legal Form of the Applicant	
	c) Corporate Identification Number (CIN), Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) or identification number similar to CIN or LLPIN	
	d) Date of Incorporation	
	e) Address of office in IFSC	
	f) Telephone number(s)	
	g) E-mail address	
	h) Name, Telephone number and Email address of Principal Officer and Compliance Officer	
2.2 In case of Branch		
	a) Address of Registered Office	
	b) Telephone number(s)	
	c) E-mail address	
	d) Name, Telephone number and Email address of CEO or Designated Partners	
2.3	Brief Business profile of the Applicant a) Details of Business activities b) Details of Experience in Fund Management (including no. of investors served, AUM managed, etc.) c) Place of Presence d) Founding Persons e) Details of listing, if any	
2.4	Details of Registrations with IFSCA / Financial Sectoral Regulators in India or Foreign Jurisdictions, if any (Category of Registration, Registration number, Date of Registration and Validity, Details for applicant / controlling shareholders)	
2.5	Details of SEZ Approval	
2.6	Details of the Business Activities of Associate entities in IFSC, If any	
2.7	Details of infrastructure in IFSC for conducting activities as FME	
3. Financial Information (As per last Audited Financial Statement)		
3.1	Period of Financial Year	
	a) Net Worth as on latest Financial Year	
	b) Total Revenue	
	c) Profit from Operations	

3.2	Details of Shareholding and Capital Structure				
	a) Authorized Capital				
	b) Paid up Capital / Partners Capital contribution				
	c) Details of the Shareholding or partnership structure				
	d) Details of the latest Shareholder(s) / partners holding 5% & above share / Partners Capital/ Person's in Control 1. Name 2. PAN 3. No. of Shares 4. Address 5. % of Shareholding				
3.3	Currency in which Account to be maintained by the applicant				
4. Business Plan					
4.1	Detailed Business Plan for various activities in IFSC under FME: a) Overall Business Plan b) Details of activities over Short, Medium and Long Term c) Target Investors d) Details for ring-fencing operations, in case of branch				
5. Detail of Controlling Shareholders / Designated Partners /Partners / Directors and Key Executives					
5.1	Details of the Controlling Shareholders / Directors / CEO / Partners & Designate partners*				
	Particulars	1	2	3	
	a) Name				
	b) Designation/ Legal form in case of Company/ LLP				
	c) DIN/ DPIN/ Registration No.				
	d) PAN				
	e) Communication Address				
	f) Email				
	g) % of Shareholding in the applicant				
	h) Shareholding Pattern & Details of Shareholders (Top 5)				
	i) Is the person from FATF Compliant jurisdiction?				
	j) Brief Profile:				
5.2	Details of Key Executives for IFSC Office			1	2
	a) Name				
	b) Designation				
	c) DIN/ DPIN				
	d) PAN				
	e) Date of Appointment				
	f) Communication Address				
	g) Email				
	h) Mobile and Landline number				
	i) Detailed Education Qualification & Certifications				
	j) Detailed Experience				

6. Details of Regulatory Actions	
6.1	Details of Regulatory Actions (Material action against the applicant, Board of Directors, CEO, Key Managerial Personnel or Controlling shareholders)
6.2	Whether the Applicant or its Directors or Partners / controlling shareholders has/ have been refused a certificate by the IFSCA or any other regulatory authority or its/ their certificate has been suspended at any time prior to this application. (If Yes, provide details. If No, enclose a declaration to that effect).
6.3	Court Cases or Litigations involving the applicant or its person in control in last 3 years
<p>7. Confirmations & Declarations</p> <p>A Declaration cum undertaking containing following details on the letter head of the applicant stating that:</p> <p>a) We hereby declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true.</p> <p>b) The activities proposed in the IFSC are in line with the object clause.</p> <p>c) The applicant and its principal officers, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders are fit and proper persons.</p> <p>d) We shall ringfence the operations of branch from other operations of the applicant (applicable in case of branch)</p> <p>e) We shall notify IFSCA immediately of any material change in the information provided in the application.</p> <p>f) We shall ensure that the key activities of Investment decision, portfolio management and grievance handling shall be undertaken from IFSC.</p> <p>g) We further undertake to comply with, and be bound by the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and the regulations, circulars, guidelines and instructions thereunder as issued by IFSCA from time to time.</p> <p>h) We further agree that as a condition of registration, we shall at all times abide by such operational instructions/directives as may be issued by the IFSCA from time to time.</p> <p>i) We shall, to the satisfaction of IFSCA, furnish any other information as may be sought by IFSCA.</p> <p>For and on behalf of (Please insert name of the applicant) Authorised signatory (Name)(Signature) Date: Place:</p>	
<p>Documents to be annexed with the application</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the Certificate of Incorporation /Registration document of the Applicant. 2. Latest Memorandum and Articles of Association / limited liability partnership agreement of the Applicant as may be applicable 3. Last 3 years audited consolidated/ standalone financial statements of the Applicant 4. Net-worth certificate by an Auditor 5. Detailed CV of the principal officer 6. Copy of authorisation for application by an authorized representative 7. KYC Details - PAN & Address proof of directors / person (s) in control/ KMP's and Employees in IFSC 8. Tax Identification Document of the applicant 9. Copy of SEZ approval 10. Copy of the proof of payment for the application fees paid 11. Declaration on the letter head of the company duly signed by the authorized signatory. 	
Date Place	Signature (Name and Designation)

SECOND SCHEDULE
NET WORTH REQUIREMENTS

S. No.	Category	Net Worth
1	Authorised FME	USD 75,000
2	Registered FME (Non-retail)	USD 5,00,000
3	Registered FME (Retail)	USD 1,000,000

THIRD SCHEDULE
CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS

PART A: CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS OF THE FUND MANAGEMENT ENTITY

- (a) The FME shall take all reasonable steps and exercise due diligence to ensure that the investment of funds pertaining to any scheme is not contrary to the provisions of these regulations.
- (b) The FME shall be responsible for the acts of commission or omission by its employees or the persons whose services have been procured by the FME.
- (c) Notwithstanding anything contained in any contract or agreement or termination, the FME or its directors or partners or other officers shall not be absolved of liability to the scheme or its investors for their acts of commission or omission, while holding such position or office.
- (d) The Chief Executive Officer (whatever be the designation) of the FME shall ensure that the FME complies with all the provisions of these regulations and the guidelines or circulars issued in relation thereto from time to time and that the investments made by the FME are in the interest of the unit holders and shall also be responsible for the overall risk management function of the FME.
- (e) The FME shall not appoint any person as key personnel who has been found guilty of any economic offence or involved in violation of securities laws.
- (f) The FME shall compute and carry out valuation of investments made by its scheme(s) in accordance with the investment valuation norms specified in Sixth Schedule, and shall publish the same.
- (g) The FME and its controlling shareholders shall be liable to compensate the affected investors and/or the scheme for any unfair treatment to any investor as a result of inappropriate valuation.
- (h) The FME must ensure that all investors are provided with adequate, accurate, explicit and timely information fairly presented in a simple language about the investment policies, investment objectives, financial position and general affairs of the scheme.
- (i) The FME shall ensure that the assets and liabilities of each scheme are segregated and ring-fenced from other schemes of the FME; and bank accounts and securities accounts of each scheme are segregated and ring-fenced.
- (j) The FME must not use any unethical means to sell, market or induce any investor to buy their schemes.
- (k) The FME shall maintain high standards of integrity and fairness in all their dealings and in the conduct of their business.
- (l) The FME shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
- (m) The FME shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, either about their qualifications or capability to render investment management services or their achievements.
- (n) The FME shall ensure compliance with the Anti-Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) norms as applicable.

PART B: CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS OF FIDUCIARIES (DIRECTORS / DESIGNATED PARTNERS / TRUSTEES OF THE FUND)

- (a) Based on the legal structure of the fund/scheme, the Board of Directors in case of Company, Designated Partners in case of LLP and Trustees (including the Board in case of a Trustee company) in case of a Trust shall
 - (i) ensure that the monies of the schemes are invested to achieve the objectives of the scheme and in the interest of the investors.

- (ii) the assets and liabilities of each scheme are segregated and ring-fenced from other schemes of the FME; and bank accounts and securities accounts of each scheme are segregated and ring-fenced.
- (iii) ensure that different activities of FME are carried at arm's length and interest of investor under one activity are not being compromised with those of any other scheme or of other activities of the FME.
- (iv) have a right to obtain from the FME such information as is considered necessary.
- (v) render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
- (vi) obtain internal audit reports from independent auditors as and when deemed appropriate.
- (vii) hold frequent meetings to ensure it discharges the various responsibilities under these regulations.
- (viii) communicate in writing to the FME of the deficiencies and checking on the rectification of deficiencies.
- (ix) ensure before the launch of any scheme that it has,—
 - (a) systems in place for its back office, dealing room and accounting;
 - (b) appointed all key personnel;
 - (c) appointed auditors to audit its accounts;
 - (d) designated a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Authority or the Central Government and for redressal of investors grievances;
 - (e) appointed fund administrators registered with the Authority or capabilities to undertake such activities in-house by the FME
 - (f) obtained, wherever required under these regulations, prior in principle approval from the recognised stock exchange(s) where units are proposed to be listed.
- (x) ensure that FME has not given any undue or unfair advantage to any associates or dealt with any of the associates of the FME in any manner detrimental to interest of the investors.
- (xi) quarterly review all transactions carried out between the schemes, FME and its associates.
- (xii) shall on a yearly basis review the net-worth of the FME to ensure compliance with the threshold provided in Second Schedule on a continuous basis.
- (xiii) shall ensure that the scheme/fund property is properly protected, held and administered by proper persons and by a proper number of such persons.

PART C: CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS OF PRINCIPAL OFFICER, FUND MANAGER AND COMPLIANCE OFFICER

- (a) The Principal Officer shall ensure that all the activities of the FME are in accordance with the provisions of these regulations and various circulars and guidelines issued thereunder.
- (b) The Principal Officer shall ensure that the funds of the schemes are invested to achieve the objectives of the scheme and in the interest of the investors.
- (c) Where the Principal Officer has reason to believe that the conduct of business of the FME is not in accordance with these regulations it shall forthwith take such remedial steps as are necessary by it and shall immediately inform the Authority of the violation and the action taken by it.
- (d) The Principal Officer shall periodically review the investor complaints received and shall ensure immediate redressal of the same by the FME.
- (e) Principal Officer and Fund Managers shall:
 - (i) abide by the Act, Rules, Regulations, Guidelines and Circulars governing the securities market;
 - (ii) strive for highest ethical and professional standards to enhance the reputation of the markets;
 - (iii) act honestly in dealings with other market participants;
 - (iv) act fairly and deal with market participants in a consistent and transparent manner;
 - (v) act with integrity, particularly in avoiding questionable practices and behaviour;
 - (vi) not indulge in any unethical business activities or professional misconduct involving dishonesty, fraud or deceit or commit any act that could damage the reputation of the organisation or the fund management industry;
 - (vii) identify existing or potential conflicts of interest as per their institutions policies and address the same;

- (viii) not carry out any transaction on behalf of a scheme with any counter party who is an associate of the FME / controlling shareholders unless such transaction is carried
 - a. out on arm's length basis after taking into account the interest of investors and;
 - b. in terms of the provisions of these regulations and circulars issued thereunder.
- (ix) not offer or accept any inducement in connection with the affairs or business of managing the funds of investors which is likely to conflict with the duties owed to the investors;
- (x) not receive any gift or entertainment which is not in adherence of the gift and entertainment policy of the FME framed in this regard.
- (f) The KMP designated as compliance officer shall
 - (i) be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Authority and for redressal of investors grievances immediately.
 - (ii) independently report to the Authority any non-compliance observed by him.

PART D: CONFLICT OF INTEREST

- (a) The FME shall act in a fiduciary capacity towards its investors and shall disclose to the investors, all of interests as and when they arise or seem likely to arise.
- (b) FME shall establish and implement written policies and procedures to identify, monitor and appropriately mitigate conflicts of interest throughout the scope of business.
- (c) FME shall abide by high level principles on avoidance of conflicts of interest with associated persons, as may be specified by the Authority from time to time.
- (d) FME shall ensure that different activities of FME are carried at arm's length and interest of investor under one activity are not being compromised with those of any other scheme or of other activities of the FME.

PART E: CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS OF THE FUND MANAGEMENT ENTITY ACTING AS A PORTFOLIO MANAGER

- (a) A FME acting as a Portfolio Manager shall:-
 - (i) ensure that the money received from the client for an investment purpose is deployed as soon as possible for that purpose and money due and payable to a client is paid forthwith.
 - (ii) not execute any trade against the interest of the clients in its proprietary account.
 - (iii) obtain in writing, interest of the client in various corporate bodies which enables such client to obtain unpublished price sensitive information of such corporate bodies.
 - (iv) where necessary and in the interest of the client, take adequate steps for the transfer of the clients' securities and for claiming and receiving dividends, interest payments and other rights accruing to the client.
 - (v) take necessary action for conversion of securities and subscription for renunciation of rights in accordance with the clients' instruction.
 - (vi) not use its status as any other registered intermediary to unduly influence the investment decision of the clients while rendering portfolio management services.
 - (vii) not make any statement or indulge in any act, practice or unfair competition, which is likely to be harmful to the interests of other portfolio managers or is likely to place such other portfolio managers in a disadvantageous position in relation to the portfolio manager himself, while competing for or executing any assignment.
 - (viii) ensure that the investors are provided with true and adequate information without making any misguiding or exaggerated claims and are made aware of attendant risks before any investment decision is taken by them;
 - (ix) render the best possible advice to the client having regard to the client's needs and the environment, and his own professional skills; and
 - (x) ensure that all professional dealings are effected in a prompt, efficient and cost effective manner.

FOURTH SCHEDULE**ROLES AND RESONSIBILITIES FOR PARTIES TO AN INVESTMENT TRUST****PART A: ROLES AND RESONSIBILITIES OF TRUSTEE**

- (a) The trustee shall hold the Business assets in trust for the benefit of the unit holders in accordance with the trust deed and the requirements specified in these regulations.
- (b) The trustee shall enter into an investment management agreement with the investment manager on behalf of the Investment Trust.
- (c) The trustee shall oversee activities of the investment manager in the interest of the unit holders and ensure that the investment manager complies with the responsibilities and shall obtain compliance certificate from the investment manager on a quarterly basis.
- (d) The trustee shall oversee activities of the project manager, where applicable, with respect to compliance with this regulations and the project implementation agreement/ project management agreement and shall obtain compliance certificate from the project manager on a quarterly basis.
- (e) The trustee shall make distributions and ensure that investment manager makes timely declaration of distributions to the unit holders.
- (f) The trustee shall ensure that subscription amount is kept in a separate bank account with IFSC banking unit in name of the Investment Trust and is only utilized for adjustment against allotment of units or refund of money to the applicants till the time such units are listed.
- (g) The trustee shall ensure that the remuneration of the valuer is not linked to or based on the value of the asset being valued.
- (h) The trustee shall ensure that the investment manager convenes meetings of the unit holders and oversee the voting by unitholders and declare outcome of the voting.
- (i) In case of any change in investment manager due to removal or otherwise,-
- (i) prior to such change, the trustee shall obtain approval from unit holders and approval from the Authority;
- Provided that the approval from the Authority shall not be required in respect of a Investment Trust that is privately placed whose units are not listed on any recognised stock exchange.
- (ii) the trustee shall appoint the new investment manager within three months from the date of termination of the earlier investment management agreement;
- (iii) the previous investment manager shall continue to act as such at the discretion of trustee till such time as new investment manager is appointed;
- (iv) the trustee shall ensure that the new investment manager shall stand substituted as a party in all the documents to which the earlier investment manager was a party;
- (v) the trustee shall ensure that the earlier investment manager continues to be liable for all its acts of omissions and commissions notwithstanding such termination.
- (j) In case of any change in the project manager due to removal or otherwise,-
- (i) the trustee shall appoint the new project manager within three months from the date of termination of the earlier project implementation agreement/ project management agreement;
- (ii) the trustee may, either *suo motu* or based on the advice of the concessioning authority appoint an administrator in connection with a infrastructure project(s);
- (iii) the previous project manager shall continue to act as such at the discretion of trustee till such time as new project manager is appointed;
- (iv) all costs and expenses in this regard will be borne by the new project manager;
- (v) the trustee shall ensure that the new project manager shall stand substituted as a party in all the documents to which the earlier project manager was a party;
- (vi) the trustee shall ensure that the earlier project manager continues to be liable for all its acts of omissions and commissions for the period during which it served as the project manager, notwithstanding such termination.
- (k) In case of change in control of the project manager in a PPP project, the trustee shall ensure that written consent of the concessioning authority is obtained in terms of the concession agreement prior to such change, where applicable.

- (l) The trustee of an Investment Trust shall not invest in units of the Investment Trust in which it is designated as the trustee.

PART B: ROLES AND RESONSIBILITIES OF INVESTMENT MANAGER

- (a) The investment manager shall make the investment decisions with respect to the underlying assets or projects of the Investment Trust including any further investment or divestment of the assets.
- (b) The investment manager shall oversee activities of the project manager with respect to compliance with these regulations and the project implementation agreement/ project management agreement and shall obtain compliance certificate from the project manager on a quarterly basis.
- (c) The investment manager shall ensure that the assets of Investment Trust or holdco or SPV have proper legal and marketable titles, to the extent applicable, and that all the material contracts entered into on behalf of Investment Trust or SPV are legal, valid, binding and enforceable by and on behalf of the Investment Trust or SPV.
- (d) The investment manager shall ensure that the investments made by the Investment Trust are in accordance with the investment conditions and in accordance with the investment strategy of the Investment Trust.
- (e) The investment manager, in consultation with trustee, shall appoint an auditor for a period of not more than five consecutive years:
Provided that the auditor, not being an individual, may be reappointed for a period of another five consecutive years, subject to approval of unit-holders in the annual meeting.
- (f) The investment manager shall ensure that the assets of Investment Trust are adequately insured.
- (g) The investment manager shall ensure that it has adequate infrastructure and sufficient key personnel with adequate experience and qualification to undertake management of the Investment Trust at all times.
- (h) The investment manager and the investment banker(s) shall be responsible for all activities pertaining to issue and listing of units of the Investment Trust.
- (i) The investment manager shall be responsible for all activities pertaining to the issue of units of Investment Trust in respect of privately placed Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange.
- (j) The investment manager and the investment bankers(s), shall ensure that disclosures made in the offer document or placement memorandum contains material, true, correct and adequate disclosures and are in accordance with the requirements specified by Authority or the recognised stock exchange(s), in respect of Investment Trust listed on a recognised stock exchange.
- (k) The investment manager shall ensure that disclosures made in the placement memorandum contains material, true, correct and adequate disclosures and are in accordance with the requirements specified by Authority in respect of privately placed Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange.
- (l) The investment manager shall declare distributions to the unit holders in accordance with the distribution policy as provided in these regulations.
- (m) The Investment manager shall ensure that adequate controls are in place to ensure segregation of its activity as manager of the Investment Trust from its other activities.
- (n) The investment manager shall submit to the trustee, -
(i) quarterly reports on the activities of the Investment Trust;
(ii) valuation reports within fifteen days of the receipt of the valuation report from the valuer;
- (o) The investment manager shall ensure that the audit of accounts of the Investment Trust by the auditor is done not less than once in a year and such report is:
(i) submitted to the recognised stock exchange(s) within sixty (60) days of end of such financial year ending March 31st, in respect of Investment Trust listed on a recognised stock exchange; or
(ii) submitted to the trustee and unitholders, either electronically or through physical copies, in respect of privately placed Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange.
- (p) The investment manager may appoint a custodian in order to provide such custodial services as may be authorised by the trustees.
- (q) The investment manager shall place, before its board of directors in the case of a company or the governing board in case of an LLP, a report on activity and performance of the Investment Trust every three months.

PART C: ROLES AND RESONSIBILITIES OF PROJECT MANAGER

- (a) The project manager shall undertake operations and management of the InvIT assets including making arrangements for the appropriate maintenance, as may be applicable, either directly or through the appointment and supervision of appropriate agents and as required under any project agreement including a concession agreement in the case of a PPP project.
- (b) If the InvIT invests in under construction projects, the project manager shall,—
- (i) undertake the operations and management of the projects, either directly or through appropriate agents;
 - (ii) oversee the progress of development, approval status and other aspects of the project upto its completion, in case of appointment of agents for the purpose of execution.
- (c) The project manager shall discharge all obligations in respect of achieving timely completion of the project implementation agreement/ infrastructure project, wherever applicable, implementation, operation, maintenance and management of such infrastructure project in terms of the project management agreement.

PART D: ROLES AND RESONSIBILITIES OF SPONSOR

- (a) The sponsor(s) and sponsor group(s) shall set up the Investment Trust and appoint the trustee(s) of the Investment Trust.
- (b) The sponsor(s) and sponsor group(s) shall transfer or undertake to transfer to the Investment Trust, its entire shareholding or interest and rights in the holdco and/ or SPV or ownership of the real estate assets or infrastructure projects, as the case may be, subject to a binding agreement and adequate disclosures in the offer document or placement memorandum, prior to allotment of units of the Investment Trust:

Provided that this shall not apply to the extent of any mandatory holding of shares or interest and rights in the holdco and/ or SPV by the sponsor(s) and sponsor group(s) as per any Act or regulations or circulars or guidelines of government or any regulatory authority or concession agreement.

- (c) With respect to holding of units in the Investment Trust,
- (i) the sponsor(s) and sponsor group(s) together shall hold not less than twenty percent of the total units of the Investment Trust after initial offer of units, on a post-issue basis for a period of not less than 3 years from the date of the listing of such units
 - (ii) Any holding by sponsor in Investment Trust, exceeding twenty percent on a post issue basis, shall be held for a period of not less than one year from the date of listing of such units.
- (d) Sponsor(s) would be responsible for all acts, omissions and representations/ covenants of the Investment Trust related to formation of Investment Trust, sale/ transfer of assets/holdco/SPV to the Investment Trust.
- (e) In case of PPP projects where the InvIT is investing in infrastructure assets through SPV(s), in case such acquiring or holding is disallowed by government or under any provisions of the concession agreement or any other such agreement,—
- (i) the sponsor may continue to maintain such holding at the SPV level;
 - (ii) the consolidated value of all such holdings at the SPV level and the value of the units of InvIT held by the sponsor shall not be less than the value of fifteen percent of the total units of the InvIT after initial issue of units on a post-issue basis;
 - (iii) such units of the InvIT and shares or interest in the SPV shall be held for a period of not less than three years from the date of the listing of units of the InvIT;
 - (iv) in case such holding of sponsor in the SPV results in the InvIT not having controlling interest and not having more than fifty one percent shareholding or interest in the SPV, the sponsor shall enter into a binding agreement with the InvIT to ensure that decisions taken by the sponsor including voting with respect to the SPV are in compliance with the requirements in this circular and not against the interest of the InvITs or the unit holders and shall be subject to further guidelines as may be specified by the Authority.

PART E: ROLES AND RESONSIBILITIES OF VALUER

- (a) The valuer(s) shall ensure that the valuation of the Business assets is impartial, true and fair and is in accordance with these regulations.
- (b) The valuer(s) shall ensure that it has sufficient and adequate financial, human and other resources to enable it to perform valuations.
- (c) The valuer(s) and any of its employees involved in valuing of the assets of the Investment Trust, shall not,-
- (i) invest in units of the Investment Trust or in the assets being valued; and

- (ii) sell the assets or units of Investment Trust held prior to being appointed as the valuer, till the time such person is designated as valuer of such Investment Trust and not less than six months after ceasing to be valuer of the Investment Trust.
- (d) The valuer(s) shall conduct the valuation of the Investment Trust assets with transparency and fairness and shall render, at all times, high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
- (e) The valuer(s) shall act with independence, objectivity and impartiality in performing the valuation.
- (f) The valuer(s) shall not accept remuneration, in any form, for performing a valuation of the Investment Trust assets from any person other than the Investment Trust or its authorized representative.
- (g) The valuer(s) shall before accepting any assignment, from any related party to the Investment Trust, shall disclose to the Investment Trust any direct or indirect consideration which the valuer may have in respect of such assignment.

PART F: ROLES AND RESONSIBILITIES OF AUDITOR

- (a) The auditor shall conduct audit of the accounts of the Investment Trust and prepare the audit report based on the accounts examined by him and after taking into account the relevant accounting and auditing standards.
- (b) The auditor shall, to the best of his information and knowledge, ensure that the accounts and financial statements, including profit or loss and cash flow for the period and such other matters as may be specified, give a true and fair view of the state of the affairs.
- (c) The auditor shall have a right of access at all times to the books of accounts and vouchers pertaining to activities of the Investment Trust.
- (d) The auditor shall have a right to require such information and explanation pertaining to activities of the Investment Trust as he may consider necessary for the performance of his duties as auditor from the employees of Investment Trust or parties to the Investment Trust or holdco or SPV or any other person in possession of such information.

FIFTH SCHEDULE

ADVERTISEMENT CODE

- (a) Advertisements shall be accurate, true, fair, clear, complete, unambiguous and concise.
- (b) Advertisements shall not contain statements which are false, misleading, biased or deceptive, based on assumption/projections and shall not contain any testimonials or any ranking based on any criteria.
- (c) Advertisements shall not be so designed as likely to be misunderstood or likely to disguise the significance of any statement. Advertisements shall not contain statements which directly or by implication or by omission may mislead the investor.
- (d) Advertisements shall not carry any slogan that is exaggerated or unwarranted or slogan that is inconsistent with or unrelated to the nature and risk and return profile of the product.
- (e) Advertisements shall not be so framed as to exploit the lack of experience or knowledge of the investors. Extensive use of technical or legal terminology or complex language and the inclusion of excessive details which may detract the investors should be avoided.
- (g) Advertisements shall contain information which is timely and consistent with the disclosures made in the Scheme Documents.

SIXTH SCHEDULE

INVESTMENT VALUATION NORMS - PRINCIPLES OF FAIR VALUATION

A FME shall value its investments in accordance with the following overarching principles so as to ensure fair treatment to all investors including existing investors as well as investors seeking to invest:

- (a) The valuation of investments shall be based on the principles of fair valuation i.e, valuation shall be reflective of the realizable value of the securities/financial product/assets. The valuation shall be done in good faith and in true and fair manner through appropriate valuation policies and procedures.
- (b) The policies and procedures shall identify the methodologies that will be used for valuing each type of securities/financial products/assets held by the schemes. Investment in new type of securities/financial products/assets by the scheme shall be made only after establishment of the valuation methodologies for such securities/ financial products/assets.

(c) The assets held by the FME shall be consistently valued according to the policies and procedures. The policies and procedures shall describe the process to deal with events where market quotations are no longer reliable for a particular asset.

(d) The FME shall provide for the periodic review of the valuation policies and procedures to ensure the appropriateness and accuracy of the methodologies used and its effective implementation in valuing the securities/financial products/assets.

(e) The valuation policies and procedures approved by the FME should seek to address conflict of interest.

(f) Disclosure of the valuation policy and procedures (with regard to valuation of each category of securities/financial product/assets where the scheme will invest, situation where these methods will be used, process and methodology and impact of implementation of these methods, if any) shall be made in offer document and on the website of the FME to ensure transparency of valuation norms to be adopted by FME. This clause shall be applicable only in respect of Retail Schemes.

(g) The responsibility of true and fairness of valuation and correct NAV shall be of the FME, irrespective of disclosure of the approved valuation policies and procedures i.e., if the established policies and procedures of valuation do not result in fair/ appropriate valuation, the FME shall deviate from the established policies and procedures in order to value the assets/ financial products / securities at fair value:

Provided that any deviation from the disclosed valuation policy and procedures may be allowed with appropriate disclosures to investors.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./32/2022-23]